उत्तराखण्ड

के कुछ प्रसिद्ध

व्यक्तियों के साक्षात्कारों

का संकलन

विषय सूची

1. भवानी शंकर थपिलयाल : साक्षात्कारकर्ताः— भुवन पाठक

2. हरीश मैसूरी : साक्षात्कारकर्ताः भुवन पाठक

3. पी सी. तिवारी : साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

4. कामेश्वर बहुगुणा

5. पर्यावरण कार्यकर्ता कुँवर प्रसून

6. सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता रघु तिवारी

7. मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सुन्दर लाल बहुगुणा

8. मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता विजय जड़धारी

9. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरूण कुमार शाहः साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

10. डोभाल : साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

11. नगर पंचायत जोशीमठ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीलाल शाह : साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

12. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश डिमरी : साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

13. थपलियाल : साक्षात्कार कर्ता : भुवन पाठक

14. एस.पी.सत्ती : साक्षात्कारकर्ताः— भुवन पाठक

भवानी शंकर थपिलयाल का साक्षात्कार

साक्षात्कारकर्ताः— भुवन पाठक

भुवन पाठकः— आप अपना परिचय दीजिए ।

भवानी शंकर थपलियालः— मेरा नाम भवानी शंकर थपियाल है। मैं, गढ़वाल के श्रीनगर में रहता हूं और पिछले 12—14 साल से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूं। मैं कई प्रकाशनों तथा कई स्वयंसेवी संगठनों में साथियों के सहयोग से कार्य कर रहा हूं।

भुवन पाठक : हाल ही में आपने अपनी कुछ अपेक्षाओं के कारण पृथक उत्तराखण्ड राज्य के लिए आंदोलन किया जिसके कारण पृथक उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना तो हो गई लेकिन, क्या पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनने से आपकी सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है।

भवानी शंकर थपियाल : यदि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के मूल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यह आंदोलन आरक्षण के विरोध में खड़ा हुआ था जो बाद में पृथक राज्य का आंदोलन बन गया। पृथक राज्य बनने से पहले यहां के लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता था क्योंकि लखनऊ दूर होने के कारण उत्तर प्रदेश में होने वाले विकास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था। वहां के लोगों को लगा कि यहां का पहाड़ी इलाका एक अलग ही परिवेश का है जिसको समझे बिना लखनऊ में बैठकर पहाड़ के लिए योजनाएं बना दी जाती हैं जिनका पहाड़ को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता है। यदि राजधानी उनके नजदीक हो जाए तो उन्हें सभी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे और वहां के लोग प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रख भी पाएंगे इसीलिए इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यह आंदोलन लड़ा गया। लेकिन सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार का रवैया भी लखनऊ जैसा ही रहा। इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है। पृथक राज्य बनने के बाद जिन स्थितियों में सुधार आना था वो अब भी जस की तस बनी हुई हैं।

हमने सोचा था कि पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड की जमीन पर हमारा अधिकार हो जाएगा और यहां हमारे ही कानून चलेंगे। हम चाहते थे कि यहां के भूमि सुधार के संबध में काम करना चाहिए और सरकार को चकबंदी लागू करनी चाहिए। जिससे वहां के लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किया लेकिन कुछ बड़ी ताकतों के दबाव के कारण वो कानून ध्वस्त हो गए। राज्य बनने के बाद भी यहां का मूल आदमी अपने–आपको अकेला ही महसूस करता है उसे लगता है कि पृथक राज्य बनाने के नाम पर उसे ठग लिया गया है।

भुवन पाठक : ऐसा माना जाता था कि पृथक राज्य बनने के बाद यहां लोकतंत्र मजबूत होगा, क्या ऐसा हो पाया है ?

भवानी शंकर थपियाल : हमें भी ऐसा ही लगता था कि पृथक राज्य बनने के बाद यहां मजबूत लोकतंत्र की बहाली होगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि इस नए राज्य की बागडोर एक ऐसे आदमी एन.डी.तिवारी के हाथ में दे दी गई है जो पृथक राज्य के पक्ष में नहीं था और उन्होंने कहा भी था कि यह राज्य मेरी लाश के ऊपर बनेगा। तो जब उस राज्य की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में दे दी गई है जो कि पृथक राज्य के पक्ष में था ही नहीं तो ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना कर पाना संभव कैसे हो सकता था ?

हमने सोचा था कि राज्य बनने के बाद भ्रष्ट्राचार खत्म हो जाएगा लेकिन वो भ्रष्ट्राचार लखनऊ के कर्मचारियों के साथ यहां भी पहुंच गया। आज यहां छोटी से छोटी नियुक्तियों में बहुत बड़ी मात्रा में रिश्वत दी जाती है। एक छोटे–छोटे चपरासी के पद के लिए भी एक लाख तक की रिश्वत की मांग हो रही है इस प्रकार यहां बढ़ता भ्रष्टाचार पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता जा रहा है। इसके अलावा इस सरकार के पास उत्तराखण्ड की राजधानी का भी मुद्दा था। लेकिन सरकार इसे सुलझाने के बजाय उलझाते जा रही है। अधिकतर लोग गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में हैं तो अगर वहां लोकतंत्र होता तो गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। राज्य में राज्य सरकार के इशारों पर ही सब काम हो रहे हैं। यहां पर या तो प्रशासनिक हित साधने के लिए निर्णय

हो रहे हैं या राजनीतिक हित साधने के लिए निर्णय हो रहे हैं जिसमें राजनेताओं का हित सध रहा है और जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। अर्थात लोकतंत्र में लोगों के हितों की ही अनदेखी की जा रही है।

हमने सोचा था कि राज्य बनने के बाद हमारी पंचायती राज व्यवस्था बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, हम अपने स्तर पर योजनाओं को बनाएंगे लेकिन राज्य बनने के बाद इन चार सालों में स्पष्ट हो गया है कि राज्य, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है वो ऐसा कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जिससे पंचायती राज सुदृढ़ बन पाए। इसी प्रकार चकबंदी वाले विषय पर भी सरकार ने किसी भी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं किया है। पौड़ी जिले के शोला गांव के गणेश जी चकबंदी विषय पर काफी लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं उनके अनुसार सरकार इस विषय को उलझाती जा रही है। इस विषय पर बार–बार बैठकों का दौर चलता रहता है लेकिन सरकार कोई भी निणर्य नहीं ले पाती है।

जनता चाहती थी की उत्तराखण्ड की सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरे और एक सुशासन दे लेकिन वर्तमान स्थितियों में ये सरकार असफल दिखाई दे रही है। शासन में पहुंचते ही यहां के राजनेताओं के चरित्र भी बदलते जा रहे हैं वो जनता के लाभ के विषय में सोचने की बजाय अपना हित साधने में लगे हैं।

भुवन पाठक : आज जल, जंगल तथा जमीन का बंदोबस्त निजी हाथों में जाता जा रहा है अर्थात इस सब पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है। इसके नियोजन के बारे में आपकी क्या राय है ?

भवानी शंकर थपियाल : मैं, ये मानता हूं कि जल, जंगल तथा जमीन जैसे स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय जनता का अधिकार होना चाहिए। इन चीजों से किसी भी गांव, राज्य या देश का विकास होता है और यदि इन संसाधनों से जनता का ही अधिकार छिन जाए तो वो न केवल संघर्ष करने के लिए प्रेरित होंगे बल्कि खूनी संघर्ष पर भी उतारू हो सकते हैं।

उत्तराखण्ड सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई निजी कंपनियों को यहां, परियोजना चलाने की आज्ञा दी गई है जैसे फ्लेडा में स्वाति कंपनी ने एक नदी खरीद ली है, श्रीनगर के पास डंकन कंपनी के लोग बांध पर काम कर रहे हैं ऐसे ही जोशी मठ के जय प्रकाश जी काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए जल विद्युत परियोजनाएं बना सकती है तो वो स्थानीय जनता के लाभ के लिए कुछ क्यों नहीं करती ? आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक कंपनी बनाकर, स्थानीय जनता को उसके शेयर बेचें ताकि उससे होने वाले लाभ में स्थानीय जनता की भी हिस्सेदारी हो। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वो इन परियोजनाओं के माध्यम से अपना लाभ एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर वे किसी दस करोड़ की परियोजना पर काम करते हैं और उसमें उन्हें 10 प्रतिशत भी कमीशन मिल जाए तो काफी लाभ होगा और ऐसी ही कई परियोजनाओं में उनका लाभ करोड़ों में होगा। इसलिए वे छोटी परियोजनाएं बनाने की अपेक्षा बड़ी परियोजनाए पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो।

हमारे प्रदेश में दूसरी बड़ी समस्या जंगल की है। अंग्रेजों की तरह भारत सरकार ने भी जंगलों से आम नागरिक का अधिकार छीन लिया। अंग्रेजों ने जाना कि यहां के मूल निवासी जंगलों से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा रोजगार ही जंगल से जुड़ा हुआ है, वे वहां पशुपालन करते हैं और फिर उन पशुओं के माध्यम से दूध, ऊन तथा कपड़ा आदि प्राप्त करने के साथ–साथ उन जानवरों की मदद से अपनी खेती का व्यवसाय भी करते हैं। अंग्रेजों ने इस सब को देखकर अंदाजा लगा लिया कि यहां के नागरिकों का मुख्य व्यवसाय खेती नहीं है बल्कि जंगल हैं और जंगल उनके लिए एक लाभदायक संसाधन हो सकता है इसलिए उन्होंने जंगलों की पैमाइश की और जनता को वहां से बाहर निकालकर जंगलों पर अपना कब्जा कर लिया। वनों की देखरेख करने के लिए एक सरपंच की अध्यक्षता में वन पंचायतों का गठन किया जाता था। वो सरपंच बिना किसी वेतन के जंगलों की रखवाली करता था और बाद में जंगल का ठेकेदार हो जाता था। वहां की लकड़ी, घास तथा जानवरों के प्रबंध तथा वहां की रखवाली के संबध में सब निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे क्योंकि हमारे पास उसके समांतर कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी जहां हम अपने जंगलों का प्रबंध स्वंय कर सकें। अंग्रेजों ने

अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए इस तरह के प्रबंध को मान्यता दी लेकिन हमारी सरकारों ने भी इन संसाधनों को पैसा कमाने का ही जरिया बना लिया है। आज भी साधारण नागरिक को वनों का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है वो वहां से लकड़ी नहीं काट सकता। हमारा पहाड़ पूरी दुनिया को लकड़ी दे रहा है लेकिन खुद उसके नित्यक्रमों के लिए लकड़ियों का आभाव है। श्रीनगर जैसे शहर में ही जहां भारी मात्रा में जंगल हैं वहां शवों को जलाने के लिए भी हम जंगलों की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड में तो पहले ही जमीन का आभाव था यदि हम वहां की जमीन के संदर्भ में आंकडें देखें तो पौड़ी की सम्पूर्ण जमीन में 67 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल हैं, बची जमीन पर खेती होती है कुछ जमीन बंजर है तथा शेष 2–3 प्रतिशत जमीन पर लोग रहते हैं। तो इस प्रकार उनके पास पहले से ही जमीन की कमी थी और ऊपर से यो लोग जंगलों की सुरक्षित रखने के बहाने उनसे उनका रोजगार भी छीनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा ही करती रही तो मजबूरी में वहां की जनता एक बड़ा आंदोलन जरूर खड़ा कर सकती है।

भुवन पाठक : नव गठित राज्य उत्तरांचल में आज, ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि जल,जंगल और जमीन पर बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में आपको युवाओं के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं दिखती हैं ?

भवानी शंकर थपियाल : मैं ,स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी समुदाय या समाज तभी सुघड़ हो सकता है जब वहां की जमीन तथा कृषि पर वहां की जनता का अधिकार हो। इसे समझने के लिए आप पंजाब का उदाहरण देख सकते हैं आज से कुछ समय पहले मैं, चंडीगढ़ गया, वहां मेरे मित्र को टी.वी. खरीदना था। वो देहात के इलाके में रहता था इसलिए हम टी.वी. खरीदने के लिए वहां से थोड़ा शहर की ओर आए। हम एक दुकान में टेलीविजनों को देख रहे थे कि तभी वहां एक ट्रेक्टर आकर रुका उसमें कुछ किसान बैठे हुए थे वे उतरकर दुकान में आए , उन्हें देखते ही दुकानदार हमें, छोड़कर उनकी ओर ध्यान देने लगा। ये सब देखकर हमें बहुत पीड़ा महसूस हुई। पहले हमें लगा कि वो

उसके रिशतेदार होंगे लेकिन हमने सोचा कि दुकानदार तो सरदार है और ट्रैक्टर से निकले लोग किसान हैं। उन्होंने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे लकड़ी का डिब्बा दिला दीजिए, अर्थात टी.वी. दे दीजिए। उस लड़की ने दुकान में मौजूद सबसे बड़े टी. वी. की और इशारा करते हुए कहा कि मुझे यह टी.वी. चाहिए। अब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार ने उसकी कीमत 28 हजार बताई लेकिन उन लोगों ने 27 हजार में ही सौदा तय करने की बात की । टी.वी. देने के बाद दुकानदार ने उन्हें अपनी ओर से चार–पांच सौ रुपए लड़की के कन्यादान के रूप में दिए। उनके जाने के बाद मैंने, दुकानदार से पूछा–हम लोग पहले से खड़े थे लेकिन फिर भी आपने हमें छोड़कर बाद में आए लोगों को पहले सामान दिया ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि साहब! आप पढ़े–लिखे लोग हैं आप तो टी.वी. के बारे में, उसकी गारंटी, वारंटी के बारे में ढेर सारे सवाल करोगे इसके अलावा आप यह भी पूछ सकते हैं कि इसकी कीमत एक साथ देनी है या किस्तों में ? लेकिन, इन लोगों ने ऐसे कुछ भी सवाल नहीं किए इसलिए इन्हें पहले सामान दिया। इन सब बातों को देखकर मैंने, यही समझा कि वहां के किसान की बहुत इज्जत है तथा वहां के किसान बहुत संपन्न हैं। और इसके विपरीत यदि आप पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें कि यदि पहाड़ का खेती–बाड़ी करने वाला कोई किसान पहाड़ी शहर में ही आए तो उसकी कुछ भी इज्जत नहीं होती है, उसकी तरफ हम कुछ भी ध्यान नहीं देते।

इन सब बातों से मुझे यही महसूस हुआ कि वहां श्रम की स्थिति चिंताजनक है। हम श्रम तो करते हैं लेकिन उसका अच्छा रिर्टन नहीं मिलता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए लोग उनको महत्व ही नहीं दे रहे हैं। आपने यहां के युवाओं के रोजगार के संबध में प्रश्न किया, मैं, समझता हूं कि जब तक हम यहां की भूमि व्यवस्था को बदलकर चकबंदी को नहीं लाएंगे तब तक, हम युवाओं को रोजगार का सपना नहीं दिखा सकते। लेकिन यहां की सरकार युवाओं को जिन ऊर्जा प्रदेशों, जैविक प्रदेशों तथा पर्यटन प्रदेशों का सपना दिखा रही है उससे युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है।

सरकार वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है तो उसे वहां उपलब्ध संसाधनों जैसे जंगल आधारित रोजगार उत्पन्न करे तो बहुत सारे लोगों को

रोजगार मिल सकता है। सूचना प्राद्योगिकी में कम संभावनाएं दिखती हैं लेकिन वहां कुछ प्रदूषण मुक्त उद्योग लग सकते हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। वहां सूचना के क्षेत्र में कई प्रयोग हो तो रहे हैं लेकिन उससे केवल 1 या 2 प्रतिशत युवाओं को ही रोजगार मिल सकता है। वहां के अधिकतर युवा कम पढ़े–लिखे हैं इसलिए उनके लिए रोजगार के ऐसे साधनों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे अधिकतर युवाओं को रोजगार मिल पाए।

अगर हम पर्यटन को देखें तो, ये ठीक है कि यहां के पर्यटन से कुछ युवाओं को रोजगार मिलता है लेकिन वो किसी खास मौसम में ही रोजगार दे पाता है। वहां लोग तीर्थ स्थानों को देखने भी आते हैं लेकिन वे भी चार महीने ही रोजगार दे पाते हैं बाकी के आठ महीने वे युवा बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए हमारे पहाड़ में पलायन बढ़ता जा रहा है और यदि इस प्रदेश में पर्याप्त सुधार खासकर भूमि सुधार नहीं किए गए तो यहां से पलायन बढ़ने के साथ–साथ लोगों में आक्रोश बढ़ेगा वो सड़कों पर उतरते जाएंगे और अन्य राज्यों की तरह वहां भी माओवादी तथा नक्सलवादियों का प्रभुत्व हो जाएगा।

भुवन पाठक : भूमि सुधार के लिए आपके दिमाग में क्या आइडिया है ?

भवानी शंकर थपियाल : मेरे विचार से भूमि सुधार के विषय में सबसे पहले चकबंदी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पूरे पहाड़ में जमीन को नाली में नापा जाता है, ढाई नाली का एक बीघा होता है यदि किसी किसान के पास सौ नाली की जमीन है लेकिन वो एक नहीं कही जगहों पर बिखरी पड़ी है। ऐसे में वो उसमें अनाज उपजाना चाहता है, फल पैदा करना चाहता है या जड़ी–बूटियों को लगाना चाहता है तो वह ठीक ढंग से खेती नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ भी काम करने तथा खाद, पानी तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने के किए उसे एक खेत से दूसरे खेत में भागने में ही काफी समय बर्बाद करना पड़ेगा। इसलिए वहां के कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले चकबंदी पर ध्यान देना होगा। यदि वहां की भूमि व्यवस्था में कुछ सुधार हो जाए तो वहां कोई भी योजना लागू करने में आसानी होगी और तभी वहां के युवाओं को रोजगार भी दिलाया जा सकता है। धन्यवाद!

हरीश मैसूरी का सक्षात्कार

साक्षात्कारकर्ताः भुवन पाठक

भुवन पाठक : हरीश जी आप अपना पूरी परिचय दीजिए ?

हरीश मैसूरी : मै हरीश मैसूरी हूं और गोपेश्वर में रहता हूं। वर्तमान में में उत्तरांचल के चमोली जिले में न्यूज रिपोर्टिंग का काम करता हूं। इसके अलावा मैं, जल, जंगल, जमीन, महिलाओं तथा शराब से जुड़े जन आंदोलनों में भी भाग लेता रहता हूं जिससे मुझे कई व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुए हैं।

भुवन पाठक : मैसूरी जी, उत्तराखण्ड के जन आंदोलनों से जुड़े रहने के कारण आपने वहां के ऐसे कई आंदोलन देखे जिसमें वहां के नागरिकों ने अपने अधिकारों के लिए तथा अपनी जीवनचर्या को सुधारने के लिए संघर्ष किया, उनमें जल, जंगल, जमीन के आंदोलन हों या मसूरी का चिपको आंदोलन हो या फिर उत्तराखण्ड के पृथक राज्य का आंदोलन ही क्यों न हो उसमें वहां के सभी लोगों ने बढ–चढ़कर भाग लिया। आप इन सब आंदोलनों के बारे में थोड़ा–थोड़ा बताइए कि इनके पीछे लोगों की मान्यता क्या थी तथा इन आंदोलनों के क्या परिणाम निकले आदि।

हरीश मैसूरी : अगर हम आंदोलनों की बात करें तो उत्तराखण्ड में आंदोलनों का एक लंबा–चौड़ा इतिहास रहा है यहां लगभग हर क्षेत्र के लिए आंदोलन हुए हैं। उत्तराखण्ड में आज जितने भी स्कूल हैं, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत स्कूल आंदोलनों के द्वारा ही स्थापित हुए हैं। उत्तराखण्ड पुरातन काल से ही शिक्षा का केन्द्र रहा है यहां वैदिक काल से लेकर भारतीय दर्शन तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सबकी रचना यहीं की गई है।

उत्तराखण्ड की जनता राष्ट्र की मुख्यधारा से कभी अलग नहीं हुई फिर वो चाहे राजे–रजवाड़ों का समय रहा हो या गोरखाओं का। 1962 अर्थात भारत–चीन युद्ध के बाद तक

यहां परंपरागत रोजगार ही होता था। लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति छिन्न–भिन्न होती चली गई, लोग फौज में भर्ती होने लगे लेकिन जैसे–जैसे फौज में भी पढ़ा–लिखा होना अनिवार्य हो गया और वहां फैक्ट्रियां तो उपलब्ध नहीं थी तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों ने पढ़ना–लिखना शुरू किया ताकि वो शिक्षित होकर रोजगार के लिए बाहर भी जा सकें। वो पढ़ने–लिखने के बाद रोजगार के लिए तो बाहर जाते थे लेकिन पढ़ाई वहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने वहां शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया।

पहले–पहल वहां पौलित्य का बहुल्य था उसके लिए वहां संस्कृत महाविद्यालय खोलने के लिए आंदोलन हुए। आज के दौर में जब अंग्रेजी स्कूलों की होड़ लगी है तो इसके लिए हम आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन समय की मांग को देखते हुए इसके लिए होड़ तो लगी ही हुई है।

दूसरा हमने देखा कि उत्तराखण्ड में जंगलों के लिए भी आंदोलन चलते रहे हैं। उत्तराखण्डवासियों का वनो से अपना एक गहरा तारतम्य रहा हैं। हम अपने बांस के वृक्षों को बचाने का प्रयास न जाने कितनी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। वहां पीढ़ियों से आम, पैया, बड़, पीपल तथा तुलसी को पूजने का प्रचलन चलता रहा है। 1974 के आस–पास अंग्रेजी शासन के दौरान वो लोग अक्सर यहां जंगलों का ठेका डाला करते थे। उस समय यहां साइमन एण्ड कंपनी नाम की बड़ी–बड़ी कंपनियां जंगल काटने आती थी उनके विरोध में तथा अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमारे चंडी प्रसाद भट्ट, चक्रधर प्रसाद तिवारी, सिरपाल सिंह कुंवर, महाजोशी मठ के बहुत सारे लोग, कॉमरेड गोविन्द सिंह तथा गौरा देवी जी ने आंदोलन चलाए।

जंगलों को बचाने के लिए चले आंदोलन के समय चंडी प्रसाद भट्ट जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर यह तय किया कि अगर ये लोग हमारे पेड़ों को काटकर ले भी जा रहे होंगे तब भी हमें उन्हें रोकेंगे। इस प्रकार उस दौर में भट्ट जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। आज हमें लगता है कि पेड़ कट जाने के बाद उन्हें रोकने से क्या लाभ हमारा मकसद तो जंगलों को कटने से बचाना है। इसलिए हमने तय किया कि हम इन पेड़ों से

चिपक जाएंगे, अपने हाथों के बीच पेड़ को जकड़ लेंगे। उस समय के अधिकारी हमारी इन बातों को सुनकर बहुत हंसे लेकिन आगे चलकर उन्हें हमारी बातों तथा हमारी शक्ति को मानना ही पड़ा। साइमन एण्ड कंपनी को हमारे जंगलों से बैरंग लौटना पड़ा। हमारे देश ने इस आंदोलन को समझने का प्रयास किया हो, न किया हो, लेकिन जिन देशों में जंगल नष्ट होते जा रहे थे उन्होंने इस आंदोलन की महत्ता को जरूर समझा और फिर इस आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। इस आंदोलन की सफलता के लिए महिलाओं की भागीदारी तथा उनके साम्थर्य को आज भी याद किया जाता है।

आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से भारत के नागरिक शराब की समस्या को झेलते आ रहे हैं। और इसके खिलाफ आंदोलन भी लगातार जारी रहते हैं। आज से पहले भी सरकार को राजस्व की आवश्यकता थी जिसके लिए वो शराब को बढ़ावा देते आ रहे थे। लेकिन आज शराब के कारण पीड़ित परिवारों की महिलाएं शराब से एकत्र राजस्व से होने वाले विकास का विरोध कर रही हैं। लेकिन फिर भी सरकार पर इन बातों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिसके कारण आज घर–घर में ठेके खुल गए है। आज तो मुख्यमंत्री ही शराब का सबसे बड़ा माफिया बन गया है, और वो तय करता है कि देश के जनता को कौन सा ब्रान्ड पिलाना है तथा कौन सा नहीं पिलाना है, कौन से ब्रांड पर कितना ठेका पड़ना है, कौन सा ब्रांड बेचना है आदि। आज सरकार ही सबसे बड़ी माफिया बनती चली जा रही है। हमारे देश में पहले लोकल शराब बनाने की परंपरा कायम थी लेकिन आज उसे अवैध बताया जा रहा है जबकि उससे इतने लोगों को नुकसान नहीं होता था जितने कि आज सरकारी शराब के कारण हो रहा है। पहले शराब का इतना प्रचलन नहीं था लेकिन आज हमारी फौज में भी जब कोई 14–15–20 साल का लड़का भर्ती होता है तो उसे बीस साल से ही शराब पीना सिखा दिया जाता है। और जब वह रिटायर होता है तो वो पक्का शराबी बन जाता है क्योंकि उसे महीने में 8–10 बोतल कैंटीन से मिलती रहती है जिसका लाभ उठाने के फेर में वो पक्का शराबी बन जाता है।

उत्तराखण्ड में आंदोलन तो होते रहे हैं लेकिन आज वहां आंदोंलनों की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि आज वनों, नदियों पर तो संकट आ ही रहे हैं इसके अलावा जल पर भी संकट

मंडराने लगा है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि आज ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से लेकर अलख नंदा नदी तक सौ छोटे–बड़े बांध प्रस्तावित हैं। हमारी नदियों को विदेशी एवं प्राइवेट कंपनियों को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। आज लोगों का नदी पर मुर्दा फूंकने तक का अधिकार जाता जा रहा है। आज से पहले हम नंद प्रयाग में एक परियोजना को देख रहे थे लेकिन आज उसपर निजी कंपनी का अधिकार हो गया है। आज लोगों की आजादी इतनी छिन गई है कि वो धूल तक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब उनकी दादागिरी इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो आज हमारा पानी, हमारी नदी तथा हमारे जल, जंगल तक को बेचने लगे गंगा पर बनने वाले बांधों में तो पानी सड़ता रहता है जिससे हमारी गंगा तक का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। मैंने बहुत पहले अग्नि पुराण में ये बात पढ़ी थी जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कलयुग के प्रथम चरण में ग्राम देवता नष्ट हो जाएंगे और द्वितीय चरण में गंगा लुप्त हो जाएगी मुझे लगता है कि उसकी शुरूआत हो चुकी है। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर हमारे पानी पर टिकी हुई है। हिमालय को मीठे पानी का अतुल भंडार कहा जाता है इसीलिए पूरी दुनिया इस पानी को बेचकर पैसा कमाने की इच्छा रखती है। आज हमारे जंगलों खासकर उत्तरांचल के जंगलों को लूटने का खतरनाक खेल शुरू हो रहा है। आज से पहले तक वहां के ग्रामीण लोग ही जंगलों को बचाया करते थे लेकिन आज सरकार नैशनल पार्क तथा नैशनल सेंचुरी बनाने का बढ़ावा दे रही है। इसे देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जंगलों को बचाना चाहती है लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि इनका ठेका किसी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। नेपाल में हम इस खतरे को भुगत रहे हैं, भारत में भी ये खतरा आने वाला है। आज की तारीख में डील और डिफाइन नहीं है। आज भारत ने सबसे ज्यादा जंगलों तथा उसके जानवरों को बचाने का प्रयास किया है। फिर भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक प्रयोग है कि इतने छोटे एरिया में कम से कम 10 से 12 तक छोटे नैशनल पार्क और 18 के आस–पास प्रस्तावित पार्क तक लगा दें, तो 18 के आस–पास नैशनल सेंचुरी बनेगी। इनके बीच में जंगली जानवर , बाघ, तथा आदमी भी रहेगा जिससे आदमी के अस्तित्व पर भी संकट है क्योंकि ऐसा करके हम बाघ को आदमी की कीमत पर बचाएंगे। ऐसा करके सरकार यह सिद्ध करना चाहती है कि हम बाघों को बचा रहे हैं लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि जब दुनिया का पहला बाघ आदमी ने नहीं बनाया तो

दुनिया का अंतिम बाघ को भी आदमी नहीं बचा पाएगा और दुनिया को कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी। आज सरकार को बाघों को बचाने में लाभ भले ही हो रहा हो लेकिन पब्लिक को कुछ लाभ नहीं हो रहा है। आज जिसके इकलौता बच्चे को बाघ खा जाता है जिसके घर में आग लग जाती है उसके संरक्षण के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इसलिए लोगों के मन में छटपटाहट है वो आंदोलन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। अभी तक लोग अपने–अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे थे लकिन अब वो संगठित होते जा रहे हैं।

आपने मैती आंदोलन के बारे में पूछा, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन मेरी, मुलाकात मैती आंदोलन के प्रेरक नारासन जी से कई बार हुई। इस आंदोलन के द्वारा पेड़ों को बचाने का प्रयास किया गया। आज से पहले भी हमारे यहां शादी–ब्याह में पेड़ लगाने की परंपरा रही है और इस आंदोलन ने इस परंपरा को और भी बढ़ावा दिया है ताकि लोग पेड़ों के महत्व को समझें और उन्हें बचाने का प्रयास करें।

भुवन पाठक : उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन से लोगों की क्या अपेक्षा थी वो अपनी अपेक्षाओं में कितना खरा उतरा है ?

हरीश मैसूरी : उत्तराखंड बनने से पहलें, दिल्ली तथा लखनऊ के एयर कंडीशनर कमरों में बैठे अधिकारी वहां की विषम परिस्थितियों को जाने बिना कल्पना में ही वहां के लिए योजना बनाते थे। इन योजनाओं से वहां के लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता था इसीलिए वहां के लोगों ने मिलकर पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में सभी पुरूष, महिलाएं तथा बच्चे भी सड़कों में देखे गए। इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं था बल्कि प्रत्येक व्यक्ति इसका नेता था। ये एक इतना बड़ा आंदोलन था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

आखिरकार यह आंदोलन सफल हुआ और उत्तराखण्ड के साथ–साथ उसमें कुछ मैदानी इलाके भी जोड़ दिए गए। उसकी राजधानी तय करने की बात भी अधर में लटकती रही, उन्होंने देहरादून की बजाए गैरसैंण को राजधानी बना दिया। गैरसेंण में राजधानी होने से हमें यह लग रहा है कि हमारी राजधानी लखनऊ की अपेक्षा लंदन चली गई है। लखनऊ में

हम किसी मंत्री से मिलकर अपना काम तो करवा सकते थे लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं हो सकता। आज वहां किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपना तबादला भी करवाना है तो उसे मुख्यमंत्री जी से सलाह–मश्वरा करना पड़ता है और जब तक वह मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा उसका काम नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और खतरनाक बात हो गई है, पहले उत्तराखण्ड के विधायक अपनी नीतियां तथा नियम बनाते थे लेकिन वो आज केवल ठेकेदारों के नुमाइंदे बनकर रह गए हैं। वो सिर्फ ठेके का ध्यान रखते हैं कि किसको देना है और कितना देना है। आज विधायकों को विधायक निधि दी जाती है उसका कोई मानक ही नहीं है, वहां के विधायक उस पैसे को अपने चुनिंदा गांवों या जहां–जहां उसके चमचे रहते हैं वहां कमीशन लेकर ठेकेदारी देता है। उससे अच्छा तो तभी था जब डी.आर.डी.ए. के पास योजना थी। कम से कम वे गांव में एक मानक के हिसाब से बांटने का काम तो किया करते थे। आज खुद विधायक के कुछ दायित्व नहीं रह गए हैं वो खुद 5 साल के लिए ठेकेदार की तरह रहता है। पृथक राज्य बनने से केवल इतना लाभ हुआ है कि आज 70 बेरोजगार लोगों को विधायक की कुर्सी मिल गई है, उससे उसे एक मोटा वेतन तथा गाड़ियां मिल गई हैं। और उनके पीछे–पीछे अनेक ठेकेदार पैदा हो गए हैं।

आज उत्तराखण्ड में ऐसी–ऐसी नीतियां चलाई जा रही हैं जो आज से पहले तक वहां नहीं थी। जो महिलाएं शराब की घोर विरोधी थी, आज उन्हीं महिलाएं के नाम से शराब के ठेके दिए जा रहे हैं। आज चंगोली की 554 महिलाओं के नाम से शराब के ठेके खुले हुए हैं लेकिन खुद उन महिलाओं को भी इस बात की जानकारी नहीं है। इस प्रकार आज वहां इतनी बड़ी साजिश की जा रही हैं जो बिना राजनीतिक सहयोग से कर पाना संभव नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य बनने से पहले हमने कई सपने देखे थे, वो सपने तो पूरे नहीं हुए उल्टे आज उसपर बुरे प्रभाव ही पड़ते जा रहे हैं। हमारी उत्तराखण्ड की सरकार ने अपना लाभ कमाने के लिए 26 विधेयकों को आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिन वो विधेयक पास भी हो गया जिस दिन उन विधेयकों का वेतन बढ़ाया गया था। उससे मिला पैसा विधायकों की अपनी जेब में चला गया।

मुझे कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है लेकिन मैं, नाम लेकर कहना चाहता हूं कि विपिन त्रिपाठी के बेटे पुष्पेश त्रिपाठी ने भी ऐसी ही बातें की जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। आज लगभग सभी राजनैतिक पार्टियां और उसके कार्यकर्ता एक जैसे ही हो गए हैं। मुझे लग रहा था कि वो इन सब बातों का विरोध करेंगे लेकिन उन्होंने विरोध का एक शब्द बोले बिना ही हस्ताक्षर कर दिए और चुपचाप वेतन जेब में डाल लिया। इस प्रकार आज की सरकार भी अपने विधायकों तथा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन, पेंशन तथा भत्ते आदि का लालच दिखाकर खतरनाक कामों एवं विधेयकों को भी पास कराने लगे हैं। आज हमें उन विधेयकों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन्हें निरस्त करना चाहिए। उस समय विधायकों को विधायक कोष में एक करोड़ रुपया मिलने लगा, अब वो उस पैसे को बांटेंगे।

भुवन पाठक : आज उत्तराखण्ड में क्वालिटी मौजूद है या क्वान्टिटी ?

हरीश मैसूरी : आज वहां न क्वालिटी है और न ही क्वान्टिटी । इसके अलावा उसकी जांच करने वाला भी कोई नहीं है। वहां 5 साल के लिए कोई भी आता है और 5 साल के बाद चला जाता है। जो नेता 5 साल तक कुर्सी पर बैठा होता है, तो उस समय राज्य की जो स्थिति रहती है उसके जाने के बाद भी वही स्थिति रहती है और किसी दूसरे के गद्दी पर बैठने पर भी राज्य की स्थिति जस की तस बनी रहती है। उत्तराखण्ड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले को राज्य बनने के बाद भी कुछ नहीं मिला। और ताज्जुब की बात तो है कि इस आंदोलन के दौरान कुछ लोग तो आंदोलन के लिए अपना सबकुछ लुटा रहे थे वहीं कुछ स्वार्थी लोगों ने उसी दौरान अपने स्वार्थ पूरे किए, जिस स्थान पर पेड़ लगे होने के कारण उनका मकान नहीं बन पा रहा था उस दौरान उनका मकान आसानी से बन गया क्योंकि आंदोलन के नाम पर पेड़ों को कटवा दिया गया। अर्थात चीड़, सुराई या तुंद के पेड़ को रातों–रात चक्का जाम के नाम पर काट दिया गया। उस दौरान और भी खतरनाक प्रयोग हुए एक समय था जब अकाउन्टेन्ट को छुट्टी नहीं मिलती थी लेकिन उस दौरान उसने आंदोलन को भड़काया और 4 महीने की छुट्टी पर चले गये और उस दौरान अपना मकान बनवा लिया।

जो लोग आंदोलन में शामिल थे, जो उस दौरान मुजफ्फर नगर कांड या अन्य कांडों में शामिल रहे, जिन्होंने बहुत अत्याचार सहे, लाठियां खाई और जेल में रहे लेकिन वे मेडिकल न दे पाए जिससे न तो उन्हें कोई नौकरी मिली और न ही किसी तरह का मुआवजा ही मिला। इसके विपरीत जो लोग किसी भी तरह से आंदोलन में शामिल नहीं थे उन्होंने झूठी मेडिकल रिपोर्ट देकर नौकरी भी प्राप्त की और उन्हें सभी तरह के मुआवजे भी मिले। इस प्रकार उत्तराखण्ड बनने के बाद इस प्रकार के खतरनाक प्रयोग होते रहे।

भुवन पाठक : जैसे कि आपको पता ही है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के प्राकृतिक साधनों जल, जंगल तथा जमीन पर मल्टीनेशनल का कब्जा बढ़ता जा रहा है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन निजी हाथों में जाते जा रहे हैं तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्तराखण्ड के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं। यहां के युवा लगातार पलायन करते जा रहे हैं और यहां के संसाधनों पर लगातार कब्जा होता जा रहा है तो इन विषम परिस्थितियों में युवाओं के लिए क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं ?

हरीश मैसूरी : बाहर जाकर बसने और यहां वापस आकर बसना इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक जमाने में जब लोगों (मुसलमानों) ने देहरादून को कब्जे में किया, मैं, इस कास्ट विशेष या धर्म विशेष के लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं तो, उस समय मुसलमानों ने बड़े गांवों को कब्जे में किया लेकिन आज वो गांव खाली पड़े हैं। लगभग कई गढ़वाली लोग देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये आने और जाने की परंपरा लगी रहती है हमें, इससे विचलित नहीं होना चाहिए लेकिन इस बात से जरूर विचलित होना चाहिए कि हमारे पूरे उत्तराखंड के युवाओं में दिशाहीनता और चिंतन के धार कुंद हो रहे हैं। खासकर उत्तराखण्ड आंदोलन के बाद की हमारी नई पीढ़ी अब किसी आंदोलन की तैयारी में नहीं लग रही है बल्कि वो कुछ ठेकेदारी की तरफ अग्रसर होती जा रही है, उनमें से कुछ शराब के ठेके डालने की तैयारी में लगे हैं। सारे विश्व में छाई संस्कृति यहां भी दिखने लगी है जैसे यहां भी टेलीविजन तथा साइबर कैफे जैसे आधुनिक संस्कृति की सभी तकनीकें प्रवेश कर चुकी हैं जिससे हमारे वहां के बच्चे भी प्रभावित होते जा रहे हैं।

भुवन पाठक : शिक्षा के स्तर में निरन्तर गति से कुछ परिवर्तन आते जा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं ? आप कह रहे हैं कि मीडिया के प्रभाव के कारण वो इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके लिए यही कारण जिम्मेदार हैं या कुछ और भी कारण हैं ?

आज रोजगार के संबध में विषम परिस्थितियां मौजूद हो गई हैं, कोई युवा अगर स्कूल, कॉलेज से निकलता है तो उसके सामने रोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी दिखाई देती है। अगर वह अपने घर में ही कुछ रोजगार तलाशे तो वहां भी जल–जंगल–जमीन पर भी सरकार का कब्जा हो गया है जिसे वो चाहकर कुछ घरेलू रोजगार का प्रबंध नहीं कर पाता है। क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों के लिए केवल मीडिया ही जिम्मेदार है या आज के दौर का विकास भी इसके लिए जिम्मेदार है ?

हरीश मैसूरी : मैं, तो चिंतन की बात कर रहा था क्योंकि चितंन ही सबसे बड़ा होता है अगर वह ही कुंद हो जाए तो सब कुछ नष्ट होने लगता है और विकास हो ही नहीं पाता है। आज से पहले तक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना होता था क्योंकि वो मानते थे कि अगर आपके ज्ञान–चक्षु खुल जाएं तो रोजगार एक गौंड़ प्रयोजन हो जाते हैं लेकिन आज हमारे सभी वामपंथी साथी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। विद्यालयों में आज विद्या पूरी तरह से लय हो गई है। एक जमाने में विद्या के आलय होते थे वहां आज विद्यालय हो गई है, आज हम लोग शिक्षा के ढ़ांचे को सूचनाओं को संग्रह केन्द्र बनाने लगे हैं और इसी कारण हम ज्ञान के प्रति दिशाहीन होते जा रहे हैं। आज लोग पढ़े–लिखे तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने गुणा भाग नहीं पढ़ा है बल्कि उन्होंने विद्यालयों से सूचना केन्द्रों में बदल चुके केन्द्रों से सूचनाएं प्राप्त करने के साथ–साथ सब तरह की कम्प्यूटराइज्ड शिक्षा प्राप्त ही है। कम्प्यूटरों तथा इसी तरह के मशीनी उपकरणों में संवेदनाएं तो होती नहीं हैं जिससे हमारे दिमाग भी संवेदनहीन होते जा रहे हैं। आज की आधुनिक तकनीकी में संवेदनाओं और समय का आभाव हो गया है।

हम ये कह रहे हैं कि आज ज्ञान की धार कुंद हो गई है इसलिए विद्यार्थियों की समझ विकसित नहीं हा पा रही है और जहां तक हमारे संसाधनों की बात है, आज भी प्रकृति में मौजूद तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी हमारे यहां जल के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं।

भुवन पाठक : हां , यह बात सही है कि आज हमारा चिंतन कुंद हो गया है और हमने सोचना बंद कर दिया है। और दूसरा आज की राजनीति ने हमारे खान–पान तथा रहन–सहन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है तो क्या ऐसे में हमें नई राजनीति खड़ी करनी चाहिए क्योंकि आज राजनीति हमारे जन–जीवन तथा शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। क्या हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अपनाना चाहिए जिसका आधार राजनीति हो ?

हरीश मैसूरी : जी! ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज विद्यार्थियों के साथ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए थे। आज एन.सी.आर.टी. के तमाम निदेशक भी विद्यार्थियों के लिए सिलेबस तय करते समय सरकार के निर्देशों का ही पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जिस छात्र की सोचने–समझने एवं चिंतन की धारा कुंद हो गई हो वह किसी बाहर से संचालित ज्ञान से कुछ सीख भी पायेगा कि नहीं और वो राष्ट्रहित में कुछ कर पाएगा ऐसा भी नहीं लगता है। आज राजनीतिक रूप से तथा पार्टियों की विचारधारा के आधार पर शिक्षा में कई खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं। उस प्रयोगों के ऐसे प्रभाव आएंगे जिसका खामियाजा केवल समाज को ही नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बाहर से संचालित हो रही है। हमारी शिक्षा का आर्ट डिजायन मानलो अमेरिका से तैयार होकर आता है। वहां 16–17 साल का बच्चा (अभी कल–परसों की खबर है) भी बंदूक उठाता है और 7–8 लोगों को मार डालता है। तो इससे हम भी उसी संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे खिलौने तथा हमारे मार्केट भी चीन तथा अन्य देशों के सामान से भरते जा रहे हैं। आज वो ऐसी पिचकारियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे होली के दिन पानी फेंका जाता है जिससे बच्चों को बहुत मजा आ रहा है तो वो दिन

भी दूर नहीं जब वो इस तरह की बंदूकों से गोली भी चलाने लगेंगे। हमारे देश में भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालयों तक विदेशी शिक्षा प्रणाली ही पनपती जा रही है।

आप आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं मैं, उससे पूरी तरह सहमत हूं। एक जमाने में राजऋषि पुरूषोत्तम टंडन और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे शिक्षाविद् शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में आते थे आज वहीं इस क्षेत्र में सारे ठेकेदार, माफिया, जैसे लोग आ रहे हैं इसमें 26 हत्याओं के आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंत्री तथा डी.पी. यादव जैसे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। तो क्या वे लोग शिक्षा के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं ? शिक्षा के बारे में तो वही सोचेंगे जिनका शिक्षा से संबध हो, लेकिन आज इस बारे में हत्यारे तथा माफिया लोग सोच रहे हैं। एक जमाने में हमारे देश में राज्य सभा अर्थात उच्च सदन का निमार्ण इसीलिए किया गया था कि अगर जनता मूर्ख, डकैतों तथा माफियाओं को चुन भी ले तो राज्य सभा में कुछ अच्छे लोगों तथा कुछ क्षेत्रों में नाम कमाए हुए लोगों को वहां स्थापित किया जाए जिनकी मदद से देश तथा समाज का भला हो सके। लेकिन आज माफिया तथा शराब माफिया के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति, दुर्भाग्य से मैं उनका नाम नहीं ले सकता वे , हमारी राज्य सभा के सदस्य बने बैठे हैं। अगर हमारी राजनीति में ऐसे लोग मौजूद रहे तो न केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था बल्कि हमारा सब कुछ ही चौपट हो जाएगा।

शिक्षा की तरह इन राजनीतिज्ञों ने हमारी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के साथ भी छेड़छाड़ की है। आज हम धर्म को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। राजनीतिज्ञों का अपना तो कोई धर्म नहीं है लेकिन वे औरों की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करते नजर आते हैं। आज हमारी संसद में ऐसे नेता भी बैठे हुए हैं जिनकी चार बीवी मुसलमान हैं और दो बीवी हिन्दू हैं, अब आप ही बताइए उस आदमी का क्या धर्म हो सकता है, या धर्म से उसका क्या लेना–देना हो सकता है ? लेकिन फिर भी यही लोग धर्म को एक औजार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन गोधरा कांड ने इनकी पोल खोल दी। गोधरा कांड के रूप में इन लोगों का कहना था कि इसे इन्होंने ही फैलाया है लेकिन जब इस विषय पर बनी कमेटी ने उनसे पूछताछ की तो

इन्होंने कहा कि यह तो एक साधारण दुर्घटना थी और बाद में उसका राजनीतिकरण किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये राजनीतिज्ञ तो प्राकृतिक आपदाओं पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं कि कहां आपदा घटे और हम उसका राजनीतिक रूप से प्रयोग करें। फिर चाहे सूनामी हो, भूकंप हो या किसी भी तरह की रेलवे दुर्घटना हो सभी तरह की प्राकृतिक दुघर्टनाओं में राजनीतिक रूप से लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी राजनीति से ज्ञान, ध्यान, दर्शन या चिंतन की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है।

भुवन पाठक : ये सारी पद्धतियां चाहे वो शिक्षा हो, अर्थतंत्र हो, धर्म हो या फिर स्वास्थ्य हो लगभग सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के माहौल एवं विषम परिस्थितियों में किस तरह की मुहिम चलाने की आवश्यकता है ?

हरीश मैसूरी : इस सब के लिए हर परिवार, हर मोहल्ले और हर परिवार में जागरूकता आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस सब से सभी परिवार पीड़ित नहीं हैं। पीड़ित तो हैं लेकिन उनके ज्ञान की धारा कुंद हो गई है जिससे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनके अंदर छटपटाहट तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही है और मुझे लगता है कि यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है।

भुवन पाठक : आज जब हमारे ज्ञान की धारा कुंद हो गई है, हमारी शिक्षा में केवल सूचनाएं ठूंसी जा रही हैं और हमारी राजनीति में भी दोष आ गए हैं तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें किस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है? या हमारे युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा पुरूषों को किस तरह के आंदोलन के प्रयास करने चाहिए? आपने दो शब्दों का प्रयोग किया है विद्या और ज्ञान, आप इसे क्या मानते हैं? अगर आप इसपर कुछ बोल पाएं तो हमें समझने में आसानी होगी।

हरीश मैसूरी : मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा दिया जाए और एक दिन में में हमारा आंदोलन या समाज की दशा–दिशा ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता। हम बड़े

आशावादी हैं और इसके लिए हमें साफ–साफ देखना पड़ेगा कि हम किस चिंतन से प्रभावित हो रहे हैं। गांधी जी ने एक चीज कही थी कि अगर आप किसी देश को नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करो। इस समय वो काम हो भी रहा है पूरी दुनिया में सभी देशों की अपनी–अपनी संस्कृति थी, भारत की भी अपनी स्मृद्ध संस्कृति थी। लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबको अंग्रेज बनाने पर तुली हुई है। आज अधिकतर लोग अंग्रेजों के बाल, स्टाइल तथा भाषा का प्रयोग करने लगे हैं ताकि वे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी अंग्रेज की ही तरह दिखाई दें। इससे हमारे देश की अपनी संस्कृति, वेश–भूषा, खान–पान, रहन–सहन तथा अपना चिंतन भी खत्म हो जाएगा, हम भी यंत्रवत होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह सोचने लग जाएंगे। हमें इन सभी बातों पर गहराई से विचार करना होगा। हमें अपने देश के मूल चिंतन पर विचार करना होगा। जैसे स्वामी रामदेव जैसे एक अद्ना से आदमी ने हरिद्वार में बैठकर (वो कितने सही हैं या गलत हैं इसके बारे में मैं, कुछ नहीं कहना चाहता हूं) एक रात में ही सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ड्रग माफियाओं के लिए चुनौती खड़ी कर दी। आज लोग पहले उनके प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसके लाभ या नुकसानों की गिनती करते हैं।

हम अपनी शिक्षा में भी इसी तरह के प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो हम कह रहे हैं कि पूरे कम्प्यूटर चिप्स में पूरी धरती के पांचों तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीरा मौजूद हैं लेकिन कम्प्यूटर चिप्स में इसके बारे में चिंतन करने वाला शायद ही कोई शब्द हो। पूरे मैकेनिज्म को अपने अंदर समाने वाला कम्प्यूटर इसके बारे में चिंतन करने से मना करता है और वहीं हमारा भारतीय दर्शन का चिंतन इसी पर केन्द्रित रहता है। वो किसी धर्म, जाति, भ्रम में नहीं पड़ते थे वे तो केवल मौलिक चीज को पकड़ते थे। हम क्षिति , जल , पावक , समीर , आकाश के संरक्षण के लिए उपाय करते थे कि हमारी किस तरह की वर्जनाएं, सीमाएं तथा परिवर्तन हों। हमें कब उठना, कब सोना है तथा किस तरह का चिंतन–मनन करना है इन सभी बातों की जानकारी देना हमारा मकसद होता था। ऐसे में अपराध की गुंजाइश नहीं रहती थी। लेकिन जब हमारा चिंतन दिमाग पर आधारित होकर एक ही रात में करोड़पति बनने का होता है तब हमारे लिए पूरी संस्कृति, पूरा आचार–विचार खत्म हो जाता है। आज

शिक्षा से वैल्यू खत्म करके हम वैट के पीछे पड़ गए हैं। आज हमें मौलिक चिंतन करने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी के माध्यम से हम जल, जंगल तथा जमीन के संरक्षण की बात कर पाएंगे।

हमने कभी भी हिन्दू–मुस्लिम को लड़ाने या भारत पाक सीमा बनाने के बारे में नहीं कहा, हमने अमेरिका तथा चीन की चिंता कभी नहीं की। बल्कि हमारा चिंतन तो वसुदैव कुटुम्बकम् पर आधारित रहा। आज वे भी ग्लोब विलेज की बात कर रहे हैं। उन ग्लोब विलेजों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कोकाकोला तथा पेप्सी आदि उत्पादों के लिए जगह है और जो बाकी पूर्ण रूप के गांव हैं वहां ये सब चीजों की मनाही है। विश्व में रेड क्रॉस जैसी मल्टीनेशनल अधिकारी संस्थाए थी वो आज रेड क्रॉस इंडिया, अमनेस्टी–इंटरनेशनल था आज वो अमनेस्टी–इंडिया हो गया। इस प्रकार जो संस्थांए पूरी दुनिया में काम करने के लिए एकजुट रहती थीं उन्हें काट दिया गया है। ग्लोबल विलेजों का निमार्ण भी इसलिए किया गया है ताकि सिर्फ उनकी चीजें बिक पाएं और हमारा कोई भी उत्पाद वहां न बिकने पाए इसके लिए पैटेन्ट और डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे तमाम खतरनाक प्रयोगों से गुजरना पड़ता है।

अगर मुझे वर्ष का सही ज्ञान हो तो वर्ष 1974 में एक यूपेक संगठन बना था वह तेल बेचने वालों का संगठन था। उन्होंने कहा कि हम तेल को दो रुपए बैरल क्यों बेचें हम अपने तेल को दौ सौ रुपए बैरल बेचेंगे। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय विश्व बैंक जरूरतमंद लोगों को कर्जा बांटा करता, अगर वह हमें दो करोड़ रुपया देता तो उस खबर को अखबार के फ्रंट पेज में जगह दी जाती थी लेकिन आज वह एक प्राइवेट संस्था को दो हजार करोड़ रुपया देता है तो कोई खबर नहीं बनती है। इसके कारण यूपेक देशों का जो संगठन बना, ये विश्व बैंक के द्वारा मार्केट में पैसा लगाते हैं। आज बहराष्ट्रीय तथा विश्व बैंक में कोई फर्क नहीं रह गया है, ये विश्व बैंक का मुखौटा बनकर काम करती हैं। वो मल्टीनेशनल के द्वारा पैसे को मार्केट में फेंकते हैं। ये अपनी पोलिसी के तहत् हमसे कई शर्तें मनवाते हैं और हमें उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। जब हमने कहा कि नहीं, हम ये सब नहीं चलने देंगे हम सजल धारा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जे.एफ.एम. नहीं चलाएंगे तो उन्होंने कहा कि आप सर्व शिक्षा का प्रयोग कर लीजिए। वो तो आपके अपने देश की योजना होगी। उसकी शर्तों के

अनुसार आप पहले हमसे कर्जा लो, फिर अपनी योजना निम्न नियमों के आधार पर बनाओ तो इस प्रकार ये सर्व शिक्षा वाला भी उन्हीं का छुपा हुआ एजेंडा है। इस प्रकार आज छुपे हुए खतरे बढ़ते जा रहे हैं आज हमारी सरकार बहुत सारी साजिशें चला रही हैं यहां तक कि इन योजनाओं को पूरा करने और इन्हें चलाते रहने का समय भी सरकार ही तय करती है।

इसी तरह वाशिंगटन डिसिजन का मूल उत्पाद निकला 'सजल'। आज भी हम भारत में पानी को कृष्ण भगवान समझते हैं, प्याऊ लगाते हैं और दान करते हैं। लेकिन अब वे भारत में भी पानी को एक उत्पाद के रूप में परिचय कराना चाहते हैं। लेकिन आज से पहले तक जब हमने पानी के संबध में जो विकास किए या जिन योजनओं पर काम किया तब ये सजल जैसी चीज कहां थी ? हम पहले से ही पुदीना सरसेत वगैरह लगाया करते थे, पानी को शुद्ध करने के गुण जानते थे, हमारी बहुएं शादी होने के बाद पहला काम पंदेर पूजने का किया करती थी अर्थात वो एक रस्म की तरह पानी को पूजने का काम किया करती थी। वहां के लोग पत्थरों के सीने को चीरते हुए मीठे पानी को निकाला करते थे उस समय यह सजल तो नहीं हुआ था। आज सजल के नाम से हमारे ऊपर विश्व बैंक का कर्जा चढ़ गया है। उसके लिए आज ऐसे खतरनाक नारे दिए जा रहे हैं कि कोई भी सामान्य आदमी उन नारों से भ्रमित हो सकता है। आज हमारे सारे गांव सजल के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। उन गांवों की सभी जानकारियां जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैस, मिट्टी, पत्थर तथा गोबर के साथ–साथ वहां कितने पत्ते झड़ते हैं, इन सब के भी आंकडे तैयार करके वन संस्थाओं तथा इससे संबधित अन्य संस्थाओं से कई बार जांच कराकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दिए जाते हैं। आज लगभग पूरी दुनिया के कम्प्यूटरों में वो जानकारियां पहुंच चुकी हैं और वे लोग अपने लाभ के लिए उन आंकड़ों का प्रयोग करते आ रहे हैं।

भुवन पाठक : आज गांवों में होने वाले आर्थिक सुधारों को जांचने के लिए एक और सर्वे हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

हरीश मैसूरी : हमारे सामने बड़ा खतरनाक प्रयोग हो रहा है वे पानी को बेचने का काम कर रहें हैं और हमें कहा जा रहा है कि तुम्हारा सजल हो रहा है। उसी तरह से ज्वाइंट फॉरेस्ट

मैनेजमेंट काम कर रहा है। पहले हम लोगों ने जंगल के आंदोलन चलाए, अपने जंगल बनाए, अपना प्लॉट बचाया और हम लोग जल निधीकरण के पोषक भी रहे हैं। हमने धरती को पंच वृक्षों की पूजा का विचार दिया। हमने पूरी दुनिया को तुलसी का विचार दिया जबकि तब हमारे पास वन प्रतिबंधन की योजना भी नहीं थी। उस समय हम अपने जंगलों को बचाने की शिक्षा नहीं देते थे लेकिन फिर भी हम लोग अपने वनों को बचाने का प्रयास तो करते ही रहते थे और साथ ही साथ पेड़–पौधों को भी उगाते रहते थे। इसके अलावा हम जंगलों में खेती करने का काम भी करते रहते थे।

भुवन पाठक : भले ही वन प्रबंधनों से जंगलों को नुकसान हुआ हो लेकिन उससे पैसा तो आया ही है ?

हरीश मैसूरी : हमारी ग्रामीण भारतीय संस्कृति को आज टी.वी. और इंटरनेट ने छिन्न–भिन्न कर दिया है। भारतीय संस्कृति में और कुछ हो न हो, लेकिन उसमें अपनी धरती, अपने पर्यावरण तथा अपने लोगों के प्रति चिंतन अवश्य था। जबकि आज प्रसारित बहुराष्ट्रीय संस्कृति में आम आदमी, हमारी धरती तथा उसके पर्यावरण के विषय में कोई चिंतन नहीं है, उसका तो केवल एक ही चिंतन है अपना लाभ और अपने अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करना। वो सोचते हैं कि आज हमारा लाभ चार सौ करोड़ है तो अगले साल दुगना होकर आठ सौ करोड़ होना चाहिए।

जब हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री के समय में अकाल पड़ा और हम भुखमरी के कगार पर थे तो उस समय हमारे देश में आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से लाल गेहूं और आटा आता था। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी कई चीजें आ रही हैं जिन्हें भारत में भी पैदा किया जाता है और किया जा सकता है लेकिन अन्य शक्तिशाली देश हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए इस तरह के प्रयोग करते जा रहे हैं। विदेशी मुल्कों की इन्हीं नीतियों के चलते कनाडा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसे में हमारी सरकारों को सही समय पर चेतना होगा और एक बार फिर हमारे

देशवासियों को कुर्बानी देनी होगी। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। नहीं तो वन प्रबंधन से विकास कम और विनाश अधिक हो जाएगा।

भुवन पाठक : एक और सवाल अभी उत्तराखण्ड की अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया है लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गैरसैंण को उसकी स्थायी राजधानी बना दिया जाए इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

हरीश मैसूरी : इस बारे में एक बड़ा कुतर्क दिया जा रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि आज इंटरनेट का जमाना है तो चाहे उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण कहीं पर भी बना दी जाए हम इंटरनेट के माध्यम से अपना काम चला लेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप कहीं से भी डील कर लेंगे तो गैरसैंण से ही क्यों नहीं कर लेते और गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दीजिए।

गैरसैंण को राजधानी बनाने में आम जनता भी सहमत है। वहां के आम आदमी ने उत्तराखण्ड राज्य मिलने से पहले ही गैरसैंण को वहां की राजधानी घोषित कर दिया था और राज्य के लिए आंदोलन बाद में लड़ा गया। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने गैरसैंण के चन्द्र नगर में राजधानी का शिलान्यास भी कर दिया था और बीजेपी ने वहां अपना शिक्षा कार्यालय भी खोला ताकि कल राजधानी बनने पर इसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन आज कुछ–कुछ दल इसे राजधानी बनाने पर मुकर गए हैं और खासकर हमारी वर्तमान सत्ता के अध्यक्ष कहते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए लेकिन पार्टी और सरकार कुछ और ही कह रही है उसके लिए उन्होंने आयोग का गठन कर दिया है और उसके कार्यकाल को बढ़ाते जा रहे हैं। वे राजधानी के विषय को पांच साल तक लटकाते रहना चाहते हैं जबकि उत्तराखण्ड की पृथक राज्य के रूप में घोषणा करते समय उन्होंने कहा था कि तीन महीने के अंदर गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा। अगर गैरसैंण को राजधानी बना दिया तो उत्तराखण्ड का विकास अपने–आप ही हो जाएगा। चारों तरफ सड़कें बनेंगी, ढाबे खुलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ता जाएगा।

अंग्रेजों ने पौड़ी, नैनीताल तथा मसूरी जैसे शहर बसाए तो क्या हम, त्तराखण्ड के लोग शहर बसाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हमें इस सब के लिए एक बार फिर से आंदोलनकारी शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। आज हमें शराब के खिलाफ तथा गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में एकजुट हो जाना चाहिए। बस में यही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद !

पी सी. तिवारी का साक्षात्कार

साक्षात्कारकर्ता : भुवन पाठक

भुवन पाठक – पी.सी. दा मैं सैडेड के साथ जुड़ा हूं और उनकी ओर से ही मैं, आपसे बात कर रहा हूं। हम दो–तीन साथी मिलकर एक कार्यक्रम चलाते है जिसमें पूरे दक्षिण एश्याई क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित करने के विषय में संवाद स्थापित किया जाता है।

आप पिछले तीन दशकों से उत्तराखंड समेत लगभग सम्पूर्ण देश में राजनैतिक और सामाजिक कामों में सक्रिय रहे हैं इसलिए मैं, चाहता हूं कि आप अपना पूरा परिचय देते हुए अपने छात्र जीवन से आज तक के कार्यक्रमों के बारे में हमें बताएं ?

पी.सी. तिवारी – मेरा कोई खास परिचय नहीं है। मेरा जन्म अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव घुंगोली में हुआ। यह गांव बछवाड़ा ग्रामसभा का हिस्सा है। उसके बाद पढ़ने के लिए पिताजी के साथ कभी यहां और कभी कहां घूमते ही रहे। बाद में मैं, द्वाराहाट में पढ़ने गया, मैंने, अपनी इंटर की पढ़ाई बरेली से की, उसके बाद मैंने कुमांऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहीं से छात्र राजनीति के माध्यम से मैंने सामाजिक जीवन की शुरूआत की। हमने ग्रामीण छात्रों को एकजुट किया और एक संगठन बनाया। इसके माध्यम से हमने जंगल, शराब, पहाड़ तथा महिलाओं के मुद्दों को उठाया और इस विषय को लोगों में जागरूकता फैलाई। इन आंदोलनों के दौरान हमें कई अच्छे अनुभव प्राप्त हुए और हमारे मन में यह विचार पैदा हुआ कि हम लोग साधनों के बिना भी जनता के साथ रह सकते है, जी सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसी दौर में हमने नंद प्रयाग की यात्रा में भाग लिया जिसमें हमने यह तय किया कि अब हम अपनी चिट्ठी–पत्रियों में उत्तर प्रदेश शब्द की बजाय उत्तराखण्ड शब्द का प्रयोग करेंगे।

भुवन – ये किस समय की बात है ?

पी.सी. तिवारी – ये करीब अक्टूबर 75 की बात है। उसी समय यहां बहुत सक्रियता थी। चेतना ट्रेनिंग ट्रस्ट की स्थापना भी लगभग उसी समय हुई। हम कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते थे और इसके लिए हमने अखबार निकालने का प्रयास किया ताकि सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। उस समय हमने ' चेतना एक परिचय' नाम का परचा निकला। उस छोटे से छापेखाने में लोग यह सोचकर काम करते थे कि इससे एक परिवर्तन का माहौल बनेगा। 1980–81 में ही हमने 'जंगल के दावेदार' का प्रकाशन भी शुरू किया जिसके प्रकाशन की जिम्मेदारी मुझे दी गई। आठ साल तक मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस अखबार का संपादन किया।

भुवन पाठक – उस समय 'जंगल का दावेदार' किन मुद्दों पर ज्यादा बात उठाता था ?

पी.सी. तिवारी – 'जंगल के दावेदार' के साथ महाश्वेता जी ने भी काम किया जिन्हें बंगाल साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उसमें आदिवासी लोंगों के लिए बहुत काम किया गया है। भदौरिया जी के एक प्रसिद्ध उपन्यास के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह परचा जनाधिकारों के प्रति बहुत सक्रिय था। ये दमन खासतौर से सत्ता और प्रशासन की ओर से होने वाले दमन तथा माफिया, ठेकेदारों, प्रशासन और राजनैतिक गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाता था। यह आम लोगों, गरीब, मजदूर लोगों के विकास के बारे में बात करता था। उस समय भ्रप्टाचार व्यापक रूप में बढ़ता जा रहा था, जंगलों की लूट हो रही थी। लीसा लकड़ी और शराब आदि के तस्करों की राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी जिससे वो अपना काम आासनी से कर सकते थे। लेकिन यह पर्चा लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता रहा।

उस समय उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी का गठन हुआ और बाद में वो टूट भी गई, यह पर्चा उसके बारे में भी प्रमुखता से प्रकाशित करता था। यह स्थानीय न होकर स्थायी था। इस पर्चे का देश में अच्छा प्रभाव पड़ा।

मुझे याद है महाश्वेता जी ने उसमें लेख लिखा था। गोण्डा के एक प्रसिद्ध कवि अधम गौण्डवी जी का भी उसमें जुड़ाव था। पूरे देश में सत्ता के दमन के खिलाफ जो प्रतिकार होते थे उन्हें भी उसमें शामिल किया जाता था उसमें 'मैं देखूं आंखन की देखी' नाम का एक कॉलम हुआ करता था उसमें उन सब बातों को शामिल किया जाता था जो कुछ हम देखते और सोचते थे वो शामिल किया जाता था। उसने आठ साल तक अच्छा काम किया और अपना प्रभाव जमाया। ये बात ठीक थी कि उसको विज्ञापन नहीं मिलता था और उसके लिए कोशिश भी नहीं की जाती थी। उसके बाद हिमालयन कार रैली चली, कुछ प्रैस का असर भी हुआ और वर्तमान में वो बंद हो गया है।

भुवन पाठक – वाहिनी की स्थापना कब हुई थी ?

पी.सी. तिवारी. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों ने छात्र दल को अपने साथ मिलाकर ग्रामोत्थान दल का निमार्ण किया था, उसके बाद पर्वत युवा मोर्चा और इधर गोपेश्वर में हमारे साथियों के दो–तीन संगठनों ने मिलकर 1977 में वाहिनी का गठन किया।

भुवन – क्या ये इमरजेन्सी की दौड़ थी ?

पी.सी. तिवारी – नही ! इमरजेन्सी जून 75 से 77 के बीच में थी और उस समय तक वह खत्म हो चुकी थी। अक्टूबर में हमने अनेक पदयात्राएं और कार्यक्रम किए। इन लोगों ने कटारमल में जहां आज पिरामिड संस्थान है वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांटेशन कैंप लगाया जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी भी आए थे। हम लोग बाहर से दीवार बनाते थे। हमने 5072 रुपये लागत से 552 मीटर ऊंची दीवार बनाई। उस प्लांटेशन कैंप से जो मेहनत का पैसा आता था उससे शिविर का खर्चा चला और उस शिविर में देश के खिलाफ संघर्ष करने और जनता के अधिकारों की पुर्नस्थापना करने के लिए दिन–रात सामाजिक और राजनैतिक बहसें

की जाती थीं। इस शिविर का मुख्य मकसद यही था और इमरजेन्सी की दौड़ भी उसी मकसद के लिए की जा रही थी। उस समय उमा और विपिन दा गिरफ्तार हो गए। मुझे आज भी याद है जब विपिन दा की गिरफ्तारी हुई उस समय मैं अल्मोड़ा से गया था। वहां सुमन सिंह जैसे कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें मौन जलूस निकाला गया था और लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। उस दिन मैं अपने गांव जा रहा था, रास्ते में द्वारहाट में मेरी मुलाकात विपिन त्रिपाठी जी से हुई और अगले दिन हमने वहां सभा का आयोजन किया, जैसे ही हम वहां से आ रहे थे तभी रास्ते में विपिन दा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौड़ में तकुलटीव, बगवाली पोखर आदि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया। इन क्षेत्रों के युवाओं ने खासकर लामगढ़ा के युवाओं ने नाटक टोली बनाई और नाटकों का आयोजन किया। इन नाटकों में धोनी जी ने भी हमारा साथ दिया, ये नाटक इतने प्रभावी थे कि इन्होंने लगभग सभी लोगों को प्रभावित किया।

भुवन पाठक : उस विषय में मैं, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं कि पी.सी. दा का प्राकृतिक संसाधनों का सवाल पहाड़ की लड़ाई में एक आहार का काम कैसे करने लगा ?

पी.सी. तिवारी : उस समय हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों पर रोजगार की मांग की थी। क्योंकि हमें शुरू से ही यह लगता था कि प्राकृतिक संसाधन किसी ठेकेदार, पूंजीपति, वन विभाग के अधिकारी या किसी सरकार ने नहीं बनाए हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने उन पर अपना एकाधिकार किया और यदि सरकार उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आम जनता की भलाई के लिए नहीं करती तो उनका विरोध तो होना ही था। सरकार ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उन्हें प्रभावशाली लोगों को हस्तांतरित कर दिया। तभी से हमारे समाज में उसके खिलाफ संघर्ष जारी है। यह संधर्ष आजादी के दौर में तथा उसके बाद भी कायम था।

जब हम सामाजिक जीवन में आए तो उस समय एक दूसरे ही किस्म का समय था। भारत की आजादी से पहले जो सपने देखे गए थे वो धीरे–धीरे बिखर रहे थे। लोगों को लगता था कि आजादी खुशहाली लाएगी, बराबरी लाएगी, लोकतंत्र में हमें वोट देने का जो अधिकार मिला है उससे चुनकर आयी सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं

हो पाया। अब तक भी अंग्रेजों की व्यवस्था ही काम कर रही थी। 1971 से लोगों के भ्रम टूटते जा रहे थे और जगह–जगह आंदोलनों का दौर जारी था। आपको याद होगा जयप्रकाश का आंदोलन, गुजरात का छात्र आंदोलन और युवा आंदोलनों की देखा–देखी उत्तराखण्ड में भी जंगल आंदोलन हुआ। हम लोग भी उसी आंदोलन में शामिल थे। हम लोगों ने साफ–साफ कहा कि हम सरकार द्वारा जंगलों को निलाम किए जाने के खिलाफ खड़े हैं।

सरकार के इस प्रक्रम के कारण हमारे सामने रोजगार का सवाल खड़ा हो रहा था। सरकार जंगलों को नीलाम करती जा रही थी इससे ठेकेदार अरबपति और खरबपति होते जा रहे थे और हम लोग बेरोजगार। इसके खिलाफ हमने नारा भी दिया था कि पर्वतीय सम्पदा से रोजगार पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। हमें याद है कि हमने जागेश्वर में संघर्ष वाहिनी की एक महत्वपूर्ण बैठक की, उसमें हमने तय किया कि हम किसी भी कीमत पर पहाड़ में कच्चे माल की आवाजाही नहीं होने देंगे। हमने सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा कि हम सरकार को किसी भी कीमत में कच्चा माल बाहर नहीं ले जाने देंगे, अगर वे चाहें तो प्रोसेस माल ले जा सकते हैं क्योंकि इससे पहाड़ में रोजगार पैदा होगा जिससे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने इसी संघर्ष के लिए हमने 9–10 अप्रैल 1978 को 24 घंटे का ट्रक जाम किया। उस समय वे लोग पहाड़ के जंगलों से बहुत सा कच्चा माल बाहर ले जा रहे थे, हमने उन ट्रकों को कई स्थानों पर रोका। भंवाली में तो बहुत बड़ा जाम हुआ जिसमें निर्मल जोशी, पुष्पा जोशी और तरूण जोशी आदि लोगों ने भी भाग लिया। अल्मोड़ा के करबला तिराहे पर भी ट्रक जाम हुआ, अल्मोड़ा के माल रोड़ पर भरे हुए ट्रकों से, सामान नीचे उतार दिया गया।

ट्रक जाम का यह आंदोलन इससे पहले चले खाली परचे बांटने की प्रक्रिया की अपेक्षा बहुत अधिक सफल रहा। इस तरह के आंदोलन से उत्तराखण्ड में एक नई तरह की हलचल पैदा हुई, नौजवानों में गजब का आत्मविश्वास और संघर्ष की प्रेरणा भर गई। क्योंकि हम अपने जल, जंगल और जमीन को हमारे अपने संसाधनों के रूप में देखते थे और उनपर सरकार की ऐसी मनमानी हमारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आयी। उस मनमानी के

खिलाफ, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ फिर चाहे वो वन विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता ही क्यों न हों, हमारे नौजवानों ने उनका जमकर विरोध किया।

भुवन : पी.सी. भाई! अभी की जो परिस्थितियां हैं, उनमें एक ओर तो स्थानीय लोगों के संसाधनों के अधिकार का सवाल है और दूसरी ओर वैश्वीकरण के दौर में आज जो भौगोलिक और जातिगत परिस्थितियों से पूरी प्राकृतिक संपदा को जो खतरा हो रहा है खासतौर से हिमालय को व्लर्ड हैरिटेज बनाने की जो तैयारी चल रही है , आज की परिस्थितियों में आप उसे किस रूप में देखते हैं ?

पी.सी. तिवारी : यह भी लड़ाई का हिस्सा है बस इसका रूप बदल गया है। पहले ठेकेदार, नौकरशाह और राजनेताओं का गठजोड़ था और आज यह गठजोड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, आज यह गठजोड़ ज्यादा व्यापक हो गया है। आज हमें लगता है कि पहले जो राजनेता लोग थे उनका महत्व कायम था क्योंकि तब उनकी लोकसभा और राज्य सभा में थोड़ी प्रभुसत्ता बची होगी लेकिन आज वो प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है। आज वैश्वीकरण की दौड़ में सभी संसाधनों पर सम्राज्यवादी देशों का कब्जा होता जा रहा है जो कि एक तरह का सम्राज्यवाद ही है। आज सीधे तौर पर शासन नहीं हो रहा है, आज किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को सीधे राज करने की जरूरत नहीं है आज आपके पास ढ़ांचा तो आपका ही है लेकिन राज किसी और का चलता है। आज से पहले तक ऋण चाहने वाले को अपनी जरूरतों के बारे में पता होता था कि उसे किस चीज के लिए और कितना ऋण चाहिए, ऋण चुकाने की उसकी कितनी क्षमता है, और वह किस तरीके से ऋण चुकाएगा आदि लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वैश्वीकरण के कारण बाहरी कंपनियां तथा देश इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं कि वे यह तय करते हैं कि आपको शिक्षा के लिए, स्कूल की बिल्ड़िंग के लिए, सर्वशिक्षा के लिए और अस्पताल की बिल्डिंग आदि के लिए ऋण चाहिए। इस प्रक्रिया के चलते हमारा काफी पैसा बर्बाद हो रहा है अब जैसे अल्मोड़ा में ही देख लीजिए, वहां 100 साल पुराना एक अस्पताल था जिसे थोड़ी सी मरम्मत के बाद उसे और 100 साल तक चलाया जा सकता था लेकिन उन्होंने तय किया कि इस इमारत को मिटाकर पांच मंजिला इमारत बनानी चाहिए, जिसमें पांच से सात करोड़ रुपये खर्च हुए। तो आज ऐसी

स्थिति आ गई है कि हमारी सरकार और प्रशासक केवल एक ऐजेंड की भूमिका में ही रह गए हैं। आज हमारी जरूरत न होते हुए भी हमें कर्जा दिया जा रहा है, यह पैसा विश्व बैंक के माध्यम से आ रहा है। उसी तरह इनके कारण हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये बड़े लोगों के बीच का सौदा है जिसमें देश में कई विदेशी कंपनियां अपनी नई तकनीक और अपने नए व्यवसाय ला रही है इनमें आम आदमी का सरोकार खत्म हो गया है लेकिन इससे नुकसान तो आम आदमी को ही हो रहा है। एक तो उसके पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है और दूसरे मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण ने रोजगार की संभावनाओं को खत्म सा कर दिया है।

भुवन पाठक : आप जो बात कह रहे हैं, वे बातें लोकतंत्र के घोषित मूल्यों से परस्पर विरोधी लगती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है ?

पी.सी.तिवारी : जी! ये परस्पर विरोधी हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है ही नहीं यह तो लोकतंत्र का ढकोसला है। अगर लोकतंत्र अपने उचित रूप में होता तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं होता। लोकतंत्र में साधारण लोग को यह अधिकार होता है कि वे अपना फैसला स्वंय करें। लेकिन आज जब हमारी संसद, विधान सभा को ही इस बात के बारे में पता नहीं है कि हमारी किस परियोजना के लिए बाहर से कितने पैसे आ रहे हैं, पानी की कौन सी परियोजना आ रही है, हवा के सवाल पर कौन सी परियोजना आ रही है और जंगल के सवाल पर कौन सी बात हो रही है आदि। जब हमारे विधायकों को ही इस बात की जानकारी नहीं है तो साधारण लोगों की परवाह कौन करेगा ? आज भारत सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण की दौड़ में डब्लू.टी.ओ. और विश्व बैंक के साथ कई समझौते किए हैं जिनका सीधे तौर पर पालन हो रहा है और जब हमारे देश की संसद ही संप्रभु नहीं हैं तो ऐसे में लोकतंत्र का क्या अर्थ ? आज हमारा लोकतंत्र उन चंद लोगों का लोकतंत्र बनकर रह गया है जो वोट नहीं देते हैं। अगर हम भारत की जनसंख्या को 100 करोड़ मानें तो समझ लीजिए तो उसमें से कुछ नाममात्र के लोगों को ही इस लोकतंत्र का लाभ मिल रहा है। सबकुछ उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा भी उन्हीं लोगों के पक्ष में हो रहा है। आज विकास के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। सड़क बन रही है, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, नई–नई

तकनीकें और उत्पाद आ रहे हैं लेकिन उसके लाभांश में आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं है। अगर हम उत्तराखण्ड के गांवों को ही देखें तो वहां कहने को तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वहां के लोगों के पास किसी भी तरह के अधिकार नहीं रह गए हैं। लोकतंत्र का विकास निर्णय की अवधारणा पर खड़ा होता है लेकिन जब आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही निर्णय नहीं ले सकते हैं तो ऐसे में आम आदमी के अधिकारों के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी मंत्री या विधायक से बात कर लीजिए वो अपने–आपको मजबूर साबित करने पर लगे रहते हैं। उत्तरांचल कांग्रेस में भारक सिंह प्रकरण की जांच को लेकर उठा–पटक जारी है। सुनने में आ रहा है कि उसकी जांच हो गई है लेकिन जब मैंने कई विधायकों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो विधायक दल की बैठक ही नहीं होती है ऐसे में हम अपनी बात कहां रखें ? विधायकों को अपनी बात को विधान सभा में रखने का ही मौका नहीं मिलता है, उन्हें अनुशासन का डंडा, पार्टी का डंडा आदि तमाम चीजों को ध्यान में रखना होता है जिससे वे अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं। विधायक दल की बैठकें तो होती नहीं हैं जो अपनी बात को वहां रख सकें इसलिए लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होती है। कुछ सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता मौजूद हैं तो उनका तो रोजगार है, उन्हें वेतन तो मिल ही जाएगा और थोड़ा कमीशन भी मिल ही जाएगी। जब विधान सभा और संसद की ऐसी स्थिति हो तो लोकतंत्र किसको कहेंगे ? सारे फैसले नौकरशाह ही लेते हैं, विधायक, विधान सभा में कुछ काम नहीं करते हैं यहां तक कि हमारे विधायकों को यह तक पता नहीं होता है कि कौन सा कानून पास हो रहा है ? बिना पढ़े, बिना देखे और बिना बहस के कानून पास हो रहे हैं। हमारे तमाम विधायक उत्तरांचल विधान सभा में मौजूद हैं लेकिन फिर भी वो सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सके। आज कई लोग अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी बातों पर नौकरशाही विचार करती है लेकिन वो किस आधार पर विचार करती है उसका कुछ पता नहीं है ।

भुवन : राज्य आंदोलन काफी समय से चला आ रहा है। आप भी पिछले दो दशक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। पृथक राज्य बनने से पहले

उत्तराखण्ड के आम आदमी ने राज्य में अपनी भागीदारी को लेकर जो सपने देखे थे, उन्होंनें शासन में अपनी भागीदारी और उसके संचालन में अपनी हिस्सेदारी को लेकर जो कुछ सोचा था वो, राज्य बनने के पांच साल बाद किस हद तक पूरा हो पाया है ?

पी.सी.तिवारी : उत्तराखण्ड के साथ विपरीत व्यवहार ही किया जाता है। ये सही है कि उत्तराखण्ड की पर्वतीय परिस्थितियां भिन्न हैं। पहाड़ का भूगोल, समाज, संस्कृति और वहां की परेशानियां अन्य स्थानों ही अपेक्षा भिन्न हैं। वहां की परिस्थितियां अपने लिए विशेष ध्यान की मांग कर रही थीं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि दिल्ली में बैठी सत्ता को वहां से कुछ लेना–देना नहीं था। जब वहां से चुनकर गए नेता भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो उनका भ्रम टूट गया

1974 से जंगलों को लेकर बंद का आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि पहले पहाड़ के जिलों में संचार बहुत ही कम होता था यहां तक कि एक जिले से दूसरे जिले की बातें भी नहीं हो पाती थी, लोग एक–दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। ग्रामीण लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, जैसे उनकी चिंताएं बढ़ती गई तो वहां के लोगों ने जंगल की गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। गढ़वाल, कुमाऊं के कार्यकर्ताओं के बीच एकता कायम हुई और उस एकता ने पहाड़ में एक नई तरह की संघर्ष की भूमिका तैयार हुई। उसके कुमाऊं, गढ़वाल के छात्र आंदोलनों ने ट्रक जाम का कार्यक्रम किया। आज से पहले तक हमारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने आम जनता को अपने स्वार्थों के लिए धर्म के नाम पर और अन्य भेदभावों के आधार कि यह गढ़वाल का है यह कुमाऊं का है आदि के आधार पर जनता में घृणा पैदा करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को 1974–1975 के बाद टूटना शुरू हुआ और 1977 के आते–आते उसमें भारी बदलाव आने शुरू हुए। हम लोगों ने 77 में गिलानी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सरकार ने 77 में जंगलों की नीलामी की, तब हमने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। उसी समय नैनीताल में 6,7,8 अक्टूबर में कई लोग गिरफ्तार हुए और हमारी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही हजारों लोगों ने हमें आकर छुड़वा लिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के चंद्रवन जी थे उन्होंने जिद करके फिर से नैनीताल में 27–28 नवम्बर को नीलामी रखी। लेकिन उसके बाद उसके विरोध की भूमिका तैयार हुई। इस विरोध का

पुलिसिया दमन हुआ, नैनीताल क्लब में सारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में मैं, अल्मोड़ा में बी.ए. कर रहा था वहां मैं, कैंपस का प्रसिडेंट हो गया, जहां से हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन के दौरान हमने जोशी मठ और तमाम इलाकों में प्लांटेशन कार्यक्रम किया और नए जंगल लगाए। उस आंदोलन में हमारे साथ चंडी प्रसाद जी भी शामिल थे। उसमें एक ओर तो जंगल लगाए जा रहे थे और दूसरी ओर छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। हमने 15 फरवरी 1977 को हल्द्वानी में एक सम्मेलन बुलाया, छात्र संघर्ष समिति का गठन भी वहीं पर किया गया जिसका संयोजक मुझे बनाया गया। 16 फरवरी 1977 को पहली बार हल्द्वानी में कोतवाली के सामने बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महेन्द्रपाल, निर्मल जोशी आदि कई साथियों को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में बंद किया गया। 23 या 24 फरवरी को पहली बार उत्तराखण्ड बंद हुआ। वो पहला ऐसा बंद था जिसका प्रभाव देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक हुआ। जिसमें बहुत से छात्र नेता अंडरग्राउंड तक हुए। इस आंदोलन में पुलिस के साथ सीधी–सीधी टक्कर हुई थी, यह उत्तराखण्ड का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की एकता स्पष्ट दिखाई दी।

चाचरी हाट, अल्मोड़ा हाट और अल्मोड़ा क्षेत्र में अंदोलनों ने बहुत अधिक जोर पकड़ा। वहां लोगों ने अपने जंगल से काटी हुई लकड़ी को पंथ निगम के पास नहीं जाने दिया। उस दौरान चले छात्र आंदोलनों में पुलिस ने लाठी चार्ज तक करवाया लेकिन वो इतना बड़ा संगठन था कि हम लोगों ने अंततः 15 मार्च को 'नैनीताल चलो, और पुलिस राज का आतंक तोड़ो' नाम का एक कार्यक्रम किया। 15 मार्च को नैनीताल में उत्तराखण्ड के छात्र नौजवानों ने वहां के जिलाधिकारी का घेरावा किया और गिरफ्तारियां दी। हम लोगों पर बहुत सी धाराएं लगाकर हमें हल्दवानी जेल में बंद कर दिया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। हमारी गिरफ्तारी को लेकर जेल में बहुत जबरदस्त विवाद हुआ, जिससे बचने के लिए पुलिस हमारी जमनात करवाना चाहती थी और हम जमानत लेना नहीं चाहते थे लेकिन फिर पुलिस ने हमारी फर्जी जमानत करके हमें आजाद कर दिया। हमने जमानत पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उन दिनों उत्तरा उजाला नामक अखबार ने हमारे साथ होने वाली हर बात को अखबार

में छापा और हमारी बातों को प्रचारित किया। हमारी जमानत फर्जी हुई थी इस कारण पुलिस ने हमें एक साल बाद गिरफ्तार किया गया।

इस बीच फतलीगढ़ में मजदूरों के साथ गोली कांड हुआ जिसके खिलाफ हमने अल्मोड़ा में आंदोलन किया जिसमें हम लोगों के साथ लगभग सभी छात्र संघ शामिल थे। उसके बाद ट्रक जाम का दौर चला, इस प्रकार यह पहला मौका था जब नौजवान पूरी तरह से पहाड़ के सवाल पर संगठित हो गए, आज भी लोग उस आंदोलन को उत्तराखण्ड आंदोलन की नींव मानते हैं। उसीका लाभ उठाकर उत्तराखण्ड क्रांति दल के नाम से पार्टी का गठन करने की कोशिश की गई। हम इस पार्टी को इतनी जल्दी बनाने के पक्ष में नहीं थे, हमने कहा भी था कि अभी कोई दल खड़ा नहीं होना चाहिए पहले लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे इसलिए उन्होंने उत्तराखण्ड क्रांति दल का गठन किया। लेकिन मेरा आज भी यह मानना है कि उत्तराखण्ड क्रांति दल को साथ लेकर जो आंदोलन लड़ा गया वो मूलतः आंदोलन नहीं था। इसलिए यह आंदोलन समय–समय पर गड़बड़ाता गया और एक जड़ नहीं पकड़ पाया। ऐसा इसलिए हुआ कि नाम तो इन लोगों का चला लेकिन उस दौरान की मुश्किलें साधारण लोगों ने झेली थीं। पार्टी के स्तर पर इन लोगों का नाम लिया जाता था लेकिन वो कभी आंदोलन के स्तर पर शामिल नहीं हुए। इस प्रकार उसकी स्थापना में ही मुझे विशुद्ध राजनीति का आभाव दिखाई देता है।

भुवन पाठक : पी.सी. दा जी राज्य के निमार्ण से पहले उस दौर की जो भावनाए, अपेक्षाएं और सपने थे क्या राज्य बनने के बाद वो पूरे हो पाए हैं ?

पी.सी. तिवारी : हम लोग इस बात को जानते थे कि जब तक आम जनता एक व्यापक संगठन के रूप में खड़ी नहीं होगी तब तक एक प्रबल आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। पृथक राज्य को लेकर पूरे देश में और पहाड़ में व्याकुलता थी, उस व्याकुलता को लेकर पहाड़ के लोगों ने 22–23 अप्रैल 1983 को अल्मोड़ा में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर पेशावर खान स्मृति में सम्मेलन किया उसमें पूरे देश से लगभग 400 लोग एकत्र हुए। वहां इस बात को महसूस किया गया था कि उत्तराखण्ड में बहुत उदासी है और जब तक वहां के सभी लोगों

को जोड़कर एक आंदोलन खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक वहां की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो सकता। उसी दौड़ में पहाड़ के जिन–जिन क्षेत्रों में लोगों के साथ अत्याचार हुए थे वो लोग अपना–अपना एक–एक संगठन बनाकर एकत्र हो गए और उन संगठनों ने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। फिर धीरे–धीरे वहां के कई लोगों ने इस आंदोलन को उठाना शुरू कर दिया।

मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के

समाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार : कामेश्वर बहुगुणा का साक्षात्कार

SADED/CSDS Part-II

सवालः– आप अपना परिचय दीजिए ?

कामेश्वर बहुगुणा : मेरा नाम कामेश्वर बहुगुणा है। मेरा जन्म चम्बा के पास साबुली गांव में हुआ। हमारे परिवार के अधिकतर लोग पौड़ी गढ़वाल के किंगसार गांव में रहे, मेरे दादाजी भी वहां रहते थे इसलिए मैंने बचपन के कुछ वर्ष उन्हीं के साथ बिताए। हमारा पुरोहितों का परिवार होने के कारण हमारे घर में पुरोहित के काम के साथ पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन भी होता था। हमारे दादाजी खूब अध्ययन –मनन करते थे इसलिए हमें उस सब का थोड़ा बहुत परिचय हुआ। उन दिनों हम बच्चे थे जब ब्रिटिश गढ़वाल में कांग्रेस का आंदोलन चला करता था हम लोग कांग्रेस के नारे सुना करते थे। हम लोग कापियों के पन्ने फाड़कर झंडा बनाकर घुमाया करते थे। उन दिनों हमारे गांव में रामलीला होती थी स्वभाव से मेरा कंठ बहुत अच्छा था इसलिए मैं बहुत बढ़िया गाता था। महिलाएं मेरे मुंह से रामायण का पाठ सुनकर बहुत आन्नद विभोर हो जाया करती थी। मैं रामलीला भी खेलता था और अक्सर वहां राम और लक्ष्मण का पाठ किया करता था एक बार संयोग से हमको रंग पोतकर और पूंछ लगाकर हनुमान बना दिया। जब हमारी दादी को इस बात का पता चला तो वह हमपर बहुत बिगड़ी कि ब्राह्मण के बेटे को बंदर बना दिया और उसके साथ वह यह भी कहने लगी कि सत्यानाश हो इस गांधी का जिसने इस देश में ब्राह्मण और अब्राह्ममण का भेद ही मिटा दिया। संयोग से मैंने गांधी का नाम पहली बार सुना था उसे सुनते ही मेरे मन में ये सवाल आया कि हनुमान और गांधी में क्या संबध है? मेरी दादी मुझे आधे ही पाठ में उठाकर ले आई और कहने लगी कि राम और लक्ष्मण का पाठ तो ठीक है लेकिन हनुमान बनाना बहुत गलत बात है। वो नीच योनि का था और हम तो ब्राह्मण हैं। वे कहने लगी कि कांग्रेस में ये जो

गांधी नाम का नेता है वो सबसे यही कहता फिरता है कि सभी जातियों में कोई भेद नहीं होता, कोई ऊंच–नीच नहीं होती।

ये सब बातें मेरे दिमाग में जम गई। उसके कुछ दिनों बाद में अपने पिताजी के पास साबुली गांव में वापस आ गया। हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव में हुई। हम लोग ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए भी हमारे गांव में भी पुराने रिवाज के अनुसार नवरात्र में भैसें काटने का रिवाज था। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि भला ये कैसा रिवाज है, ये कैसे देवता हैं जो भैंसें कटवाते हैं। उन भैसों को कटाने से पहले उन्हें खाना तो दिया जाता था लेकिन वो बहुत थोड़ा सा और जब वे उस खाने को खा रहे होते थे तो तब उनकी गर्दन पर तलवार से वार किया जाता था। जब वह भागता था तो लोग उसके पीछे तलवार लेकर भागते थे कोई उसकी टांग पर वार करता था तो कोई पीठ पर मारता था। इन दृश्यों को देखकर हमें लगा कि भला ऐसा भी कोई देवता हो सकता है? अगर कोई, ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिए। हमने बाल–सभा नाम से गांव में बच्चों का एक संगठन बनाया वो संगठन पशु बलि के खिलाफ आवाज उठाता था।

उन दिनों वहां एक और प्रथा थी जब कोई भैंस नर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे को दूध ही नहीं दिया जाता था और पैदा होते ही उसको झाड़ी में फेंक देते थे। वो सब हमें अच्छा नहीं लगता था इसके लिए भी हमने बच्चों की एक छोटी पार्टी बनायी, वो बच्चे घरों–घरों में जाकर जासूसी का काम किया करते थे। जब भी उन्हें पता चलता था कि गांव के किसी आदमी ने अपनी भैंस के नर बच्चे को फेंक दिया है वे तुरंत उसके पास पहुंचकर उसकी खबर लेने पहुंच जाते थे। एक बार की बात है एक बार एक बच्चा खेतों में शौच कर रहा था तभी अचानक, उसे टें–टें की आवाज सुनाई दी, वह यह सोचकर डर गया कि शायद भूत आया है। फिर वह अपने दो साथियों के साथ वहां गया तो पता चला कि किसी ने अपनी भैंस के बच्चे को वहां फेंक दिया है। जब उस भैंस का दूध निकालने का समय होता था उस समय उसके बच्चे को उसके सामने रख दिया गया, अपने बच्चे को देखकर भैंस बिगड़ गई

और वो आदमी हमारे पीछे डंडा लेकर भागने लगा। हमने उससे कहा कि अगर तुमने दुबारा ऐसा किया तो हम बार–बार ऐसा ही करेंगे।

इसके बाद हमें चम्बा स्कूल में भर्ती होने का मौका मिला। उन दिनों चम्बा स्कूल नया–नया बना था, वह पहले प्राथमिक था तथा बाद में हाईस्कूल हो गया। उस समय वहां के राजा का लड़का हुआ जिसे टीका साहब कहकर पुकारा गया, तो टीका साहब के जन्म पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। स्कूल में कहा गया कि हर बच्चा आठ आने लाएगा जिस जमा पैसे से राजा साहब के बेटे की जन्म की खुशी में मिठाई बांटी जाएगी। हमारे दिमाग में सहज रूप से एक सवाल खड़ा हुआ कि लड़का उनके घर में पैदा हुआ है और पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं। बल्कि मिठाई तो स्वंय उन्हें खिलानी चाहिए जिनके घर में लड़का हुआ है और वे उल्टा हम से ही जुर्माना मांग रहे हैं। हमने इस बारे में कुछ लड़कों से बात चलाई और हमने पैसा न देना तय किया। इससे हमारे हैडमास्टर साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूछा कि ये सब किसने सिखाया है, हमने कहा कि ऐसा किसी ने भी नहीं सिखाया है बस, हमारे मन में ये बात आ गई कि लड़का तो उनका हुआ है और मिठाई हम खिलाएं ऐसा कैसे हो सकता है? यह बात राज्य तक पहुंच गई, उन्होंने हैडमास्टर साहब को बहुत झिड़की लगाई उन्होंने तुरंत पिताजी के पास आदमी भेजकर हमारे पिताजी को बुलाकर डांट लगाई कि तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। संयोग से इसी चक्कर में हमारे इम्तहान हो गए और हम सजा से बच गए वरना वो तो हमें स्कूल से ही निकाल देते।

चम्बा में मौजूद एक दुकानदार को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि हमारे पिताजी को दंड हो गया है वैसे, ही वो हमारे पास आए और हमें समझाने लगे कि देखो राजा के खिलाफ कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। ये विद्रोह अर्थात झंडकी प्रजामंडली है तुम इसके चक्कर में मत आना। इस बहाने हमारे दिमाग में प्रजामंडल का नाम आया, प्रजामंडल के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ी। बाद में जब हम आठवीं पास करने के बाद टिहरी पहुंचे तो प्रजामंडल के बारे में काफी बातें सुनने को मिली। वहां 1946 को प्रजामंडल का एक दफ्तर भी खुल गया था। जिससे हम सहज ही उन लोगों के संपर्क में आ गए। इस तरह से प्रजामंडल के विद्यार्थियों का एक विंग खड़ा हो गया। उसमें मैं, और विद्यासागर नौटियाल तो

मौजूद थे और हमारे साथ अन्य साथी भी थे। हम लोगों ने प्रजामंडल के आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया।

1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो टिहरी राज्य को भी आजादी मिली। मुझे याद है उस समय टिहरी पर अवध बिहारी लाल नामक राजा का शासन था। देश की आजादी के मौके पर टिहरी के चना खेत के बड़े मैदान में एक सभा हुई जिसमें उन्होंने तिरंगा फहराया, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेज चले गए हैं और राज्य स्वतंत्र हो गया है। राज्य स्वतंत्र होने के पीछे उनका मंतव्य बाद में समझ में आया। अंग्रेजों ने राजाओं के एक संगठन नरेन्द्र मंडल को यह कहा कि आने वाले 15 अगस्त से आप आजाद हैं, आप चाहें तो आप भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में रह सकते हैं और जब टिहरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम भी स्वतंत्र हैं तो मैं समझ गया कि अब ये लोग टिहरी को अलग राज्य बनाने वाले हैं।

टिहरी प्रजामंडल के एक नेता थे पूर्णानन्द पैन्यूली वे टिहरी जेल से अन्डर ग्राउन्ड होकर ऐसे भाग गए जैसे जे.पी. जी हजारीबाग से दीवार फांदकर भागे थे। वे देहरादून में काम करते थे जोकि ब्रिटिश शासन का हिस्सा था। उस दिन उन्होंने राजा को कह दिया कि अब तो हम आजाद हैं, हमारा घर और शहर टिहरी है इसलिए मैं, टिहरी में आ रहा हूं। रास्ते में उन्हें नरेन्द्र नगर में पकड़ लिया गया। जैसे ही लोगों को पता चला के प्रजामंडल के अध्यक्ष आ रहे हैं वो उनके स्वागत में सब लोग जलूस बनाकर मोटर अड्डे पर पहुंचे तो पता चला कि उन्हें पकड़ लिया गया है। फिर क्या था स्वागत का वह जलूस विरोध का जलूस बन गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बाजार बंद हो गए और हड़ताल हो गई। अगले ही दिन 16 अगस्त को टिहरी में सत्याग्रह हुआ। मैं भी उसी सत्याग्रह में शमिल हो गया।

राजा ने भी प्रजामंडल के खिलाफ प्रजा परिषद नाम की एक पार्टी बनायी थी। हम अपने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रजा परिषद के एक सदस्य की दुकान में विरोध स्वरूप लेट गए। मै, और विद्यासागर का बड़ा भाई बुद्धि सागर नौटियाल नीचे लेटे हुए थे। लेटे–लेटे एक मजेदार किस्सा हुआ। ऊपर से वर्षा आ रही थी और नीचे से घेराव जारी था ऐसे में

गोली चल पड़ी। उस गोली में नागेन्द्र सकलानी और मोलू सिंह भण्डारी नामक दो आदमी शहीद हो गए। इस घटना ने एक जबरदस्त चिंगारी का काम किया। वहां से प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने दोनों शवों को कंधे पर उठाकर कीर्तिनगर से टिहरी तक लगभग 40 मील का लंबा जलूस निकाला, वो जलूस 11 जनवरी से चलकर 14 जनवरी तक टिहरी पहुंचा। वो जलूस अहिंसक राजनीति का एक अद्‌भुत नजारा था।

टिहरी पर उनका कब्जा हो गया। उस समय गंगा जी पर आने–जाने के लिए एक पुल पर फाटक हुआ करता था, प्रजामंडल के लोगों ने सबसे पहले फाटक बंद कर दिया। इससे कोई भी आदमी टिहरी से नहीं आ सकता था हमने, हमारे इन्टर कॉलेज के प्रिंसिपल, पुलिस के कोतवाल, जेलर और मिलिट्री के कुछ बड़े अफसरो सहित कुल 5–7 अफसरों को अपने–अपने घरों में पकड़ लिया और ये बात फैला दी कि उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रजामंडल के इस सत्याग्रह आंदोलन के नेता दौलतराम थे, हम उनको दादा दौलतराम कहते थे। उनके नेतृत्व में प्रजामंडल की अस्थायी सरकार का गठन हुआ, दादा दौलतराम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। महाराजा साहब टिहरी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें फाटक का दरवाजा बंद मिला और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया जिससे वे वापस चले गए। उन्होंने नरेन्द्र नगर जाकर भारत सरकार तथा पन्त जी को कहा कि टिहरी में कम्यूनिस्टों का कब्जा हो गया है, यहां पर क्रांति हो जाएगी, यह सीमा का राज्य है इसलिए तुरंत हमारी मदद की जाए। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार फौज की एक टुकड़ी और पन्त जी का एक प्रशासक दूसरे–तीसरे दिन वहां पहुंच गया। इस प्रकार प्रजामंडल की अस्थायी सरकार केवल 5–6 दिन तक ही रह पायी।

उसके बाद टिहरी पर भारत सरकार का सीधा हस्तक्षेप हुआ और उत्तर प्रदेश शासन के एक प्रशासक ज्योति प्रसाद जी के साथ प्रशासन में उनकी मदद के लिए प्रजामंडल के बीच से ही चार लोगों को नियुक्त कर लिया गया। चुनाव कराए गए टिहरी विधानसभा में कुल 30 सीटें थी। इन 30 सीटों में से 23 सीटों पर प्रजामंडल की जीत हुई तथा बाकी की 7 सीटों पर राजा की प्रजा पार्टी जीती। इस प्रकार प्रजामंडल की सरकार बन गई।

इसके बाद हम टिहरी में आकर कक्षा 9 में पढ़ने लगे। इस तरह से छात्रावास की नींव पड़ी, 1951 में हमने 12वीं की कक्षा टिहरी से पास की। 1951 को विनोबा जी सहारनपुर होते हुए देहरादून के चोरपुर नामक जगह पर पहुंचे जिसे आज विकास नगर नाम से जाना जाता है। उस समय जो दृश्य मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों में जीवन्त है। लगभग एक किलोमीटर लम्बा जुलूस, निकाला गया जिसमें विनोबा जी के साथ घुटने तक की धोती तथा चप्पल पहने हुए हजारों लोग चल रहे थे। मैं भी उनके साथ था, उस रात में कालसी आश्रम में था। मैं, उनके साथ एक–दो दिन रहा जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं, अपनी परीक्षा के बारे में ही भूल गया।

सवाल – जिस दौरान भूदान और ग्रामदान का आन्दोलन चल रहा था उस समय सरला बहन कौसानी में काम कर रही थी। उसके बाद सर्वोदय का एक पूरा समूह तैयार हो गया था। ये समूह मुख्य रूप से किस बात पर काम कर रहा था और पहाड़ और उत्तराखण्ड को लेकर उसका क्या सपना था ?

कामेश्वर बहुगुणा जी – भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा जी ने यात्रा की, मैं उस यात्रा के दौरान 10–15 दिन तक उनके साथ रहा। मैंने उनकी बातों को बहुत विस्तार से सुनने और समझने के बाद मुझे यह लगा कि उनका आंदोलन भूमि के बंटवारे का आंदोलन नहीं था। उन्होंने बार–बार कहा कि भारत की गरीबी तथा लोकतंत्र की मूल समस्या भूमि है और इसे हल किए बगैर देश के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए उन्होंने भू–दान आंदोलन चलाया। उनकी ये सब बातें मुझे अच्छी लगी इसलिए हम भी विनोबा जी के साथ–साथ चल पड़े। लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि पहाड़ में तो जमीन है ही नहीं, यहां तो जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े हैं और ये और भी छोटे हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि विनोबा जी जमीन के टुकड़े नहीं कर रहे हैं। बल्कि वो तो कहते हैं कि यहां के लोगों के दिलों के टुकड़े हो गए हैं और वे उन्हें जोड़ रहे हैं। लेकिन ये

बात उनकी समझ में नहीं आयी। जब मैंने देखा कि ये लोग विरोध कर रहे हैं तो मैं तुरंत सरला बेन के पास पहुंचा। वहां के आश्रम में मेरी पत्नी भी पढ़ती थी। मैंने सरला बहन से कहा कि बहन जी, सुंदर लाल तथा मेरे अन्य संगी–साथी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम उनकी चिन्ता मत करो, वो काम एक अच्छा काम है और ये पहाड़ में रचनात्मक काम करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तुम इस काम को शुरू करो मैं, तुम्हारा साथ दूंगी। बहन जी ने कहा कि कोटद्वार के मान सिंह जी के विचार भी आप ही की तरह हैं। जब हमारा उनसे परिचय हुआ तो सरला बहन, मान सिंह तथा मैंने मिलकर भूदान का कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा जाहिर की। हमने कर्ण भाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक तदर्थ कमेटी बना दी, भूदान कमेटी, और उसका सेकेट्री मुझे बना दिया गया। उस नाते हमने सरला बहन के सहयोग से फिर पदयात्रायें करना शुरू किया और भूदान का कार्य शुरू हुआ। भूदान यात्रा के दौरान टिहरी में ही 1100 नाली जमीन भू दान में मिली। इस दौरान सरला बहन, शंकर दत्त डोभाल तथा मैंने कुछ यात्राएं की। हालांकि हमारे दूसरे साथी काम में बाधा डालते रहे लेकिन फिर भी हमने अपनी यात्राएं जारी रखी।

सवाल – आपको क्या लगता है कि पहाड़ में सरला बहन के समूहों, ग्रामदान, भूदान या चिपको आंदोलनों ने उत्तराखण्ड में लोकतंत्र तथा लोगों की ताकत को कैसे तथा कितना प्रभावित किया है ?

कामेश्वर बहुगुणा जी – हमने गांव–गांव जाकर नाटकों , संगीत, लोकनृत्यों और बैठकों के माध्यम से दहेज, छूआछूत, भूदान और ग्रामदान के खिलाफ विचार तथा प्रचार किए। इस काम में सरला बहन ने भी हमारी काफी मदद की। हमने इसमें कई साल लगाये इसलिए उस जमाने में लोक चेतना जागृत करने में भूदान–ग्रामदान के पहाड़ी लोक गीत घर–घर में फैल गये। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय सुमन जी के सहादत तथा ग्रामदान–भूदान के गीत खूब गाये जाते थे। हमलोग तो इन्हें गाते ही थे इसके अलावा इसके माध्यम से गांव–गांव तथा घर–घर में कवि पैदा हो गये।

इस प्रकार इस आंदोलन के द्वारा गांवों में एकता स्थापित हुई। छुआछूत तथा कन्याओं को न पढ़ाने की प्रवृति तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं को विरोध होना शुरू हुआ। सचमुच में इससे ऐसी लोक जागृति पैदा हुई कि इससे चिपको आंदोलन तक की शुरूआत हो गई। पहाड़ में पनपा चिपको आंदोलन सरला तथा मीरा बहन का भी क्षेत्र रहा है। मीरा बहन ने शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण का विचार दिया। वे बापू राज पत्रिका नाम की एक छोटी सी पत्रिका निकालती थी जिसमें वे लिखती थी कि पहाड़ में मौजूद शंकुधारी वृक्ष, पहाड़ के खिलाफ हैं वे यूकेलिप्टस को भी खराब मानती थी तथा बांझ को बुरांस को उपयुक्त माना करती थी। वे चाहती थी कि यहां जल और मिट्टी को पकड़े रहने वाले सदाबहार और मोटी पत्ती वाले वृक्ष अधिक से अधिक संख्या में लगाए जाने चाहिए। वे मिट्टी की उवर्रा शक्ति बढ़ाने के लिए चीड़ और देवदार के पेड़ों को अच्छा मानती थी। वे इस तरह के पहले से लगाए गए वृक्षों को कटवाने के पक्ष में तो नहीं थी पर वे चाहती थीं कि इस तरह के वृक्षों को लगाने की बजाय ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी जड़े जालनुमा हो, वो मिट्टी को ज्यादा मजबूती से पकड़ सकें तथा उनमें ज्यादा नही हो।

इस तरह के विचार मीरा बहन के जमाने से ही चल रहे थे और हमारे कैंप फायर के दौरान सरला बहन भी लड़कियों को यही बातें मानने की सलाह देती थी। उन दिनों कैंप फायरों के माध्यम से ग्रामदान, भूदान की बातों का विचार भी खूब प्रसारित हुआ।

आगे चलकर रोजगार के विषय में बातचीत हुई कि वहां ठेकेदारों के बजाय स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमने श्रमिकों की सहकारी समिति बनाने का आंदोलन शुरू किया। उन श्रमिक सहकारी समितियों का उद्देश्य था कि हमें ठेकेदारों से बात करने की बजाय सरकार से बात करनी चाहिए कि यह श्रमिकों की सहकारी संस्था है इसलिए यह काम इन्हीं को दिया जाए, छोटे–छोटे उद्योग, आरा मशीन लगाने तथा लीसा निकालने का काम भी इन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए। हालांकि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और इस काम के लिए जो श्रमिक समितियां बनी, इस बारे में हम लोग असावधान रहे और अन्य लोग पिछले दरवाजे से घुस गए। और अंत में ये हुआ कि श्रमिक समितियां ही ठेकेदार बन बैठी। वो सरकार से काम लेते थे और खुद करने की बजाय ठेकेदारों को देकर अपना कमीशन खाकर चुप–चाप

बैठ जाते थे। इससे विकृति आनी शुरू हुई और उसके परिणाम स्वरूप वहां कई आंदोलन सक्रिय होते चले गए। इन्हीं आंदोलनों में से एक चिपको आंदोलन था। जिस तरह से किसी को गले लगाते हैं, जिसे पहाड़ में 'अंगवाल' कहकर पुकारा जाता है वैसे ही वहां की महिलाओं ने पेड़ों पर अंगवाल लगाई अर्थात उन्हें कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई, जब गौरा देवी ने भी यही काम किया तो यह संदेश दूर तक गया, इस आंदोलन को समझते हुए सुंदर लाल ने इसका नाम चिपको आंदोलन रखा जो आज भी काफी प्रसिद्ध है।

सवाल – आपको नहीं लगता कि चिपको आंदोलन ने न केवल उत्तराखण्ड के जंगलों को कटने से बचाने बल्कि आम उत्तराखण्डी में प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की भावना को पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया है ?

कामेश्वर बहुगुणा – इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन ने पेड़–पौधों को वहां के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्से के रूप में स्थापित कर दिया है। दूसरा फायदा इससे यह हुआ कि अब महिलाएं ज्यादा जागृत हो गई हैं। घास तथा लकड़ी की कमी का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें को होता था इसलिए उन्होंने अपनी इस समस्या का हल तुरंत निकाल लिया, उन्हें समझ में आ गया कि यदि हमारे घर–आंगन का पेड़ जिन्दा रहेगा तो हमें लकड़ियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे महिलाओं ने अपनी समस्याओं को हल होते हुए देखा इसलिए वे उसकी और आकर्षित हुई। महिलाओं ने सर्वोदय की संस्थाओं की जगह महिला मंडल बनाए और महिला मंडलों का काम था वृक्ष लगाना और उनकी हिफाजत करना। और कई जगह उन्होंने इसका काम अपने हाथ में ले लिया उन्होंने तय किया कि तुम यहां की घास नहीं काटोगे, पशुओं को ज्यादा देर तक नहीं चरने दिया जाएगा यहां तक कि महिला मंडलों ने वन प्रबंधन का काम भी अपने हाथ में ले लिया। और यह काम आज की तरह बिछे संस्थाओं के जाल से नहीं आता था बल्कि अवैतनिक रूप से होता था। यह सब स्वैच्छिक काम था। गांव की महिलाएं अपने घर तथा खेतों का सारा काम करने के बाद यह काम किया

करती थी। इसमें जितना भी पैसा आया वो महिला सामाख्या आंदोलनों के द्वारा एकत्र किया गया। शुरू–शुरू में इस महिला सामाख्या का रानीचौरी में विरोध हुआ इसमें बिहारी लाल जैसे लोग भी शमिल थे। हमने उन्हें समझाते हुए कहा कि इससे महिला संगठनों को थोड़ी मदद मिल जाएगी। मैंने कहा कि ये तो परखने की बात है, हमें इनकी विरोध करने की बजाय इनको परखना चाहिए। तो इस तरह से महिला सामाख्या का काम शुरू हुआ। लेकिन इसको लागू करने में हुई कुछ गलतियों के कारण जिस गांव में महिला मंडल थे उस गांव में महिला सामाख्या की वैतनिक कार्यकर्ता भी खड़ी हो गयी। जिससे महिलाओं में विरोध पैदा हो गया, कुछ कहने लगी कि इनको वेतन क्यों मिल रहा है? हम लोग तो मुफ्त में काम कर रहे हैं और ये लोग पैसा देकर काम कर रहे हैं जबकि उनकी अपेक्षा हम लोग अधिक काम कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। गांव में इस तरह का भाव पैदा होने से वैमन्सय की भावना पैदा हो गई। जिससे परिणामस्वरूप इसके समांतर कई महिला संगठन खड़े हो गए। लेकिन फिर भी इस सबके बावजूद भी इन संगठनों के माध्यम से वनों के संरक्षण की बात, मनुष्य के जीवन में वनों तथा जंगलों के संरक्षण की बात, चिपको के माध्यम से ही शुरू हुई। इसने लोक मानस में बहुत गहरा असर डाला।

सवाल – उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन पूरे दो या तीन दशक तक चला, ऐसे में राज्य की मूल भावना या राज्य की मूल मांग को आप किस रूप में देखते हैं ?

कामेश्वर बहुगुणा – उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में मूल रूप से अपनी अस्मिता की रक्षा की मांग की गई थी। आप देखेंगे कि वहां के अधिकतर क्षेत्रों तथा अधिकतर रोजगारों में वहां के लोगों की अपेक्षा बाहरी लोगों का हस्पक्षेप ज्यादा है। वे मैदानी तथा अन्य इलाकों से वहां आकर, वहां के सब संसाधनों तथा रोजगारों पर कब्जा जमा लेते हैं, वे वहां के खेतों, कारखानों, के मालिक बन जाते हैं और जो लोग वहां सैकड़ों सालों से रह रहे हैं वे बेचारे मजदूर बनकर रह रहे हैं या फिर उजड़ गये हैं तो इस बात को लेकर सभी स्थानों की तरह पहाड़ में भी पीड़ा होना लाजमी है। इसीलिए पृथक राज्य की मांग तो 51 से ही उठ रही थी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह एक अलग राज्य था। यहां कुलन्द राज्य के नाम से कई सौ साल तक राज रहा और यहां कई राजाओं ने राज किया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने

टिहरी के हिस्से को छोड़कर समस्त कुमाऊं–गढ़वाल पर कई साल तक ब्रिटिश सरकार ने राज किया। 50–51 में कुमाऊं में सी.पी.आई. के पूरनचंद्र जोशी ने भी पृथक राज्य की बात उठाई थी लेकिन उसका रूप अलग था। वो चाहते थे कि इस हिस्से पर राजनैतिक लोगों अर्थात हमारा स्वंय का बर्चस्व रहे। लेकिन इस समय पृथक राज्य की मांग उपेक्षा की पीड़ा के कारण उठी थी। पढ़े–लिखे लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि हमारी संस्कृति, भाषा और रीति–रिवाज धीरे–धीरे नष्ट होते जा रहे हैं उनके साथ–साथ हमारे कार्यकर्ता खासकर सर्वोदय विचार को मानने वाले भी यही मानते थे कि भारतीय संस्कृति पर हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है और उसका प्रबंध मैदानी भागों की तरह नहीं हो सकता है इसलिए हम चाहते थे कि हिमालयी क्षेत्र और उसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार वहां की स्थानीय जनता के हाथ में होनी चाहिए। इस प्रकार पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग के पीछे वहां की लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक संगठन और लोगों की जीविका की सुरक्षा की मांगें थी। हम वहां मैदानी इलाकों की अपेक्षा भिन्न तरीके की विकास नीति की मांग कर रहे थे।

सवाल – आज के दौर में विश्व बैंक और निजी कंपनियों के दबाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री होती जा रही है। फलिंडा तथा अन्य जंगलों पर यह साफ दिखाई दे रहा है। वहां के जंगलों, पानी, नदियों तथा मिट्टी तक का सौदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप वहां की प्रकृति तथा पारिस्थितिकी पर साधारण जनता के अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं ?

कामेश्वर बहुगुणा – मुझे लगता है कि यहां एक वैकल्पिक राजनैतिक आंदोलन शुरू होना चाहिए जिसे मैं, ग्राम स्वराज आंदोलन के नाम से पुकारता हूं। हम चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले ग्राम पंचायत, विद्यान सभा तथा संसद के चुनावों के दौरान स्थानीय जनता को किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की बातों में फंसे बिना अपनी बुद्धि तथा विवेक से ही वोट देना चाहिए और उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 40 विद्यान सभा क्षेत्रों में जनता के वो प्रतिनिधि चुनकर आएं जो आम जन से जुड़े विषयों जैसे शराब का विरोध, जल, जंगल और जमीन पर साधारण जनता के अधिकार जैसे विषयों पर सहमत हों। आज वहां की

स्थानीय जनता को कई राजनैतिक पार्टियों तथा अनेक संस्थाओं के संगठनों ने आपस में बांटा हुआ है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर जंगलात विभाग का अपना अलग दख्ल है, स्वजल के नाम से विश्व बैंक का अलग दख्ल है, ग्राम पंचायतें भी भाजपा, कांग्रेस और दूसरे–तीसरे दलों में बंटकर खंडित होती जा रही है।

आज हम ग्राम एकता को मजबूत करने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि ग्राम एकता को दलीय आधार पर विभाजित न किया जाए। इसके लिए गांव के मतदाता को जागृत और संगठित करना होगा। आज पृथक राज्य बने हुए 4 साल हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमारी एक बड़ी ताकत नहीं बन पायी है। आज किसी भी संस्था या संगठन के नाम पर जितने भी काम हो रहे हैं उनमें हमारी ताकत नहीं बन पायी है। ऐसा भी न हो कि एक पार्टी के बदले ऐसी दूसरी पार्टी खड़ी कर दी जाए जो कि पहली वाली पार्टी की तरह ही हो। हमें पार्टी को नकार कर जन शक्ति पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं, मानता हूं कि पार्टी और जनशक्ति में विरोधाभास होता है, पार्टी जनशक्ति को तोड़ती है इसलिए जन शक्ति बनाने के लिए व्यापक जन संघर्ष करना होगा। इसके लिए कुछ लोागों को अपना सबकुछ भी न्यौछावर करना पड़ सकता है। साधारण जनता को भी अपनी बौद्धिक दृष्टि से सोचना होगा तभी पहाड़ का तथा देश का भला हो सकता है।

मध्य हिमालय (उत्तराखण्ड) के सामाजिक और पर्यावरर्णीय कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार

कुँवर प्रसून का साक्षात्कार

सवालः आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए ?

कुँवर प्रसून : मैं कुंवर प्रसून हूं , मैं,सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के साथ–साथ पत्रकारिता से भी जुड़ा हूं।

सवाल – अपने आंदोलनों के बारे में कुछ बताइये।

कुंवर प्रसूनजी – प्रारंभ में मैं, शराब बंदी, चिपको और खनन विरोधी आंदोलन से जुड़ा रहा। आजकल मैं बीज बचाओ आंदोलन चला रहा हूं।

सवाल – उत्तराखण्ड में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन्होंने या तो लोकतंत्र को कमजोर किया है या उसको सहारा दिया है। इसी तरह जल, जंगल तथा जमीन के संदर्भ में इन आंदोलनों ने क्या भूमिका अदा की है?

कुंवर प्रसून जी – आंदोलनों से लोगों की चेतना के साथ–साथ लोकतंत्र का विकास होता है। आंदोलनों के कारण लोग जागरूक होते हैं इसलिए आंदोलन तो होते रहने चाहिए। जिस जमीन पर, या जो लोग आंदोलन नहीं करते हैं वो या तो सुसुप्त होते हैं या शोषित होते हैं जबकि इसके विपरीत आंदोलन तो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।

जिस प्रकार आप जल, जंगल तथा जमीन से संबधित आंदोलनों की बात कर रहे हैं तो अभी तक यहां जल के विषय में अभी तक कोई खास आंदोलन तो नहीं हुआ है लेकिन बांध बनाने के लिए जो नदियों को बांधा जा रहा है उसके विरोध में तो कई आंदोलन हुए हैं। वहीं

जमीन के संबध में अभी तक कोई विशेष आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भूमिहीन थे वे आज भी भूमिहीन हैं और जो भूमिपति थे वे भूमिपति ही हैं। जमीन के संबध में सर्वोदयी लोगों ने शुरू में भूदान आंदोलन किया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ भूमिहीनों को थोड़ी सी जमीन बंटी थी। जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ, इससे पहले कुमाऊं में जंगल के आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। यहां जंगल को लेकर आंदोलन हुए हैं जैसे उत्तरकाशी मे तिलाड़ी कांड हुआ तिलाड़ी के लोग अपनी अन्य मांगों के साथ अपने वन संबधी हकों के लिए एकत्रित हो गए। उसी तरह से 1904 में जबल घाटी में एक बड़ा आंदोलन हुआ क्योंकि उस समय वन विभाग ने जंगलों में पशुओं को चराने के लिए एक कर लगाया जिसे 'पुद्धि कर' कहा गया। इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से उत्तराखण्ड में अलग–अलग समय में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए।

सवाल – आपने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और अभी भी आप बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलनों के संबध में अपने अभी तक के कुछ अनुभव बताइए।

कुंवर प्रसून जी – शराब बंदी आंदोलन के दौरान हम शुरू–शुरू में अवैध शराब बेचने वालों की बोतलें तोड़ देते थे। अभी यहां शराब बनाने का काम बंद तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा कम जरूर हुआ है। क्योंकि यदि यहां शराब रहेगी तो यहां की मां–बहनें सुखी नहीं रह सकती हैं। इससे एक तो पैसे का नुकसान होता है और दूसरे शराब पीने वालों का स्वास्थ्य दिन–प्रतिदिन बिगड़ता जाता है वो किसी भी समस्या पर गंभीरता से सोचने लायक नहीं रह पाते हैं।

हमने अपने जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन की शुरूआत में यह तय हुआ कि जंगल के छोटे–छोटे लाट बनाये जायें और उनको छोटे–छोटे ठेकेदारों को दिया जाय। बाद में तय हुआ कि श्रमिक सहकारी समितियां बनायी जाएं और उन पेड़ों को श्रमिक लोग काटें और उसका लाभ सहकारी समितियों को मिले। जब हमने

1977 में हिंगोल घाटी में ऐसा किया तो उससे दृष्टि में बदलाव आया और पहली बार यह नारा निकला –

''क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार।

मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।''

अर्थात उस समय तक जंगल केवल खाने–कमाने की चीज थी और चिपको आंदोलन भी उसी बात को लेकर आगे बढ़ा। 1975 में चण्डी प्रसाद भट्ट, धूम सिंह नेगी और शमशेर सिंह बिष्ट सहकारी समितियों का अध्ययन करने गुजरात गये थे। वे वहां की श्रमिक सहकारी समितियों की रचना को जानना चाहते थे। ताकि उसी से प्रेरणा पाकर वे अपनी समिति भी बना पाएं। उस समय कटान, चीरान का दृष्टिकोण आगे बढ़ रहा था। लेकिन बाद में पर्यावरण को बचाने के बारे में विचार किया जाने लगा। 1977 के बाद जंगलों को बचाने के प्रयासों के अंतर्गत यह मांग रखी गई कि एक हजार मीटर से ऊपर के जंगलों के कटान पर पाबंदी लगा दी जाए। यह मांग बढ़ती रही और 1981 में यह मांग पूरी भी हो गई और जंगलों को काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो गया।

इसी तरह से हमने अपने नष्ट होते परम्परागत बीजों को बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन लड़ा। पहले हमारे पास कई किस्मों के बीज होते थे जिनमें अलग–अलग तरह का स्वाद तथा सुगंध आती थी लेकिन धीरे–धीरे उनकी किस्में भी खत्म होती जा रही थीं। आजकल बाजार में जो बीज आ रहे हैं जिन्हें hybrid कहा जाता है। उनमें स्वादों का अंदाजा लगाना कठिन है। यह प्रचारित तो किया जा रहा है कि इस तरह के बीजों से उत्पादन अधिक होता है लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है, ये बीज केवल 5–6 साल तक ही खेतों में टिके रहते हैं और उसके बाद गायब होने लगते हैं। धीरे–धीरे इनकी उपज गिरने लगती है और फिर नए बीजों के लिए जाना पड़ता है। इसलिए इन सब कठिनाइयों तथा भविष्य में बढ़ने वाली कठिनाइयों को देखते हुए अपने बीजों को बचाने के लिए हमने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया।

सवाल – उत्तराखण्ड में जितने भी आंदोलन हुए हों फिर चाहे वो पृथक राज्य का आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो या बीज बचाओ आंदोलन ही क्यों न हो, इन सभी आंदोलनों के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे होंगे, इन प्रभावों के विषय में आप कुछ बताएं।

कुंवर प्रसून जी – हम पृथक राज्य के आंदोलन से सहमत नहीं है। इसमें नए राज्य की मांग तो की गई थी लेकिन एक देश में छोटी–छोटी इकाइयां नहीं बननी चाहिए। जैसे इसमें उस समय 8 जिले थे 8 जिलों का एक राज्य बन गया अब इसे तोड़कर इन्होंने 12–13 जिले कर दिये या हरिद्वार समेत 9 जिले कह सकते हैं। दूसरा कुछ लोग अलग राज्य की मांग के इस आंदोलन से सहमत नहीं थे। वास्तव में यह आंदोलन आरक्षण की मांग को लेकर हुआ था, उस समय मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लागू किया तो वहां के सवर्णों को लगा कि आरक्षण लागू होने से हमें नुकसान होगा इसलिए उन्होंने अलग राज्य की मांग उठा दी। बाद में इस आंदोलन में बिना सोचे–समझे बच्चे–बूढ़े सभी शामिल हो गए। इस कारण से यह आंदोलन ठीक नहीं था। इस आंदोलन के दौरान नकली भूख हड़तालें हुई, नकली इस्तीफे हुए। कई लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं लेकिन इस्तीफा किसी ने भी नहीं दिया, बहुत बाद में प्रकाश सिंह ऐरी ने ये महसूस किया कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिये। बाद में वे विधान सभा में गये और उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। इसी तरह से लोग अपने इस्तीफे वहां भेजते थे जहां पर उन्हें मंजूर ही नहीं किया जाना था। जैसे उस समय कुछ लोगों जैसे विधान सभा के सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख आदि ने इन्द्र मणि बड़ोनी को इस्तीफे भेज और उन्हें इस्तीफे भेजना या न भेजना दोनों ही बराबर है। इस प्रकार जिस आंदोलन में सिर्फ प्रचार ही प्रचार हुआ हो वो, ठीक कैसे हो सकता है ? पहले उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश एक बड़ी इकाई थी और यहां रहने वाले अधिकतर लोग बलिया, देवरिया तथा गोरखपुर तक लगाव महसूस करते थे वहीं आज हम छोटी इकाई में सिमट गए हैं जिसमें, राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है। आज राष्ट्रीय स्तर पर यहां

4–5 एम.पी. होते हैं, अगर कोई आवाज उठाना चाहे तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश राज्य होता तो वह पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता था।

इस प्रकार राज्य को हमेशा बड़ा होना चाहिए उसे इतना करीब नहीं होना चाहिए कि वो शोषण कर सके। वास्तव में देखा जाए तो राज्य हमेशा शोषक ही होता है। राज्य लोगों की भलाई कम तथा शोषण अधिक करता है और जब आप शोषण कर्ता को ही अपने करीब बुला लेंगे तो शोषण तो और ज्यादा होने लगेगा। राज्य छोटा होने से पटवारी आपके ज्यादा नजदीक आ जाएगा, पुलिस वाला नजदीक आ जाएगा, वी.डी.ओ. नजदीक आ जाएगा, पंचायत अधिकारी नजदीक आ जाएगा और राज्य के लगभग सभी कर्मचारी आपके नजदीक आ जाए। ये आपके जितने नजदीक आएंगे, उतना ही ये आपसे पैसा खाएंगे और आपके सामने ऐसा प्रदर्शन करेंगे जैसे वो सचमुच में आपका भला कर रहे हों लेकिन वास्तव में लोगें का भला नहीं होगा। अगर राज्य दूर हो तो व्यक्ति अपने हिसाब से और स्वतंत्रता से काम करता है। इसलिए राज्य को थोड़ा दूर ही रहना चाहिये इतने नजदीक नहीं आना चाहिये।

पहले यहां हरिद्वार समेत 22 विधायक होते थे और अब यहां 70 विधायक हो गये हैं तो एक–एक घाटी में एक–एक विधायक पैदा हो गया है। अब ये विधायक छोटी–छोटी योजनाओं में भी अपना दखल देते हैं। जैसे कि ये हमारा काम करेगा, ये होना चाहिये वो होना चाहिये और वहां की आम जनता की इच्छाओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। वास्तव में हमें अपनी मूलभूत इकाइयों अर्थात ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के बारे में मांग करनी चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा है वे आज भी निरीह बनी हुई हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, केवल मात्र राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है। जिससे अधिकतर लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है।

सवाल – उत्तराखण्ड में यह माना जा रहा है और सरकार भी यही कह रही है कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन अर्थात जल, वनस्पति और खनिज पदार्थों के बंटवारे के संबध में नीति बन रही है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा सरकार का हस्पक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह

से यहां के लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का कब्जा बढ़ रहा है और लोगों को दबाव कम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि यहां की जड़ी–बूटियों, बीजों, फलों और यहां की जमीन का प्रबंध किस आधार पर होना चाहिए ?

कुंवर प्रसून जी – हमें, हमेशा जनशक्ति को मजबूत बनाना चाहिये और हम लोगों ने जनशक्ति को मजबूत बनाने का काम किया है। क्योंकि अगर आप अपनी राज्य शक्ति को मजबूत बनाएंगे तो वह साधारण जनता का शोषण करेगी और उसने हमारा शोषण करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि जंगलों पर फिलहाल वन संरक्षण अधिनियम बना हुआ है इसलिए उनका उतना शोषण नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी वन निगम सूखे के नाम पर बहुत से हरे–भरे पेड़ों को काट रहा है।

वहीं दूसरी ओर खनन के लिए इन्होंने जगह–जगह ठेकेदारों को पैदा कर दिया है, कहीं चूना पत्थर की खुदाई हो रही है, कहीं खड़िया की और कहीं किसी और चीज की खुदाई हो रही है। इस तरह से इन्होंने ठेकेदारों के माध्यम से पहाड़ को उजाड़ने का काम शुरू किया हुआ है।

तीसरी बात है कि सरकार यहां बड़े–बड़े बांध बनाने पर लगी है यदि वह छोटे–छोटे बांध बनाती तो यहां की जनता को रोजगार भी मिलता और वे इस काम को सही दिशा में भी ले जाते। सरकार कंपनियों और ठेकेदारों को नदियां बेच रही है। जैसे कि उन्होंने धनसाली का फलिंडा वाला क्षेत्र एक दक्षिण भारतीय कंपनी को बेचा है। वो 40–50 वर्ष तक वहां बिजली पैदा करेगी और अपने इच्छानुसार उसका उपयोग करेगी। इसी तरह ये जगह–जगह कम्पनियों और ठेकेदारों को नदियां बेच रहे हैं जो कि स्वंय जमींदारी प्रथा का नया रूप है। पुरानी जमीदारी प्रथा में कुछ लोगों के पास एक सीमा तक ही जमीन थी जिसका विरोध हुआ और उसे 1952 में समाप्त कर दिया गया था लेकिन आज इन कंपनियों के पास हजारों एकड़ जमीन है जो कि एक नई किस्म की जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है।

ये कंपनियां किसी परियोजना को बनाने के लिए गांवों के नीचे से सुरंग बना रही हैं जिससे गांव के पानी के स्रोत सीधे रिस जाते हैं, उस गांव का पानी सूख जाता है ,कहीं

सिंचाई का पानी कम हो जाता है, कहीं पेड़ काटे जाते हैं तो कहीं खेती को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं के कारण उत्तराखण्ड के गांव की भलाई का कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हम पहले कहा करते थे कि टिहरी बांध जैसी बड़ी परियोजना के बजाय छोटी–छोटी परियोजनाओं से उत्तराखण्ड का भला हो सकता है लेकिन जब यहां छोटी–छोटी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया तो वो परियोजनाएं तो वहां के लिए और भी अधिक घातक साबित हुईं।

सवाल – उत्तराखण्ड जल, जंगल, जमीन और जड़ी–बूटियों जैसे पर्यावरणीय स्रोतों के संरक्षण पर खतरे का संकट मंडरा रहा है। आपकी राय में इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

कुंवर प्रसून जी – हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिये सरकार के भरोसे बैठने की अपेक्षा स्वंय जागरूक होना चाहिए। क्योंकि यदि स्वंय हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार पर दबाव नहीं बन पाएगा जिससे वो अपनी मन–मर्जी के अनुसार ही काम करेगी। हमें जंगलों में होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

दूसरा, यहां होने वाली खुदाइयों के लिए ठेका देने से पहले सरकार को यह सोचना होगा कि किन–किन इलाकों में खुदाइयों से नुकसान हो सकता है और इस बात की जानकारी वहां रहने वाले स्थानीय नागरिक बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं तो उनकी समझ का लाभ उठाते हुए खुदाई का काम उसी क्षेत्र में करना चाहिए जहां कम से कम लोगों को नुकसान होता हो। जहां की खुदाई से जंगल और पानी का नुकसान हो रहा हो वहां खुदाई पर रोक लगनी चाहिए।

तीसरा, टिहरी बांध जैसी परियोजनाओं और अभी हाल में पंचमेश्वर के लिए बनी बड़ी परियोजनाओं पर काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी छोटी परियोजनाएं बनानी चाहिए जिनसे सुरंगों के पानी को नुकसान न होता हो और सबसे अहम बात पर्यावरण को बचाने के लिए यहां के स्थानीय लोागें को हमेशा जागरूक रहना चाहिए।

सवाल – उत्तराखण्ड को एक प्रथक राज्य बनाने की मांगों के दौरान यह भ्रम फैलाया गया था कि पृथक राज्य बनने से यहां के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग हो पाएगा, यहां फैक्ट्रियां लगेंगी जिससे अधिक से अधिक नौजवानों को रोंजगार मिलेगा। यहां उत्तराखण्ड में फैक्ट्रियां तो हैं नहीं, रोजगार की उम्मीद जगाने के नाम पर केवल प्राकृतिक संसाधन हैं तो ऐसे में आपको, रोजगार में संबध में यहां क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं ?

कुंवर प्रसून जी – नया राज्य बनने से केवल विधायकों को ही रोजगार मिल पाया है यहां पहले 20–22 विधायक होते थे अब यहां 70 से भी अधिक विधायक हो गए हैं। अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं न के बराबर हैं और कहा ये जा रहा है कि छोटा राज्य होने के कारण रोजगार की कमी है लेकिन जब यही क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल था तब यहां अधिक से अधिक युवाओं को बी.टी.सी. और बी.एड. का प्रशिक्षण दिया जाता था जिसके बाद उन्हें रोजगार भी मिल जाया करता था वहीं पृथक राज्य बनने पर सरकार आर.एस.एस. के सरस्वती शिशु मंदिर की तरह शिक्षक बंधुओं की नियुक्ति की। जिन्हें रोजगार के नाम पर कुछ दिनों के लिए काम मिल जाता है और नाममात्र का वेतन दिया जाता है। उत्तराखण्ड की तरह पंजाब में शामिल हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलता था लेकिन जब से वो अलग राज्य बना है तब से रोजगार मिलना कम हो गया है। पहले जिन कॉलेजों में 5–6 चपरासी हुआ करते थे वहां अब सीमित संसाधनों के कारण 2 चपरासियों की ही नियुक्ति की जा रही है। जहां तक संसाधनों की बात है एक छोटे राज्य के पास संसाधनों की कमी हमेशा ही रहेगी क्योंकि एक बड़ा राज्य तो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर जिन क्षेत्रों में भी संसाधनों की कमी का सामना करते हैं, उन क्षेत्रों में अन्य संसाधन बहुल क्षेत्रों से संसाधन उपलब्ध करा देता है लेकिन एक छोटे राज्य के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता।

आज के दौर में सरकारी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है इसलिए लोगों को अपने लिए स्वंय रोजगार विकसित करने चाहिए। जैसे खेती–बाड़ी में बगीचे या दूसरे प्रकार के छोटे उद्योग–धन्धों को विकसित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि ठेकेदारी के

सहारे लोगों को कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये तो एक तरह की लूट–पाट ही है इसलिए स्थानीय लोगों को अपने आधार पर, अपने–आप की रोजगार विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

धन्यवाद।

मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के

सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार

रघु तिवारी का साक्षात्कार

सवाल : आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।

रघु तिवारी : मेरा नाम रघु तिवारी है, मेरा जन्म अल्मोड़ा में रानीखेत जिले के गंगोली गांव में हुआ। जहां तक शिक्षा का सवाल है, वो तो मैंने समाज से प्राप्त की और वो अब भी जारी है। स्कूल कॉलेज के बारे में कहूं तो मैंने राजनीति विज्ञान से एम.ए. करने के बाद एल.एल.बी. किया। अपनी पढ़ाई के साथ–साथ मैं, सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ा रहा। आज भी मैं, देश में घूम–घूमकर शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं।

सवाल : आपने संघर्षवाहिनी में रहकर बहुत काम किया, उसके बारे में संक्षेप में बताइए?

रघु तिवारी : हम लोगों ने संघर्षवाहिनी के साथ काफी समय तक काम किया। लेकिन जैसे–जैसे वाहिनी का विकास हुआ वैसे–वैसे मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का भी विकास हुआ। मैंने 14 अगस्त 1976 में ही सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, उस समय मेरी उम्र बहुत ही कम थी। उस समय तक संघर्षवाहिनी नहीं थी लेकिन पर्वतीय मोर्चे के रूप में ग्रामोत्थान संगठन का निमार्ण हो चुका था और उस समय पर्वतीय मोर्चा वृक्षारोपण जैसे रचनात्मक कामों में लगा हुआ था। तब अल्मोड़ा जिले में दिन–रात राजनैतिक–सामाजिक चर्चायें होती रहती थीं, उसके साथ हम पर्वतीय मोर्चे से भी जुड़े रहे। आगे चलकर मोर्चे का स्वरूप बदला और व्यापक होकर उत्तराखण्ड संघर्षवाहिनी बना। हम उसके साथ जुड़कर आंदोलनों में शामिल रहे फिर चाहे वो बागेश्वर के बगड़ में रहने का मामला हो या जन अभियान चलाने का मामला हो। मुझे आज भी आपातकाल के खिलाफ चलने वाला आंदोलन याद है। उस समय हम लोग हाईस्कूल में जाते रहते थे। जब वाहिनी ने भी विभिन्न आंदोलनों

का नेतृत्व शुरू किया, उस समय भी हम एक कार्यकर्ता के तौर पर उसमें बराबर काम करते रहते थे।

1980, में हम, छात्रसंघ में शामिल हो गए। मैं रानीखेत से उत्तराखण्ड छात्र संगठन का प्रतिनिधि था। उस समय हम स्टार पेपर मिल के विरोध में हुए आंदोलन में शामिल थे, उस समय स्टार पेपर मिल का एग्रीमेंट रद्द करने का मामला चल रहा था। छात्र संगठन के माध्यम से हमने रानीखेत में जगह–जगह ट्रक जाम का कार्यक्रम किया। 1980–84 के बीच तक हम विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज के तमाम आंदोलनों जैसे वहां, नए विषय शुरू करने आदि आंदोलनों में चक्का जाम और आमरण अनशन जैसे कार्यक्रमों में शामिल रहें। आगे चलकर 1984 में हमने, बिन्दुखत्ता के आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रचार किया और जनसभाएं आयोजित की। 1984 में ही हमने वाहिनी के एक बड़े आंदोलन में हिस्सेदारी ली। हमने, इसमें बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया, इस आंदोलन के दौरान हम लोगों को गिरफ्तार कर 20–21 दिन के लिए जेल में डाल दिया। हमारे तथा अन्य लोगों के प्रयासों के कारण उत्तराखण्ड में नशाबंदी लागू हुई जो बाद में सारे विधायकों और मुलायम सिंह के साथ बात करके खोली दी गई। उसके बाद हमने पूरे उत्तराखण्ड के छात्र संघ का नेतृत्व किया। हमने छात्र संगठन, संघर्षवाहिनी और जागर जैसे संगठनों के साथ जुड़कर पदयात्रा में भाग लिया। इसके अलावा हमने अल्मोड़ा से बागेशवर, बागेशवर से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचुला, नैनीताल से चम्पावत तक बड़ी–बड़ी पदयात्राओं में भाग लिया। फिर 1985 में वाहिनी ने उत्तराखण्ड आंदोलन में प्रवेश लेने का फैसला किया। आगे चलकर उत्तराखण्ड छात्र संगठन ऑल उत्तराखण्ड छात्र संगठन बन गया हमने उसमें संयोजक की भूमिका निभाई। उस संगठन में लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखण्ड समेत लगभग पूरे देश के छात्र संगठनों ने भाग लिया। हमने उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया और इसके लिए कई अभियान चलाए।

सवाल : आप शुरू में इस तरह के संघर्षों में शामिल रहे लेकिन बाद में आप किससे प्रेरणा पाकर संस्थाओं में शामिल हो गए और आपने जल, जंगल और जमीन को मुख्य मुद्दा बना लिया ?

रघु तिवारी : मेरी प्रेरणा कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि मेरे विचार ही हैं। मैं समाज में ऐसे बदलाव का सपना देखता था जिसमें आम मजदूर , किसान और गरीब जनता आसानी से रह सके। अपने उसी सपने के कारण आज हम उस सामाजिक और राजनैतिक छात्र आंदोलन से निकलकर स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करने लगे क्योंकि हमें 1990 में लगने लगा कि हम जिस राजनैतिक वाहिनी के साथ काम कर रहे थे वो अपनी राजनैतिक दिशा से भ्रमित हो गई है इसलिए हम वाहिनी से अलग हो गए। वाहिनी से अलग होने के बाद हमने विभिन्न संगठनों के साथ करके हमें लगा कि अपनी व्यक्तिगत तथा अन्य परिस्थितियों के कारण हम इन संगठनों से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए हम व्यक्तिगत स्तर पर ही सक्रिय रहे और कुछ समय बाद हमें लगा कि हमारा व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होना बहुत समय तक आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर हमने सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए 1977 में 'अमन' नाम का एक केन्द्र बनाया और औपचारिक रूप से उसे 1999 में एक ट्रस्ट का रूप दे दिया। परिवर्तन की इसी इच्छा के कारण हम सामाजिक क्षेत्र में पहुंच गए।

सवाल : भूमण्डलीकरण के इस दौर में आप अपने काम का क्या प्रभाव देख रहे हैं?

रघु तिवारी : जब हम भूमण्डलीकरण के दौर को ऐतिहासिक परिदृश्य से देखते हैं, तो जब दुनिया में द्विध्रुवीय दुनिया समाप्त हुई और शीत युद्ध समाप्त होकर एक धुव्रीय दुनिया बन गई तो वह अपने हिसाब से ढ़ांचों को खड़ा करने और उस ढ़ांचे के अंदर की प्रक्रियाओं को बदलने के काम में लग गई। इसी को भूमण्डलीकरण कहते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया के सभी ढ़ांचों को अपने पक्ष में बदलना चाहती है ताकि सभी लोग बाजार के आधार पर और निजी मुनाफे को ध्यान में रखकर काम करें। आज भूमण्डलीकरण को ही उदारीकरण कहा जा रहा है। हम देश और दुनिया की इन घटनाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हम बाजारीकरण या मुनाफे और बाजार की प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्था से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इस सामुहिकता को छोड़ व्यक्तिगत स्तर पर चीजों को खड़ा करने का काम करती है। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों को बाजार के लिए खोलना चाहती है। ये जल, जंगल और जमीन के अलावा जिंदा रहने के सभी संसाधनों से मुनाफा कमाना चाहता है, वो फिर चाहे रोटी हो, शिक्षा हो, कपड़ा हो या हवा ही क्यों न हो। हम उनकी इस मुनाफा

कमाने वाली प्रवृति से अवगत कराना चाहते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि कैसे उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार कम होते जा रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का ही प्रभाव है कि आज कई लोगों ने इन बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आज वे विश्व बैंक की परियोजनाओं और विश्व बैंक की नीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज कई संघटनों का निमार्ण हो रहा है, जैसे उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड सरपंच संगठन का निमार्ण हो रहा है और धीरे–धीरे लोग संगठित होते जा रहे हैं और उसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। एक जैसी सोच और समझ वाले लोग संगठित होकर सामाजिक मंचों के माध्यम से दुनिया में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और देश और दुनिया में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं।

सवाल : भारत में जाति व्यवस्था बहुत आरोंप–प्रत्यारोपों के दौर से गुजर रही है। यहां एक–दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ?

रघु तिवारी : निश्चित रूप से इस देश के अंदर जाति व्यवस्था ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है यहां उन धर्मों में भी जाति व्यवस्था दिखाई देती है जिन धर्मों में दुनिया भर में कहीं भी जाति व्यवस्था का नाम तक नहीं है जैसे यहां मुस्लिम तथा सिख धर्म भी जाति व्यवस्था की बेड़ियों से आजाद नहीं है। इस देश में आज बिना धर्म के रह सकते हैं लेकिन बिना जाति के नहीं रह सकते हैं। यदि आपके पास जाति नहीं है तो आपके पास धर्म भी नहीं हो सकता है। अगर यहां कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तित होता है तो उसके पास जाति और गौत्र का आधार अवश्य होना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था बहुत जटिल रूप में मौजूद है। परम्परावादी समाज दुनिया को ऐसा ही बनाए रखना चाहता है, यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पक्ष में खड़ा है। यह व्यवस्था आम आदमी, महिलाओं, पिछड़ी जातियों तथा गरीब तबकों को आगे बढ़ने से रोकता है। हमें लगता है कि हिन्दुस्तान की तरक्की और विकास के लिए इस जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन को सहारा लिया जा सकता है जिसमें जाति के साथ क्षेत्रीय भावना और लिंग भेद को भी समाप्त किया जा सकता है।

सवाल : आपने वन पंचायत नियमावली 2001 की जागरूकता के लिए कई क्षेत्रों में खासकर उत्तराखण्ड में बहुत काम किया है, इस क्षेत्र में अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताइए ?

रघु तिवारी : जहां तक वन पंचायतों का मामला है, यह उस व्यापक लड़ाई का एक प्रवेश द्वार है जिसमें हम वनों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि वन पंचायतों के अनुभवों के अनुसार आज सरकार हमारे सारे जंगलों को हमारे हाथों से छीन लेना चाहती है उसमें स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त कर देना चाहती है। लेकिन वन पंचायतें ऐसी व्यवस्था है जिसे सरकारें स्वीकार करती हैं और जब सरकार इस व्यवस्था को स्वीकार करती है तो फिर हमें लगता है कि इस आधार पर कई परिवर्तन किए जा सकते हैं।

जहां तक हमारा अनुभव है उसके अनुसार एक ओर तो सरकार कई नियम कानून बना रही है और दूसरी ओर उदारीकरण के प्रभाव और विश्व बैंक के दबाव में सभी काम कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जनता अपने अधिकारों के लिए बात कर रही है, जनता वनों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है लेकिन उसके पास उपयुक्त जानकारी नहीं है और हम जनता को वही जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें संगठित कर रहे हैं और हमारे इन प्रयासों के कई सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। आज सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर विचार कर रही है।

सवाल : आप राज्य आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे, पृथक राज्य बनने के बाद आपको व्यक्तिगत रूप कितनी संतुष्टि मिली ? और समाज की दृष्टि से आप कितना संतुष्ट महसूस करते हैं ?

रघु तिवारी : उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में तो हम वाहिनी के साथ छात्र जीवन से ही सक्रिय थे। पृथक राज्य के लिए तो हमने झारखंड, असम तथा उत्तराखण्ड के छात्र संगठनों को साथ मिलाकर कई आंदोलन किए और जेल भी गए। लेकिन हम लोग 1994 में हुए आंदोलन को राज्य आंदोलन नहीं मानते हैं क्योंकि वह तो एक आरक्षण विरोधी आंदोलन था जिसे कुछ प्रगतिशील लोगों ने राज्य आंदोलन घोषित करने की कोशिश की और जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सहमति जताई। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार

भी बनाई और राज्य की घोषणा भी की। मूलतः वह राज्य आंदोलन नहीं था वह एक तरह से क्षेत्रीयता और जातीयता के सम्मिश्रण से खड़ा एक आंदोलन था जिसे यहां के कुछ प्रगतिशील लोगों ने राज्य आंदोलन बोलना शुरू कर दिया और इसका असर यह हुआ कि राज्य बनने के बाद इस प्रांत के अंदर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक चुनकर आए जबकि पहले इनका जनाधार कम था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 1994 का आंदोलन राज्य आंदोलन नहीं था बल्कि एक तरह से क्षेत्रीयता और जातीयता पर आधारित एक आंदोलन था क्योंकि इसने भाजपा की विचारधारा की पूरी मदद की। यदि यह पूरी तरह राज्य आंदोलन होता तो इसे यहां की जन पक्षीय विचारधारा का समर्थन मिलता और उसके बाद सारे चुनावों का असर भी उन्हीं के पक्ष में दिखाई देता।

यदि आपको राज्य आंदोलन को मूल रूप से देखना है तो आपको इस आंदोलन को 1952 से देखना होगा। 1952 में अल्मोड़ा में मेजर रीलर ने जंगलों को लेकर एक सभा का आयोजन किया। उनकी इस बात पर कुमाऊं परिषद उन्हें उठाकर ले गई। वहीं से अलग रहने तथा अलग से सरकार चलाने की इच्छा बलवती हुई। उसके बाद यही पृथक राज्य का आंदोलन 1970 से टिहरी से भी उठा और इसने बढ़ते–बढ़ते 1980 में छात्र आंदोलन का रूप ले लिया। इसलिए यदि इतिहास के विश्लेषण से राज्य आंदोलन को 1994 से देखा जाए तो यह गलत होगा।

सवाल : लेकिन अगर आप देखें तो राज्य बनने की सारी गतिविधियां 1994 के आंदोलन के बाद ही तेज हुई थी इसके क्या कारण थे ?

रघु तिवारी : निश्चित रूप से, क्योंकि उसके बाद वहां पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ कि क्षेत्रीय, जातीय या धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करना चाहिए। इसलिए उनमें अपना अलग राज्य बनाने की रुचि पैदा हुई। इससे पहले लोग जल, जंगल और जमीन पर लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे। उत्तराखण्ड के लिए नए भारत एवं उसमें पूरी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की बात कर रहे थे लेकिन यह बात उन्हें जंची नहीं इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि इसके विपरीत पृथक राज्य की बात

को आगे बढ़ाया क्योंकि इससे उनके लिए जनाधार पैदा होता था। यह ठीक है कि हम राज्य की इस छोटी इकाई का स्वागत करते हैं लेकिन यह जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा और अब भी एक नई लड़ाई की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि इन पृथक राज्य से केवल कुछ गिनती भर लोगों को ही लाभ हुआ है जिन लोगों का इस आंदोलन से कोई संबध नहीं था वे तो आज सरकार के बीच में और ऊंचे–ऊंचे पदों पर बैठे हैं और जिन लोगों ने वास्तव में इस आंदोलन में भाग लिया वे आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ ही रहे हैं, वे किसी ऊंचे पद पर या सरकार में कहीं भी दिखाई नहीं देते अर्थात उनकी अपेक्षाओं का राज्य नहीं बना है। इसलिए राज्य बनने के बाद भी शासन व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखण्ड के जल, जंगल और जमीन पर लोगों के अधिकारों का संघर्ष मौजूद रहेगा। क्योंकि केवल पृथक राज्य बनने से ही राज्य की सभी समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। हमें यह भी देखना होगा कि महिलाओं तथा पिछड़े और कमजोर वर्गों को उनके अधिकार मिल भी पा रहे हैं या नहीं ? राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी ? वो गांव पर आधारित हो पाएगी या नहीं? अर्थव्यवस्था पर गांव कितना निर्णय ले सकेगा? पंचायतों के पास कितने अधिकार होंगे ? राज्य के पास कितने अधिकार होंगे? राज्य आंदोलन के लिए लड़े लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं आदि।

सवाल : नशामुक्त उत्तराखण्ड का सपना सभी आंदोलनकारी और समाजकर्मी देखते आए हैं। आपको क्या लगता है उनका यह सपना पूरा हो पाएगा या नहीं? उत्तराखण्ड को नशामुक्त बनाया जा सकेगा या नहीं ?

रघु तिवारी : नशे के सवाल पर हमारा स्पष्ट सोचना है कि जो नशा समाज के आम गरीब तबकों को नुकसान पहुंचाता हो उसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ सोचकर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

शराब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। एक तो सरकार ,शराब का व्यापार निजी ठेकेदारों को ठेका देकर या लाइसेंस देकर करवाती है जिससे बाद में पूरा एक माफिया तंत्र खड़ा हो जाता है। उन माफियाओं से राजनेताओं को मोटा चंदा मिलता है, एक तरह से वो

लगभग सभी नौकरशाहों को खरीद लेते हैं। जिसके कारण वो नौकरशाह देश की आम जनता की भलाई के बारे में सोचने की बजाय इस माफिया तंत्र की भलाई के बारे में ही अधिक सोचता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस व्यवसाय को ठेके पर देने की बजाय इसे अपने हाथ में लेकर विभाग खोले, बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करे। आज नशे का व्यापार पूरे उत्तराखण्ड में कार्यपालिका को जनता से काट रहा है। इसलिए हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं।

सवाल : आप स्वैच्छिक जगत के साथियों या आंदोलकारियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं ? आप उन संगठनों को किस रूप में देखना चाहते हैं ?

रघु तिवारी : आज विश्व भर में जैसे चुनौतियां पैदा हो गई हैं और जिस प्रकार से लोग व्यापक मुद्दों पर एक–दूसरे से वैर–भाव की भावना रख रहे हैं उससे देश और समाज का भला होने के बजाय नुकसान हो रहा है। यदि हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने समाज तथा देश का विकास करना है तो हमें, अपने आपसी वैर–भाव भुलाकर संगठित होकर एक मंच की ओर बढ़ना चाहिए। यदि हम व्यापक परिवर्तन के लिए साथ चलने का प्रयास करेंगे तभी हम बदली हुई स्थितियों का सामना कर सकते हैं। और मैं, अपने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारी मित्रों से इसी बात का आव्हान करना चाहता हूं।

धन्यवाद !

मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के

सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार

सुन्दर लाल बहुगुणा

सुन्दर लाल बहुगुणा : हमारी भारतीय संस्कृति अरण्य संस्कृति थी। हमारे शिक्षा के केन्द्र, अर्थात आश्रम अरण्य में थे। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अरण्यों को पुर्नजीवित करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। कमरों के अंदर पढ़ने का चलन तो अंग्रेजों ने पैदा किया था क्योंकि उनका देश ठण्डा था और घरों से बाहर बैठकर पढ़ाई नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ये सारा जाल बुना। उनके आने से पहले तक तो भारत में सब कुछ खुले आसमान के नीचे होता था। क्योंकि खुले आकाश के नीचे और प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य के विचारों को स्फूर्ति मिलती है, नये–नये विचार आते हैं। वह कमरे के अंदर उन्हीं विचारों को बार–बार दोहराता रहता है जो उसके अंदर जमा होते हैं। क्योंकि कमरे की इतनी कम परिधि होती है जिसमें वह कमरे के चारों और ही चक्कर काटता रहता है।

यदि भारत को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो उसे अपने अतीत की ओर देखना चाहिए अर्थात उसे पुनः वही जीवन पद्धति अपनानी चाहिए जो उसे अरण्य संस्कृति से प्राप्त हुई थी। जिसमें चिन्तन करने और नए विचारों को प्राप्त करने के लिए, खुले आसमान के नीचे, पेडों के नीचे और नदी के किनारे बैठकर अध्ययन किया जाता था। आपने देखा ही होगा कि कोई भी ऋषि नदी के किनारे या पहाड़ की उस चोटी पर बैठकर ध्यान लगाता है जहां से प्राकृतिक सुंदरता अर्थात जीवन्त प्रकृति के दर्शन होते है। इस प्रकार प्रकृति से हमें स्थायी मूल्यों की प्राप्ति होती है। आज हमें दो–तीन चीजों की आवश्यकता है पहली तो अपने आज को अपने अतीत से जोड़ने की, जिस प्रकार कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों के साथ जुड़ा होता है और अगर उसे जड़ से अलग कर दिया जाए तो वह सूख जाता है उसी तरह किसी

भी समाज की जड़ उसका अतीत होता है और अगर उसको उसके अतीत से काट दिया जाए तो वह भी तरक्की नहीं कर पाता है।

दूसरी, बात मनुष्य को जिंदा रहने के सभी साधन प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति को जीवित रहने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है और आक्सीजन कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती है। उसे जल की भी आवश्यकता होती है और जल के बारे में आस्ट्रेलिया के सोवरगर नामक विद्वान ने "The Living Water" 'जिन्दा जल', नामक एक पुस्तक लिखी। उनके अनुसार हर जगह का पानी जिंदा नहीं रहता है जैसे नल के अन्दर गया हुआ पानी स्वछन्द रूप से खासकर पहाड़ी नदी में बहने वाले जल की अपेक्षा कम स्वच्छ होता है क्योंकि वह पानी पहाड़ों से टकरा–टकराकर अपने को स्वच्छ रखता है और उसी पानी को जीवन्त कहा जाता है। शायद इसीलिए हमारे यहां हरिद्वार में गंगा में श्राद्ध तर्पन करने के पीछे भी यही सोच काम करती हो क्योंकि गंगा, अपना हरिद्वार तक का सफर पहाड़ी क्षेत्र में बहकर तय करती है उसके बाद उसका पानी, उसकी गति कम हो जाती है और गति कम होते ही वह प्रदूषण का घर बन जाती है। इस प्रकार दूसरा तत्व स्वच्छ पानी है।

उनके अनुसार जीने के लिए तीसरा साधन 'अन्न' है और वृक्ष हमें फलों के द्वारा पोषण देते हैं। हम वृक्षों को इसलिए उगाते हैं ताकि हमें उनसे अन्न की प्राप्ति हो। शुरू में अन्न, मनुष्य की खुराक नहीं थी। शुरू–शुरू में हम पशुपालक थे और पशुओं के साथ अपना जीवन–यापन करते हुए फलों का सेवन करते थे लेकिन उस दौरान स्त्रियों को काफी कष्ट होता था क्योंकि उनके साथ रहने वाले पशु सब घास तथा अन्य पौधों को चर लिया करते थे जिससे फिर उस स्थान पर हरियाली की कमी हो जाती थी और उन्हें उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना होता था इसलिए उन्होंने धीरे–धीरे घास के बीजों को पकाकर खाना शुरू किया और इस तरह मनुष्य ने अन्न पैदा करना, उसे संग्रह करना और उसे पकाना शुरू कर दिया। जब से मनुष्य ने अन्न की खेती करना और उसे संग्रह करना शुरू किया तभी से दुनिया में अधिकांश लड़ाइयां शुरू होने लगी।

अब समय आ गया है जब पूरी मनुष्य जाति को अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। सबसे पहले तो हमें आधुनिक युग के नए अवतार 'प्रदूषण' का हल निकालना होगा। आज पूरे विश्व में प्रदूषण ने अपना जाल इस तरह से बिछाया हुआ है जबकि आज से कुछ साल पहले तक लोगों ने प्रदूषण शब्द के बारे में सुना तक भी नहीं था। मुझे याद है कई वर्ष पहले India International Centre (एंडिया इन्टरनैश्नल सेंटर) में प्रदूषण के बारे में एक गोष्ठी हो रही थी। हमारी गोष्ठी चल ही रही थी, तभी वहां एक ग्रामीण आदमी आ गया, उसने उन सभी बातों को सुनने के बाद हमसे पूछा कि ये खरदूषण कहां से आ गया ? ये बड़े–बड़े साहब उससे इतना क्यों डर रहे हैं, आखिर ये है कहां ? तो इस प्रकार से आज तक उसने इस प्रदूषण शब्द को भी नहीं सुना था इसलिए वह उसे खरदूषण कहकर पुकार रहा था। मैंने, किसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह इनकी पौशाक के अंदर छिपा हुआ है, इनकी जीवन शैली ही प्रदूषण को जन्म देती है।

आज समाज की प्रगति के आगे कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं उनमें पहली है, 'युद्ध का भय' क्योंकि आज गरीब से गरीब देश भी अपनी अधिकांश कमाई अनुत्पादक कार्यों जैसे हथियारों को जमा करने और सेनाओं पर खर्च करने में लगा रहा है, इस कारण से वहां की सामान्य जनता को नुकसान हो रहा है। समाज का दूसरा बड़ा खतरा 'प्रदूषण' है। आज आबादी बढ़ने के साथ–साथ नागरिक सुविधाएं भी बढ़ रही हैं जिससे धूल, धुआं और शोर जैसे तीन दैत्य हमारे देश को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हवा में बढ़ते धूल और धुएं के कारण पत्तों के ऊपर भी धूल जमती जा रही है जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है और हम लोग कई सांस संबधी समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आज भी मुझे सन् 72 में संयुक्त राष्ट्र विज्ञान परिषद् की पत्रिका में छपे एक दण्ड चित्र के कार्टून की याद आती है जिसमें, एक बौना आदमी एक बड़े पेड़ को अपनी बांह के बीच में पकड़कर दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है किसी ने उससे पूछा – कहां जा रहे हो? जरा ठहरो ... उसने कहा, देखता नहीं है कि सीमेंट की सड़क मेरा पीछा करती आ रही है। इस प्रकार काफी सालों से मनुष्य को सभी तरह की सुख–सुविधाएं प्रदान करने की लालसा के कारण आज ऐसे कई निमार्ण

कार्यों पर जोर दिया जा रहा है जिससे हमारी प्रकृति और हमारे स्वास्थ्य को घातक नुकसान हो रहा है।

बहुगुणा जी – एक परिभाषा है, कि जंगल एक समुदाय है जैसे समाज में अनेक प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं उसी तरह से जंगल में भी कई प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां और जीव–जन्तु मिलकर एक समुदाय बनाते हैं और वे सभी एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं।

अन्य व्यक्ति – वनों के संरक्षण में कई ऐसे औषधीय पेड़–पौधे और जड़ी–बूटियों का रोपण हो रहा है लेकिन शायद वो अधिक उत्तम न हों।

बहुगुणा जी – अगर वे उत्तम किस्म के न हों तो उनके गुण धर्मों में भी अंतर होगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये। अब समय आ गया है जब हमें अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी बंद कर देनी चाहिए और विकास के साथ–साथ प्रकृति के पुर्नजीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को प्रकृति के साथ मिलकर रहने की आदत बनाने का भी प्रयास करना चाहिए।

अन्य व्यक्ति – जैसा कि पहले भी था जिसे symbiotic relationship कहते हैं।

बहुगुणा जी – मैं, यहां पहाड़ों की बात इसलिए कर रहा हूं कि पहाड़ हमारे जल की मीनारें हैं और हमारे जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है जल संकट का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार खेती भी सभी के लिए अनिवार्य है, अगर हमने भविष्य की जाति को जिंदा रखना है तो हमें अपनी कृषि–व्यवस्था को जिंदा रखना होगा।

अन्य व्यक्ति – क्या, आपको अन्न की खेती का भविष्य बहुत उज्ज्वल नजर नहीं आता है?

बहुगुणा जी – हालात जैसे भी हों, इतने कम समय में अन्न की बढ़िया खेती नहीं हो सकती।

अन्य व्यक्ति – अब पहले वाली विशुद्धता भी खत्म हो गई है, उसमें कीट नाश्क भी शामिल हो गए हैं और उसका जैविक स्तर भी बिगड़ गया है।

बहुगुणा – हमारे यहां दो तरह की खाद्य पदार्थ होते हैं। एक तो, विशुद्ध, साधारण खादों वाली और दूसरी जैविक खादों वाली होती है जिसे अमीर लोग ही खरीदते और खाते हैं।

अन्य व्यक्ति – अब तो ऐसी स्थिति हो गयी है कि हम टमाटर जैसी चीज में भी जिनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मांस डालकर उसमें मांस पैदा कर दिया। ऐसे में, अब हमारा टमाटर भी शाकाहारी की जगह मांसाहारी ही हो गया है। प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह की छेड़छाड़ से हमारे पर्यावरण के साथ–साथ हमें भी भारी नुकसान को झेलना होगा।

मध्य हिमालय (उत्तराखंड) के

सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ साक्षात्कार

विजय जड़धारी का साक्षात्कार

प्रश्न : आप, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।

विजय जड़धारी : मेरा नाम विजय जड़धारी है मैं, हिंगोल घाटी के जड़धार गांव में रहा हूं और उत्तराखण्ड में पर्यावरण जागरुकता को लेकर चले विभिन्न आंदोलनों जैसे चिपको, खनन विरोधी आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन और अब बीज बचाओ आंदोलन मैं शामिल रहा।

सवाल – आपने बीज बचाओ, टिहरी बांध विरोधी और चिपको जैसे कई आंदोलनों में भाग लिया। आज आप इन सभी आंदोलनों के कारण उत्तराखण्ड या यहां के समाज पर पड़े प्रभावों के बारे में क्या सोचते हैं?

जड़धारी जी – इन आंदोलनों का प्रभाव तो कई क्षेत्रों में दिखता है। जैसे चिपको आंदोलन को ही देख लीजिए, उस आंदोलन के दौरान जब भी जंगल का कटान होता था तो वहां के लोग सीधे जंगल में जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे और पेट काटने से रोकते थे। आज जंगल के लिए वन नीति बदल गई है। 1981 से न केवल उत्तराखण्ड बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र में एक हजार मीटर ऊंचाई से अधिक के पेड़ों के व्यापारिक कटान पर रोक लग गई है। व्यापारिक कटान तो बंद हो गए हैं बस अब कुछ छोटे–मोटे कटान और तस्करी हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी और वन अधिनियम 1980 के कारण भी काफी कुछ वन बचे हुए हैं। लड़ाई सीधी तो नहीं है लेकिन कई क्षेत्रों में लोगों ने अपने–अपने गांव में अपने–अपने जंगल पाले हुए है। अब सरकार या गैर सरकारी संगठनों की ओर से वृक्षारोपण के बहुत सारे कार्यक्रम चले, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से नाममात्र के ही सफल हो पाए हैं।

इनमें से जितने भी कार्यक्रम चले, चाहे वो जलागम कार्यक्रम हो, विश्व बैंक या ई.ई. सी. का कार्यक्रम हो, इन सभी कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं अर्थात कहीं पर भी लोगों के लगाए हुए जंगल दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वहीं, लोगों के अपने बनाए हुए जंगल कई जगहों पर हैं जिनमें उन्होंने संसाधनों और बाहरी मदद के बिना भी अपने जंगल तैयार किए हैं। मैंने, अधिकांश गांवों में देखा कि चाहे गांव के अंदर या बाहर कोई भी पेड़ उगाया गया हो लेकिन उसे काटने की बजाय बचाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार उसके बाद कई क्षेत्रों एवं गांवों में बाहरी संसाधनों के बिना भी हरियाली कायम हुई है। आज हमें, चिपको आंदोलन के रूप में जो प्रभाव दिखाई देता है वह संरक्षण के रूप में ही दिखाई देता है।

सवाल – इन आंदोलनों के दौरान आपके क्या अनुभव रहे ?

जड़धारी जी – अगर हम खनन के विरोध में उठे आंदोलनों की बात ही करें तो एक जमाने में उत्तराखण्ड में खनन के कारण कई क्षेत्रों खासकर मसूरी और देहरादून में काफी तबाही हुई थी। यहां चूना पत्थर (Line stone) की खानों ने बहुत तबाही मचायी। बड़े–बड़े ठेकेकारों और मालदारों ने यहां के पूरे परिवेश को उजाड़ा। खनन के कारण कई क्षेत्रों में पानी भी सूखा है और इसका सबसे बुरा प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ा है, यहां तक कि कई ग्रामवासियों को तो घर छोड़कर भागना भी पड़ा है। हम देखते हैं कि आज भी कुछ क्षेत्रों में खनन हो रहा है जैसे पिथौरागढ़ और हीराकोट जैसे क्षेत्रों में आज भी खड़िया खनन हो रहा है। जिससे लगता है कि आज भी लोगों में जागृति फैलाने की आवश्यकता है।

इस खनन से बचने के लिए लोग अपने संगठन बनाकर आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि सभी के अनुसार हिमालय एक नया पहाड़ होने के कारण बहुत संवेदनशील है, और खनन के दौरान बहुत भारी विस्फोटकों का प्रयोग किया जाएगा जिससे पूरा परिवेश ही बिगड़ जाता है।

एक तो पानी के स्रोत सूख जाते हैं और जंगलों को तो नुकसान होता ही है इसके साथ–साथ स्थानीय लोगों के घास तथा लकड़ी आदि पर कायम सामुदायिक अधिकार भी छिन जाते हैं। कई समय से पहाड़ में खनन आंदोलन चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये आंदोलन पहाड़ में उतने सफल नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए था। अभी खटाली में तीन साल तक खनन विरोधी कार्यक्रम चला उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय मिनिरल इण्डस्ट्रीज को 6 साल तक के लिए 'क' फर्म दी। पांच साल तक आंदोलन चला और वो पांच साल तक काम शुरू नहीं कर पाए। छठवें साल तक भी वो काम शुरू नहीं कर पाए, तब तक उत्तरांचल राज्य बन गया। पृथक राज्य बनने पर लोगों ने खनन प्रथा पर ऐतराज किया, वे धरना देने के साथ–साथ धरना भी दे रहे थे। लेकिन नया राज्य बनने के बावजूद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, लोग खनन पट्टे को खत्म करने की बात कर रहे थे और नया राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे तीस साल के लिये आगे बढ़ा दिया। खनन पट्टा मिलने के बाद यहां खनन कार्य होने लगा तो लोगों ने दोबारा आंदोलन चलाया। इस पर खनन माफिया ने यहां के जिला जज को अपने प्रभाव में लिया और आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों की बातें सुने बिना ही उनपर खनन क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी। इस तरह से उन्हें कोर्ट की मान्यता मिल गई, मान्यता मिलने के बाद जब उन्होंने खनन का प्रयास किया, तब हमने दोबारा उसका विरोध किया, इसपर उन्होंने तीन लोगों कुँवर प्रसून, एक स्थानीय वन पंचायत के अध्यक्ष तथा मुझपर प्रतिबंध लगा दिया जिसके कारण हम लोग वहां नहीं जा पाए लेकिन स्थानीय जनता ने उसका प्रतिरोध किया और वो आंदोलन चलाते रहे। उसके बाद हम आंदोलनों में नहीं गए लेकिन फिर भी हम पर न्यायालय की अवमानना अर्थात शांति भंग करने का मुकदमा दायर कर दिया। फिर हमलोगों ने भी कोर्ट के नजरिये से कोर्ट का जवाब देना चाहा, इसके लिए हमने गांव के लोगों और स्वंय सेवी संगठनों ने उच्च न्यायालय, नैनीताल जाकर फिर एक रिट दायर की। रिट दायर होने के बाद पहले खनन पर अस्थायी रोक लगी और फिर अगला फैसला न आने तक स्थायी रोक लग गयी, इस तरह अभी तक ये खनन शुरू नहीं हो पाया। लेकिन फिर हाई कोर्ट का भी अपना एक नजरिया है पहले के जज का यह नजरिया था कि खनन से स्थानीय लोगों के हक खत्म हो जायेंगे, पूरा पर्यावरण बिगड़ जायेगा, पानी सूख जायेगा, जंगल खत्म हो जायेगा क्योंकि वन विभाग ने पक्के तौर पर

लिखा हुआ है कि इससे वन अधिनियम 1980 का तो उल्लंघन होता ही ही है। खनन होने से यहां के जल, जंगल, जमीन और यहां की जैव–विविधता पर बहुत बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। उस समय के जजों ने इस बात को समझा लेकिन जब ये जज चले गए तो नए खनन माफियाओं ने नए जजों को प्रभावित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को नहीं पलटा और खनन की अनुमति नहीं दी लेकिन उन्होंने डी.एम. को ये सौंप दिया कि यदि इस खनन से किसी का अनादार नहीं हो रहा हो तो डी.एम. चाहे तो खनन करा सकता है। अब यह बात जज के हाथों से निकलकर डी.एम. के हाथ में आ गई। डी.एम. ने कहा कि शासन से अनुमति मिल गई है इसलिए उस क्षेत्र में खनन होगा। लेकिन हम लोग भी नहीं माने, हमने डी.एम. को कहा कि यदि आप खनन कराएंगे तो हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे, फिर चाहे कोर्ट की अवमानना ही क्यों न हो। इस प्रकार यह मामला वहीं पर फंसा हुआ है। लोगों ने वहां खनन नहीं करने दिया। आज सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत बनाया हुआ है। किराड़ी को ही देख लीजिए वहां, केवल 12–15 परिवार ही रहते हैं लेकिन वे पूरी मजबूती से इस आंदोलन पर जुड़े हुए हैं और खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। क्योंकि अगर उस क्षेत्र में खनन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा इसलिए वे अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं।

सवाल – यह माना जाता है कि पहाड़ में प्राकृतिक संसाधन व्यापक रूप में मौजूद हैं इसलिए इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र या जड़ी–बूटी राज्य के रूप में विकसित किया जाए। सरकार यहां रोजगार को बढ़ावा देने के नाम पर जल, जंगल और जमीन आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वितरित कर रही है। आपको क्या लगता है कि, क्या सरकार स्थानीय संसाधनों का उचित बंदोबस्त कर रही है ? या सरकार को उसका बंदोबस्त किस तरीके से करना चाहिए?

जड़धारी जी – सरकार के जैसे मन में आ रहा है वह उसे वैसे ही वह कभी इसे जड़ी–बूटि प्रधान राज्य बना रही है तो कभी पर्यटन प्रधान राज्य बना रही है लेकिन वो इसे यहां के स्थानीय लोगों का राज्य नहीं बना पा रही है।

जहां तक स्थानीय संसाधनों के उपयोग की बात हो रही है तो , हम यह नहीं कह रहे कि यहां नदियों को सीधे नीचे बहकर जाना चाहिए या यहां से बिजली पैदा नहीं होनी चाहिए। हम यह चाहते हैं कि यहां पर एक–दो बड़ी परियोजनाओं की अपेक्षा बहुत सारी छोटी–छोटी परियोजनाएं होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए, यह योजनाएं इतनी छोटी होनी चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को विस्थापित न होना पड़े।

यहां के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि यदि इलाके में पन बिजली बनाने की बात हो तो, वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षिण प्राप्त करने के बाद छोटी–छोटी योजनाओं को खुद ही चला सकें। वे पहाड़ में पहले चलने वाले घराट के बड़े रूप के प्रयोग से बिजली पैदा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहां पन बिजली पैदा हो ताकि दूसरे राज्यों को भी बिजली उपलब्ध हो सके।

जहां तक खनन की बात है हम ये नहीं कहते हैं कि यहां से एक भी पत्थर नहीं निकलना चाहिए, हम तो यह चाहते हैं कि यहां बाहर से आया हुआ कोई पूंजीपति व्यक्ति खनन कार्य को न करे बल्कि ऐसा खनन होना चाहिए जिसे वहां के स्थानीय लोग भी कर सकें क्योंकि यदि यहां पर कोई बाहरी व्यक्ति खनन कार्य करता है तो उसके साथ–साथ बाहर से मजदूर भी आते हैं जिससे यहां के लोग तो बेरोजगार ही रह जाते हैं। बाहर से आए लोग यहां के पानी तथा लकड़ी का प्रयोग तो करेंगे ही साथ ही साथ वो यहां के स्थानीय लोगों के लिए आने वाले पैसे का भी अतिक्रमण करेंगे और यहां के नागरिक का बंधुआ मजदूरों की तरह शोषण होगा। यहां इस तरह का खनन होना चाहिए जिसमें विस्फोटकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ऐसा खनन होना चाहिए जिसका प्रयोग स्थानीय लोग भी कर सकें और उन्हें काफी संख्या में रोजगार मिल पाए। अगर यहां, इस तरह का खनन होता हो, तो ऐसे में हमें और यहां के स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और शर्त जोड़ी गई है कि इन खनन कार्यों में गांव के लोगों की सहमति होनी चाहिए, मिनिरल वाले क्षेत्र में न केवल पंचायतों की बल्कि ग्राम सभाओं की सहमति भी होनी चाहिए। खनन तथा जड़ी–बूटि निकालने के कार्य के लिए आम लोगों की सहमति लेनी चाहिए, वहां जो भी काम हो उसमें यही ध्यान रखना चाहिए कि उससे स्थानीय लोगों को

लाभ जरूर मिलना चाहिए। अगर इस काम को स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो यह योजना निरन्तर रूप से चल सकती है। लेकिन अगर वही काम गैर सरकारी संगठनों या एक ही व्यक्ति को दे दी जाए तो वे केवल अपना लाभ कमाने का प्रयास करेंगे और जनता का शोषण ही करेंगे।

सवाल – उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन एक नया आंदोलन है जिसे सफल आंदोलन माना जा रहा है। पृथक राज्य की मांग करने से पहले लोगों ने सोचा था कि यहां के बंदोबस्त में थोड़ा सुधार होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे और हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके विपरीत आज यहां 17 के बजाय 70 विधायक हो गए हैं, जिनके कारण खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या पहाड़ के संदर्भ में लोकतांत्रिक ढ़ांचा ठीक रूप में उभर रहा है ? इसका क्या स्वरूप होना चाहिए ?

जड़धारी जी – अगर ध्यान से देखा जाए, तो पृथक राज्य बनने से साधारण नागरिकों का कम तथा नेताओं केा अधिक लाभ मिला है। राज्य बनने से नेताओं को रोजगार मिल गया है, नेताओं के साथ–साथ अफसरों की संख्या बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो गई है। नेताओं में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अगर किसी इलाके में नहर बनानी है तो उसके लिए भी विधायक की पहुंच की आवश्यकता होती। आज केवल अफसर और नेताओं का राज हो गया है जनता को तो केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त है और कुछ भी नहीं। वास्तव में राज्य आंदोलन की मांग के समय ही बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वैसे तो यह आंदोलन आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ था लेकिन आगे चलकर यह पृथक राज्य के रूप में उभर गया। हम एक छोटी सी जगह नागनी का उदाहरण लेते हैं आज वहां सारी दुकानें, चाय और खाने के होटल आदि सब वैट के कारण बंद हो गए हैं। लोगों को यह भी नहीं पता है कि वैट क्या होंता है और उससे होटल प्रभावित होता भी या नहीं? उसके बावजूद भी वे सब बंद हो गए हैं अर्थात वे बिना कुछ सोचे–समझे ऐसे ही बंद हो गए हैं। इसी तरह से राज्य का आंदोलन भी एक हवा में लड़ा गया और पृथक राज्य भी बन गया। स्थानीय लोगों को लगा कि पृथक राज्य

बनने से हमारे सभी दुख–दर्द दूर हो जाएंगे और हमारे साथ–साथ हमारे इलाके का भी विकास हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हम सोचते हैं कि अगर यह पृथक राज्य न बना होता तो अच्छा होता, इसे पृथक राज्य बनने की बजाय 10–15 साल तक केन्द्र शासित प्रदेश ही बना रहता तो अच्छा होता। जो लोग आज पृथक राज्य में रहने के कारण दुखी हैं, वह ऐसा नहीं रहते।

सवाल – एक अन्तिम प्रश्न, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पृथक राज्य बनने से संकट बढ़ता जा रहा है। पृथक राज्य बनने से केवल कुछ ही लोगों को सत्ता के रूप में लाभ हो रहा है। आपको क्या लगता है जिन लोगों के लिए पृथक उत्तराखण्ड राज्य बना था उन्हें लाभ मिलने की कोई संभावना है भी या नहीं ? या वहां के लोगों को लाभ दिलाने के लिए किस तरह के आंदोलन करने की आवश्यकता है ?

जड़धारी जी – अभी, इस बारे में बात करना कठिन है क्योंकि अभी तक जो कुछ हो चुका है लोग उसी को समझ नहीं पाए हैं। हमें जनता का जागरूक करना चाहिए कि जिस कारण से पृथक राज्य बना, उसके बनने के बाद लोगों की मांगे पूरी हो भी पायी हैं या नहीं ? हम चाहते हैं कि जिस तरह से लोग उस आंदोलन के समय गांव–गांव से जुड़े हुए थे उसी तरह अब भी हम सभी को एकजुट होकर राज्य के स्वरूप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें दुख की बात है कि अभी भी किसी दल में ऐसा कोई नेतृत्व दिखाई नहीं देता है।

धन्यवाद।

साक्षात्कार

अरूण कुमार शाह, अध्यक्ष जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति

(साक्षात्कारकर्ता – भुवन पाठक)

भुवन – आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए अपनी राजनीतिक भूमिका के बारे में बताएं ?

अरूण कुमार – मेरा नाम अरूण कुमार शाह है, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उत्तराखण्ड क्रांति दल की स्टूडेट शाखा से चुनाव लड़ा और विजयी रहा। 1984 में मैं, चमोली जिले में सी.पी.आई. का ए.आई.एफ. प्रभारी था। 1991 तक आते–आते हम उत्तराखंड क्रांति दल में पूर्ण रूप से शमिल हो गए। उसके बाद मैं, आंदोलनों में शिरकत करता रहा। मैंने इलाहाबाद जाकर उत्तराखंड छात्र सोसायटी बनाई जिसमें, हमने वहां पढ़ने वाले 600 बच्चों को अपने साथ मिलाया। 1994 के दौरान मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि, स्व. बडोनी और पान सिंह जी जैसे बड़े–बड़े आंदोलनकारी पौड़ी में धरने पर बैठ हुए हैं और हमें वहां आंदोलन करवाना है। मैं उस समय सीधे पौड़ी में बडोनी जी के पास गया और उनके साथ काम किया। तब से लगातार हम आंदोलन में रहे हैं। उसके बाद हमने पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया और आज उत्तराखंड भी बना दिया। आज भले ही उत्तराखण्ड की स्थिति ऐसी न हो जैसी हम चाहते थे लेकिन वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही है उनसे उत्तराखण्ड की स्थिति में जरूर सुधार होगा हां, ये जरूर है कि उत्तराखण्ड में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इन योजनाओं को अमल में लाना थोड़ा कठिन है विशेषकर इस पहाड़ में तो अधिकतर स्थानों पर जंगल ही जंगल हैं जहां कोई फैक्ट्री लगाना कठिन है लेकिन यहां से बिजली पैदा की जा सकती हैं और जड़ी–बूटियां प्राप्त की जा सकती हैं। जंगल काटना और जड़ी–बूटियां पैदा करना फैक्ट्री से लगाने से अलग बात है तो, उसी प्रवृत्ति में यहां दो बहुत बड़ी योजनाएं चल रही है। वैसे हमारे पास छोटी योजनाएं भी हैं उनमें नाका की एक योजना भी शामिल है।

भुवन – वो योजना बन गई है क्या ?

ए.के. शाह – जी, बन गयी है वह जुम्मा में है और अभी निर्माणाधीन है सरकारी होने के कारण उसमें कई खामियां का सामना करना पड़ रहा है लेकिन काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा यह योजना हमारे ब्लाक के बद्रीनाथ, तपोवन और गोविन्दघाट के लिए भी बनी है जो लगभग पूर्ण रूप से बन चुकी है। इसमें उत्पादन होने के बाद उत्पादन बंद भी हो गया और एक अन्य योजना उरकम में भी बनी है उसमें भी उत्पादन शुरू हुआ लेकिन एक छोटी सी तकनीकी समस्या आने के कारण वो बंद हो गया है। इन सबको देखकर लगता है कि हमें बिजली की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान समय में भी यहां रोस्टिंग होती है और छः पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट छोटे हैं तथा सरकारी हैं जिससे थोड़ी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, मुझे लगता है कि यदि इनमें से कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट होते तो वो और भी अधिक अच्छी तरह से चलते क्योंकि सरकार की लाल फीताशाही के कारण उन्होंनें छोटी–छोटी बातों पर ही सारा काम रोक दिया।

भुवन – तो ये छः के छः अभी बंद पड़ी हैं ?

ए.के. शाह – जी! इसमें से कोई चालू हालत में नहीं है। शायद बैजनाथ वाले में कुछ उत्पादन शुरू हुआ हो। वैसे तो 18 तारीख तक वहां बिजली का कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ था। वहां कुछ अच्छे कार्यकर्ता लोग काम करने गए हैं, इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी उत्तराखण्ड में काम करना चाहते हैं लेकिन कभी–कभी उन्हें भी फंसा दिया जाता है तो कभी परियोजना ही बंद कर दी। अब उसी प्रवृत्ति में यहां पर जयप्रकाश कम्पनी के द्वारा 400 किलो वाट का बृष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट बनाया गया और इससे 4000 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है। किसी नई परियोजना के आने से स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं। उनसे उनकी जमीनें, उनके चरागाह तथा यहां तक कि उनके शमशान घाट तक छीन लिए जाते हैं। इसके अलावा वहां निमार्ण कार्यों से निकला बारूद का मलवा हमारी नदियों के किनारे डाला जाता है जिससे पूरी नदी ही प्रदूषित हो जाती है। जबकि वहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गंगा बचाओ बोर्ड नाम से सरकार ने कई–कई बोर्ड बनाए हुए हैं लेकिन आज भी गंगा जी के किनारे बहुत अधिक गर्मी देने वाले बारूद के पत्थर लगाए गए हैं जिनमें से आज भी बदबूदार मलवा गिरता रहता है। इन्होंने चाई गांव का पूरा शमशान घाट ही खत्म कर दिया। इसके

विरोध में हमने कई संघर्ष तथा आंदोलन किए लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि इन लोगों ने हमें मजदूरी तक नहीं दी और न ही यहां के जन प्रतिनिधियों या राजनैतिक दलों ही से बात की। इस सब के बीच उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल था जिसने हमें दिशा–निर्देश दिए इसमें हरीश जी, देवेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे लोगों ने यहां भम्रण किया और यहां की वस्तुस्थिति देखते हुए हमें दिशा–निर्देश दिए। जिनके आधार पर हमने आंदोलन किया और तभी हमारी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत हुई लेकिन ये भी तभी संभव हुआ है जब हमें थोड़ी मजदूरी मिलनी शुरू हुई, लेकिन आज वो मजदूरी भी खत्म होने वाली है। उसी के परिप्रेक्ष्य में अब एन.टी.पी.सी. द्वारा तपोवन विष्णु गार्ड योजना बनाई जा रही है। इस योजना के कारण भी कुछ गांवों को विस्थापितों का दुख झेलना पड़ेगा। सेलंग नाम के एक गांव को तो पूरी तरह ही विस्थापित किया जाएगा। और लोगों के बीच में सरकार, कम्पनी तथा हमारे वर्तमान नेताओं और विधायकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपको, आपकी जमीन की मनमानी कीमत मिलेगी इस प्रकार अभी उन्होंने कोई राशि तय नहीं की है। जबकि वास्तव में यहां दो साल से जमीन का काम चल रहा है और अभी तक जमीन के मूल्य तय नहीं किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जमीन के मालिकों को रोजगार भी दिया जाएगा। जबकि वहां न केवल जमीनों के मालिक बल्कि गैर भूमिहीन किसानों का भी रोजगार छिन गया क्योंकि वे लोग अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी तथा ऐसे ही अन्य कार्यों द्वारा अपनी रोजी–रोटी चलाते थे और इस तरह के कानून से वे लोग तो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए है। अभी तक इस योजना में इस प्रकार के लोगों के लिए भी कोई वार्ता नहीं हुई है। जोशीमठ में इस परियोजना का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने के लिए जोशीमठ बचाओं संघर्ष समिति नाम से हमारे कुछ गौण साथियों ने आंदोलन चलाया। लेकिन उसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया। हम इस परियोजना के विरोध में नहीं हैं बल्कि हम इस परियोजना के क्रियाकलापों को अपने हित में प्रयोग करने की मांग कर रहे हैं फिर चाहे हमें इसके लिए संघर्ष भी क्यों न करना पड़े हम इसके लिए तैयार हैं। हम परियोजना का साथ देने के लिए सरकार से कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो जमीन के मूल्य सही तय करे। इससे अच्छा तो यह है कि जिस जमीन पर आपको निमार्ण करना है उस जमीन के बदले वह हमें उसकी कीमत दे, दे और जिस जमीन को आपने निमार्ण कार्य के

बाद प्रयोग नहीं करना है उसे हमसे लीज पर ले लो, लीज में जहां सरकार को एक साथ पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और वहीं हम लोगों को जमीन खोने का दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन इस विषय पर भी उनसे कोई सार्थक वार्ता नहीं हो पायी है। क्योंकि ये 400 हैक्टेयर जमीन की मांग कर रहे हैं और हमारे इस पूरे क्षेत्र में 2000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती नहीं होती है। इस जोशीमठ ब्लॉक जो कि समाज ब्लॉक है। 2000 हैक्टेयर से अधिक नाप की भूमि पर खेती नहीं होती। हमने अपने चरागाहों के लिए कुछ भूमि खाली छोड़ी है और कुछ गैर भूमिहीन लोगों ने कब्जा जमाया है। और मैं समझता हूं कि यहां 96 के बाद किसी भी जमीन पर निमित्रीकरण भी नहीं हुआ। लीज दी भी गई है तो संस्थाओं को दी गई हैं तथा कंपनियों को दी गई हैं। किसी व्यक्ति या गांव के आम आदमी को लीज नहीं दी गई है। अब इस समय एन.टी.पी.सी. परियोजना के खिलाफ विरोध हो रहा है क्योंकि वह न केवल राज्य की बल्कि पूरे राष्ट्र की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के संबध में अभी तक किसी भी आम आदमी से बात नहीं की गई है। (भुवन –किन्होंने?) एन.टी.पी.सी. ने। (भुवन –अच्छा एन.टी.पी.सी. ने) वे जो भी बात करते हैं उसमें कुछ चंद लोगों को ही बुलाया जाता है। (भुवन–ये कौन लोग हैं?) जैसे कि वो इसमें प्रधानों तथा विधायकों को बुलाते हैं। और उन्हीं की मर्जी के अनुसार सब काम किए जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी संशय में पड़ा है कि हमारा क्या होगा ? हम आम जनता के बीच उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम यह चाहते हैं कि हमारी बेकार पड़ी जमीन परियोजना के काम आ जाए। अगर कहीं आपको गाड़ी खड़ी करनी है, कोई मैटल उतार कर रखना है या लेबर रखनी है तो हम इन कामों के लिए भी अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम उस जमीन को लीज के हिसाब से ही देंगे। और दूसरा योजना के पूरा होने पर उसमें हम लोगों को भी अपना हिस्सा मिले। उसमें इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि कौन आदमी कितना प्रभावित हुआ है और उसके हिसाब से उसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए। हम इस परियोजना में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी चाहते और अगर हमारा गांव विस्थापित हो रहा है तो वह सही तरीके से अर्थात टिहरी में चलाए जा रहे आर.आर. के आधार पर विस्थापित न किया जाना चाहिए। क्योंकि टिहरी के लोग आज भी विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। वहां आज भी कई लोगों को सड़कों

पर रहना पड़ रहा है। इसलिए हम शेयर वाली बात कर रहे हैं। और हमें यह शेयर उत्पादन शुरू होते ही मिलना चाहिए। क्योंकि ये चलते पानी की योजना है इसमें कुछ नहीं लगना है, क्योंकि एक बार योजना बन जाने के बाद अच्छा पानी ही आ रहा है और उसी पानी से हमारी बिजली पैदा हो रही है। इसमें सरकार तथा किसी कम्पनी को कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि हम लोगों के हकाकुक तथा सुखाधिकारों की ही बलि चढ़ेगी। जिस नदी से हमको पानी मिलता था वो नदी भी अब सूखकर गदेरे बन जाएंगे। नदी के उद्गम स्थल से गदेरे निकलेंगे और हमारा सारा मुख्य पानी डंगलों द्वारा किलोमीटर के हिसाब से कहां से कहां पहुंच जाएगा। बीच में हमारी नदियां सूख जाएंगी। प्रथम प्रयाग अर्थात विष्णु प्रयाग का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। धौली गंगा तथा अलकनंदा में भी प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे दोनों छोर से पानी अलग ले जाया जाएगा तो उस गंगा में पानी ही नहीं बचेगा। उसमें बचा हुआ पानी गदेरे के जैसा होगा। जैसे गांगरी से आने वाला पानी, जिसमें गोविन्द घाट पर पहले से ही एक छोटा प्रोजेक्ट चल रहा है इससे हमारी नदी को कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो पानी वापिस नदी में आ जा रहा है लेकिन लाम्बगढ़ के पास से आने वाला सारा पानी बंद हो जाएगा, बराज बनने के कारण लाम्बगढ़ के पहले वाला सारा पानी बंद हो जाएगा। वैसे ही तपोवन, धौली गंगा तक तो पानी आएगा। तपोवन से बराज बनने के बाद वो पानी सीधे अनमठ उतरेगा जिसकी बायरोड किलोमीटर के अनुसार 27–28 किलोमीटर होगी। इस बीच हमारी वो नदी पूरी सूख जाएगी। इसके रास्ते में विष्णु प्रयाग नामक धार्मिक स्थल तथा शमशान घाट पड़ता है, और इसके बनने से वो क्षेत्र भी प्रभावित होगा। यहां से ऋषिकेश तक, तथा हमारी अलकनंदा पर 22 योजनाएं चल रही हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में अगर वहां किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो उसको फूंकने के बाद उसकी राख को पानी में बहाने के लिए हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा।

भुवन – आपने शेयर वाली बात कही जिसपर एक महत्वपूर्ण सवाल उठ सकता है। हम देख रहे हैं कि उत्तराखण्ड में जहां भी सरकार लगातार पावर परियोजनाओं को बना रही है और उसके लिए ठेके कर रही है वहीं उनके खिलाफ आवाज भी उठ रही है तो इन परिस्थितियों

में आपके मन में क्या चलता है, क्या ये योजनाएं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए तो कैसे बननी चाहिए, इसपर आप क्या सोचते हैं ?

ए.के. शाह – क्योंकि आज पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी जिसके पास ताकत है, वह ताकत के बल पर राज करना चाहता है फिर वह चाहे वो तेल की या गैस की ही ताकत हो। हमारे पास बिजली है और हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम इसके दम पर पूरे विश्व में छा जाना चाहते हैं। हम ऐसी योजनाओं का विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें उन्नत तकनीक से काम हो। विदेशियों ने जिस तकनीक को छोड़ दिया है हम वही तकनीक अपनाते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने एन.टी.पी.सी. वालों से बैठक की उनके अनुसार हम बोरिंग मशीन लाएंगे, जो काफी मंहगी तो हैं लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यह क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला होने के कारण ये मशीनें पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहां उपयुक्त होंगी। अब रही जनता की बात तो जनता के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहां पर रोजगार की कमी है, मेरा एक खेत चले जाने से अगर 10 आदमियों को रोजगार मिलता है तो हम उसका विरोध नहीं करते।

भुवन – क्या आप ये मानते हैं कि विष्णु गार्ड परियोजना बनने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा ?

ए.के. शाह – इस तरह का संशय मिटाने के लिए इस सब चीजों को पहले ही तय करना आवश्यक होगा, वरना इसका विरोध हाता ही रहेगा। इस संशय का निवारण किए बिना, बने हुए प्रोजेक्ट उठ भी जाएंगे। एक क्षेत्रीय दल का प्रतिनिधि होने, कार्यकर्ता होने के नाते मैं, आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति पैदा होगी क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आंदोलन से जुड़ा हूं, छात्र नेता रहा हूं और हम लोगों ने बडोनी जी के नेतृत्व में कभी भी अपने आक्रोश को अपने विरूद्ध नहीं जाने दिया है क्योंकि, मैं इस बारे में पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि विरोध होगा कि नहीं लेकिन आने वाले समय की गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि जहां आबादी बढ़ने के साथ–साथ जमीन कम होती जा रही और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो ऐसी परिस्थितियों में प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं लेकिन ये उड़ाये भी जा सकते हैं।

भुवन – ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है इसका आंदोलन किस आधार पर खड़ा है, ये क्या कहते हैं? मुख्य रूप से इनकी मांगे क्या है?

ए.के. शाह – ये चाहते हैं कि प्राजेक्ट न बने।

भुवन – क्यों ?

ए.के. शाह – उनका ये कहना है कि प्रोजेक्ट बनने से जोशीमठ में पानी की कमी हो जाएगी और हमारा मानना है कि अगर हमारे साथ सब कुछ ठीक–ठाक चलता है और जनता को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो भगवान की कृपा से पानी की कमी तो नहीं होगी और यदि हुई भी तो नदी से पानी लिफ्ट करवा सकते हैं। नदी तो हमारे ही पास है।

भुवन – विष्णु गार्ड में ऊपर से धौली गंगा का पानी आता है क्या ?

ए.के. शाह – जी नहीं, यहां आने वाला पानी प्राकृतिक पानी है, क्योंकि जोशीमठ एक ढलान पर है और हम, सबसे नीचे हैं, हमारे ऊपर बुगियाल है और उन बुगियालों के अंदर ऐसे–ऐसे बुगियाल हैं जहां ऐसे बर्फ के भंडार हैं जो कभी पिघलते ही नहीं है जिसे हमारी लोकल भाषा में 'योभल्डा' कहा जाता है। और ऊपर गोड़सो में हमारे पास एक तालाब है जिसे गोड़सोकुंड, छतरकुंड बोलते हैं, जहां इधर–उधर पत्थर लुढकते हुए दिखाई देते हैं जिनसे लगता कि है कि वहां कभी ज्वालामुखी रहा होगा, वो आज भी क्रिएटर बना हुआ है और उसमें भी लगातार पानी रहता है।

भुवन – बारह महीने ?

ए.के. शाह – जी बारह महीने। उसके इर्द–गिर्द बर्फ के भंडार हैं जहाँ बर्ष नहीं पिघलता और न वहाँ धूप रहती है इसलिए मुझे नहीं लगता कि जोशीमठ में पानी की कमी होगी।

भुवन – और ये जो इसका दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि जोशीमठ के नीचे से इस टनल के बनने के बाद पूरे जोशीमठ को खतरा हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

ए.के. शाह – क्योंकि कोई भी आदमी जब अपना मकान बनाता है तो वह यह नहीं चाहता है कि कल को, पैसा लगाने के बाद वो मकान टूट जाए। वह अगर कोई भी मकान या झोपड़ा भी बनाता है या खेत की पगार भी देता है तो वो ये नहीं सोचता है कि अगली बरसात में टूट जाए। उसका ये उद्धेश्य रहता है कि ये मजबूत रहे और बाकी प्रकृति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्नत तकनीकें होने के बाद भी सूनामी की लहरों के आने के बारे में कुछ पता नहीं चला। विदेशों की अपेक्षा हमारे देश में उतनी अधिक उन्नत तकनीकें तो नहीं हैं लेकिन फिर भी विदेशों में भी जान–माल की हानि होती रही है। हम तो भगवान को ज्यादा मानते हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे यहां इतने भुकम्प आए और गए पर हमारे यहां चार आदमी से ज्यादा मौत नहीं हुई। नुकसान हुआ है गांव के गांव टूट गए, उजड़ गए, लेकिन जहां तक मृत्यु की बात है वो नहीं होती है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण विष्णु प्रयाग परियोजना है इसके लिए चाई गांव से पानी आता है जो कि प्राकृतिक पानी है, पहाड़ का पानी है और आज भी चाई गांव सुसज्जित है उसके नीचे पूरा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बन गया है, अंडरग्राउंड पूरा खुद गया लेकिन गांव के अंदर पानी की ऐसी समस्या नहीं आ रही है, पानी कहीं रिस नहीं रहा है।

भुवन – इससे प्रभावित होने वाली जनता द्वारा आंदोलन को कितना समर्थन मिल रहा है ?

ए.के. शाह – मैं इस बात को नहीं मानता कि प्रभावित क्षेत्र की जनता आंदोलन में शामिल है। मैं तो यही मानता हूं कि जनता हमारे साथ है, वह अपने भविष्य को, अपने जमीन को और अपने हक–हकूक को जाते हुए देख रही है और वो राष्ट्रहित में उसे देने को तैयार भी हैं इसके बदले वो बस इतना चाहते हैं कि इस परियोजना में उनकी भागीदारी हो। जोशीमठ पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट तपोवन से शुरू होकर अणमठ पर खत्म हो रहा है। और क्षेत्रीय स्तर पर जोशीमठ को नगर पालिका जोशीमठ ही कहा जाता है। क्योंकि तपोवन, धाध और बड़ागांव एक ग्रामसभा है आज तक हमने यहां के लोगों को इसमें सहयोग करते नहीं देखा है। इसमें पूर्ण रूप से विस्थापित होने वाले अणमठ, पैनी और उसमें शिलंगांव के लोगों की भागीदारी नहीं है। हमलोगों के व्यक्तिगत संबंध है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कम्पनी के साथ हैं या जनता के साथ हैं और हम ये भी जानते हैं कि यह देश की महत्वाकांक्षी योजना

हैं। और जिस देश की रक्षा के लिए हम फौज में भर्ती होकर अपनी जान तक को गंवा देते हैं उस देश के तो हम कुछ भी कर सकते हैं।

भुवन – एक और महत्वपूर्ण सवाल है अरूण भाई, क्योंकि आप एक क्षेत्रीय राजनैतिक दल से जुड़े हैं और जैसे कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में देखा जा रहा है वही अब उत्तराखण्ड में भी देखने को मिल रहा है कि सरकारें और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन पर कब्जा कर रही है फिर चाहे वो परियोजनाओं के नाम पर हो, चाहे रिजर्व क्षेत्र बनाने के नाम पर हो या पर्यावरण बचाने के नाम पर किसी भी इलाके के लिए बनाई गई परियोजना हो। तो आप इन पूरी परियोजनाओं को, पानी के निजीकरण को, पानी के अधिकार को कैसे देखते हैं ?

ए.के. शाह – वही मैं आपसे कह रहा था कि आज हमारी सरकार हमारा हक–हकूक और सुखाधिकार सब कुछ छीन रही है। और इस काम में न केवल सरकार बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। आज हमारी 400 हैक्टेयर जमीन जयप्रकाश गौड नामक एक ही व्यक्ति के नाम पर है। और इसी प्रकार कल हमारी सब जमीन एन.टी.पी.सी. के हवाले हो जाएगी और उस जमीन पर हमारा कुछ हक नहीं होगा यहां तक कि हम उस जमीन पर जा भी नहीं सकते और इस प्रकार हम अपनी ही जमीन से बाहर हो जाएंगे। वैसे तो सरकार का ये दृष्टिकोण सही है, कि बिना जमीन के तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर वो कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उन्हें कम से कम 20 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और यदि वह बड़ा बनाएंगे तो एक ही बनाना पड़ेगा। बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में हमें कम पैसे में ज्यादा उत्पादन मिलेगा, छोटा बनाएंगे तो 20 बनाने पड़ेगे, बड़ा बनाएंगे तो एक बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने पर हमको कम पैसे में ज्यादा उत्पादन मिलेगा। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि सरकार, बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ मिलकर एक साजिश रच रही है। हम तो इसे साजिश ही कहेंगे और ऐसा हो भी रहा है। हमारी जोशीमठ की जमीन कुछ तो आर्मी में गई, कुछ किरेट में गई, कुछ आई.टी.बी.पी. में गई, कुछ नेशनल हाईवे में गई और कुछ सरकारी कार्यालयों के लिए गई। हमारे जोशीमठ सिंध के अंदर दिल्ली के किसान 62 नाले के होंगे। नहीं तो सारे लोग भूमिहीन हैं और जो थोड़ा–बहुत भूमि बची है उसपर भी कोई न

कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। इसके बावजूद भी हम इन परियोजनाओं के पक्ष में हैं क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी कृषि भूमि में खेती करके या फिर कोई दुकान चलाकर अपनी रोजी–रोटी को चलाते हैं वैसे ही हम इन प्रोजैक्टों के साथ अपने रोजगार को भी देखना चाहते हैं और इनमें अपनी भागीदारी चाहते हैं। हम इसी भागीदारी के लिए अपना शेयर मांग रहे हैं क्योंकि इससे लगातार पैदावार होने की स्थिति में हमें भी लाभ मिल सकेगा। हम सिर्फ इतना ही नहीं चाहते कि हमें जमीन से आलू ही मिलें और तब हमें उसे खांए, हम चाहते हैं कि चाहे हमें जमीन से राजमा मिले या फिर चौलाई या फिर हम उसमें अपनी दुकान खोलकर अपना कोई रोजगार स्थापित करें, हमें तो बस अपने रोजगार का साधन चाहिए। आज की लड़ाई जमीन बचाने की नहीं है। क्योंकि जमीन तो पूरे विश्व की ही एकीकृत हो रही है और कुछ मामलों में तो पूरा भारत ही नहीं पूरा संसार एक हो रहा है तो इस प्रकार आपने जो साजिश शब्द का इस्तेमाल किया है उसीके दूर के खतरे को भांपते हुए हमारे कुछ साथी इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं लेकिन ये दूर की बातें हैं, हमारा पेट तो 'आज' खाली है। हमारे पहाड़ के अंदर बेरोजगारी है, हमने पृथक राज्य लिया उसके बावजूद भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। अब हमें इन्हीं परियोजनाओं से थोड़ी बहुत उम्मीद है।

भुवन : अरूण भाई, इसमें तो एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर हम उत्तरांचल पुनर्गठन विधेयक 2000 को देखते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें साफ–साफ कहा गया है कि उत्तरांचल में बनने वाली सभी पावर परियोजनाओं पर पानी संबंधी जितनी भी योजनाएं बनेंगी उसमें गंगा नियंत्रण बोर्ड का अधिकार रहेगा। उत्तरांचल को केवल 12 प्रतिशत की बिजली मिलेगी जैसा कि, एन.टी.पी.सी. भी घोषित कर रही है कि हम आपको 12 प्रतिशत की मुफ्त बिजली देंगे। भाई, अब सवाल ये उठता है कि जमीन तो उत्तरांचल की गई, पानी उत्तरांचल का गया, परियोजना यहां बनी, उसके जितने पर्यावरर्णीय नुकसान हुए वो भी हमीं ने उठाए और हमको बिजली केवल 12 प्रतिशत मिलेगी बाकी 88 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश और केंद्र ले जाएगा ? आप एक राजनैतिक रूप से इसको क्या मानते हैं ?

अरूण : हमारे लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस दिन बी.जे.पी. की पूरी सरकार वहां थी, हमारे कांग्रेस के तमाम सांसद वहां थे केवल

दुर्भाग्य ये रहा कि उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय दल है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। हमारा एक भी प्रतिनिधि वहां नहीं था और जिसकी वजह से इसमें हमारी ओर से कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद दो बार चुनाव हो चुके हैं, विधान सभा का भी चुनाव हो चुका है और संसद का भी चुनाव हो चुका है और इन चुनावों में भी उत्तराखंड क्रांति दल ने 22 संसदीय दलों की बात रखी है। जिस दिन 22 संसदीय दल न था ये पार्टियां मूक थी और आज भी मूक हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल के पास जनशक्ति तो है, आंदोलनात्मक शक्ति तो है लेकिन जो सत्ता की शक्ति होती है वो हमारे पास नहीं है। आज भी हम बिक रहे हैं, किश्तों में बिके चाहे इकट्ठा बिके। आज भी हमारी परियोजनाएं जारी है। उत्तराखण्ड में एन. टी.पी.सी. की एक परियोजना में 1 करोड़ रुपया लग जाता है। उसी तरह जोशीमठ, तपोवन, अणुमठ में तो योजनाएं बन रही हैं लेकिन उनका उद्घाटन देहरादून में हो रहा है हमने कहा कि जहां आप उद्घाटन कर रहे हैं वहीं पर परियोजना भी चलाइए लेकिन भौतिक रूप से ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो यहां की जनता को ही जवाब देना होगा।

भुवन – इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो स्थानीय राजनैतिक दल हैं बी.जे.पी. हो, कांग्रेस हो या तमाम और तरह के जो वामदल हैं उनका इस पूरी परियोजना में क्या रूझान है ?

अरूण : बी.जे.पी. और कांग्रेस की मिलीभगत से ही तो ये परियोजनाएं बन रही हैं। अगर सत्ता हमारे हाथ में होती तो हम इन परियोजनाओं को अपने ढ़ंग से देते। हमारा अपना ब्लयूप्रिंट है। हम व्यक्तिगत स्तर पर जनता के लिए कई परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। हम लाता तथा नीति में बिजली पैदा करके गांवों को बिजली दे रहे हैं तथा उससे ग्रांट भी चलाए जा रहे हैं।

भुवन – वहां किसने बनाए हैं ये ?

अरूण – ये अक्षय ऊर्जा स्रोत (उरेडा) द्वारा बनाए गए हैं और जो ये गोविन्द घाट में बनी हुई योजना है और तपोवन में जो हमारा प्रोजेक्ट बना है, पुराने पावरहाऊस बने हुए हैं, वो पावरहाऊस उत्तर प्रदेश बिद्युत विभाग ने तब बनाए थे जब जल निगम की स्थापना नहीं हुई

थी और ये अच्छी तरह काम कर रहे थे। लेकिन उन परियोजनओं को एक छोटी सी तकनीकी समस्या के कारण बंद कर दिया गया जबकि वो समस्या इतनी छोटी थी कि अगर आज किसी छोटे से बनिया को दो–चार लाख रुपए देकर वो परियोजना दे दी जाए तो वो भी उसे चालू कर देगा लेकिन सरकार ने वो योजना बंद करवा दी। हमारी सरकार की तरह हमारे सरकारी कर्मचारियों की भी हालत ठीक नहीं है, एक बार में खुद सिंचाई सचिव से मिलने गया मैंने, उन्हें बताया कि हमारे यहां की इतनी परियोजनाएं बंद हैं उन्होंने उसी समय फोन किया, फोन करने के बाद मेरे को कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको गलत जानकारी है, मैंने कहा कि मैं उस क्षेत्र का रहना वाला व्यक्ति हूं। मुझे मालूम है कि समस्या कहां आ रही थी। जनरेटर न होने की वजह से हम लोग उसको जेनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद जो आम बिजली पैदा होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। लेकिन उन्होंने भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया अपने अधिकारियों पर भरोसा किया। केशव देसी राजवीर के बारे में ये माना जाता है कि ये लाल बहादुर शास्त्री के प्रभाव से संबंधित हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं आज वो केन्द्र में बैठे हैं। हम यह सोचकर उनके पास गए कि शायद वो हमारी मदद कर देंगे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे हमारे क्षेत्र में आएंगें। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई ऊर्जा सचिव नहीं आए। सरकारी तौर पर कोई ऊर्जा मंत्री नहीं आए यहां तक कि अमृता रावत जी भी यहां नहीं आयीं। और उदघाटन करने का आलम तो ये हैं कि उत्तराखण्ड की परियोजनाओं का उद्घाटन देहरादून में होता है और दिल्ली के नजदीक की किसी परियोजना का उद्घाटन दिल्ली में होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली की किसी योजना का उद्घाटन शायद वाशिंगटन में किया जाएगा क्योंकि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय दबावों तथा विश्व बैंक के दबावों में काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के बारे में एन.टी.पी.सी. आम जनता को बहुत सब्जबाग दिखा रही है वे कह रहे हैं कि हम सरकारों से नाराज हैं, हमें न रोजगार मिला न उसकी कोई गारंटी ही मिली। अब एन.टी.पी.सी. ऐसा दिखा रही है कि हम आपकी जमीन का उचित मुआवजा दे रहे हैं। हमें मालूम है कि जिस जमीन में कोई पैदावार नहीं होनी है, जिसमें रेडिसन होना है, जिसमें बारूद होना है जहां सुरंगे बनेंगी वहां बारूदी मलवा तो निकलेगा ही उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा हमारी पैदावार कम होगी ही इसका जीता–जागता उदाहरण चाईंगांव, लाम्बगढ़ है। जहां पैदावार कम हुई है और होती जा

रही है। लेकिन अन्य स्रोत होने की वजह से हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, इतनी योजनाएं चलने के बाद हमारी खेती की ओर कोई ध्यान देता ही नहीं है। आज केवल उद्योगीकरण पर ही ध्यान दिया जा रहा है। हमारे विष्णु प्रयाग से लगे हुए हाथी पहाड़ में लगभग 550 एकड़ भूमि पर पर पेड़ लगाए गए थे । 2000 पेड़ वन विभाग तथा उद्याग विभाग के सहयोग से भी लगाए गए उनमें से आज केवल मात्र 4 पेड़ खड़े हैं बाकी पेड़ों का कहीं अता–पता नहीं है। जिसके विरोध में एक व्यक्ति विशेष ने केस भी दर्ज किया था उसके लिए उसे अपना काफी पैसा तथा समय भी लगाना पड़ा लेकिन वो मामला वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां का आदमी सचेत नहीं है, सचेत तो है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार आज सरकारों के साथ–साथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक साजिश के तहत केवल अपने लाभ की ही बात कर रही हैं।

भुवन – अरूण भाई, जोशीमठ संघर्ष समिति की ओर से हुए प्रदर्शनों में आम आदमी की कितनी भागीदारी रही है ?

अरूण – लोगों की भागीदारी औसत रही। उसमें भी कुछ लोगों को बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आयी है। हम भी उनके साथ हैं लेकिन हम उनकी एक बात से विश्वास नहीं रखते वो है उनकी ओर से परियोजना का विरोध। हम चाहते हैं परियोजना बने, राष्ट्र हित में काम हो लेकिन जनता को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। जनता के साथ भी उसका लाभ हो, उसका शेयर जनता को मिले और अगर ये शेयर नहीं देंगे तो इससे आंदोलन को अपने–आप की बल मिलेगा।

भुवन – और इनका कहना है कि परियोजना ही नहीं बननी चाहिए ?

अरूण – इनका कहना है कि परियोजना नहीं बननी चाहिए, अगर परियोजना से हमको लाभ नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ अगर आम जन को नहीं होगा तो परियोजना बनने का तो औचित्य ही नहीं है।

भुवन – एक और अंतिम सवाल आप वर्षों से जिस राजनैतिक दल से जुड़े हुए हैं वह उत्तराखंड क्रांति दल अपने आपको क्षेत्रीय दल कहता है, इस प्रदेश को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के सपने में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपकी क्या राय है ?

अरूण – प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमारी स्पष्ट राय ये है कि हम अपने सभी नदी–नालों से बिजली पैदा करेंगे और उसके लिए हम ग्राम सभा, जिला पंचायत तथा नगर पालिका से इस तरह से टैक्स वसूल करके संसाधन जुटाते हैं कि हम सीधी–सीधे उनको आय के स्रोत देकर उनके माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना चाहते हैं। आज सरकार ग्राम पंचायतों को हजारों–करोड़ों रुपए का अनुदान देती है ताकि वो अपने स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा सके। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम उन्हें प्रोजेक्ट दें और कांग्रेस और बी.जे.पी. के राज में तो ऐसा होना ही नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लयू प्रिंट पहले से ही बना हुआ है, जब लोग पूछते थे कि उत्तराखण्ड बनने के बाद आप क्या खायेंगे ? तो हम जवाब देते थे कि कुवैत में आम पैदा नहीं होता है लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने पैसे के बल पर अपने तेल के बल पर 400 रुपये किलो का आम खा रहा है। इसी तरह हम भी अपनी बिजली के बल पर विदेशों का भी राशन खा सकते हैं। पैसा, डालर चलाता है पैसा चलाने के लिए पैसा होना चाहिए बस। आज आम आदमी को अपना आर्थिक जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। हमारे यहां पर कई ऐसे–ऐसे गांव भी हैं जहां पर एक भी आदमी के पास रोजगार नहीं हैं। हमारे यहां न तो कोई फैक्ट्री है और न ही वहां प्रदूषण फैलाने वाले संयत्र हैं।

भुवन – नहीं, क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि ये जो प्राइवेट परियोजनाएं बन रही हैं वे उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में आप और आपका ब्लयू प्रिंट सोचता है?

अरूण – नहीं, ये परियोजना उससे विपरीत चल रही है और इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता हमारी बात से इत्फाक रखती है और बहुत जल्दी इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल अपने आंदोलन को रूप देगा और सरकार से आर–पार की बात करेगा कि हमें यदि हमारी जमीन लीज पर ली जाएगीं तो हमें परियोजनाओं में शेयर मिलेगा और उसके लिए भी हमारे स्पष्ट प्रावधान है जिसके लिए हम

धारा 377, 371 लगाने की बात करते हैं उसका मतलब यही है कि जमीन हमारी है तो राज आपका कैसे होगा? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन पर हमारा ही शेयर हो। भले ही मशीनें आपकी हैं लेकिन पानी तो भगवान ने हमें तोहफे में दिया है और अगर आपकी मशीनें हमारे पानी से अपना काम निकालेंगी तो उसमें हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। अगर उत्तराखण्ड की जमीन पर एक होटल भी बनें तो भी उत्तराखंड क्रांति दल उसमें उत्तराखण्ड का हिस्सा चाहता है। मेरे पास इस बात के उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान सरकार इस कोशिश में लगी है कि यहां की जमीन बिकती रहे और कुछ सालों में टिहरी की तरह बाकी उत्तराखण्ड के लोग भी दर–दर की ठोकरें खाएं।

भुवन – अच्छा ये जो एन.टी.पी.सी. का स्थानीय कार्यालय है ये सभी तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराता है या नहीं ?

अरूण – नहीं, ये कुछ नहीं कराता है, हम लोग तो मैन–टू–मैन वाली तथा गांव–गांव की पद्धति से काम करने वाले लोग हैं लेकिन यहां काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार का एक नया दौर लाने वाले हैं। इनके काम करने की प्रवृति तथा उनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया के बारे में स्वंय इसके सदस्य एवं हमारे विधायक भी कुछ नहीं बता सकते हैं। गांव के अंदर रास्ता बनाने के नाम पर इन्होंने हमारी ग्रामसभाओं के रास्ते की मरम्मत करवाने में करोड़ों रुपया आइ थिंक के नाम से खा रहे हैं जैसे बड़ा गांव के नीचे स्थित चौरवी गांव में मलबा फेंकने के लिए सुरंग का दरवाजा बनाना है और इस मलवे को उन्होंने नदी के किनारे–किनारे फेंका। अगर हमने उनका विरोध किया तो वो उसकी प्रोटेक्ट दीवार बनाएंगी नहीं तो वे सीधे ही उसे नदी में बहा देंगे। इस प्रकार उन्होंने नीचे जाने के लिए रास्ता बनाने की योजना बनाई। इस बारे में मैंने, गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने यहां आकर कई दिन तक काम किया लेकिन हमें अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। उनकी इस शिकायत के आधार पर हमने साइड इंचार्ज से बात की उन्होंने बताया कि, नहीं–नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उन्हें भुगतान कर दिया है। जब मैं दोबारा गांव में पहुंचा तो तब तक भुगतान हो चुका था। मतलब एक आदमी की दो दिन की ध्याड़ी 1200 रुपए मिली। इस प्रकार इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं जब तक किसी बात पर हो–हल्ला नहीं

हो तब तक वे वहां की सारी जनता के हकों को लूट लेना चाहते हैं। इस प्रकार एन.टी.पी.सी. तो भ्रष्टाचार का एक नया युग यहां पर लाने वाली है। क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों का साथ देने के लिए उत्तराखण्ड में एन.टी. पी.सी. के साथ–साथ बी.जे.पी. और कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है।

डोभाल जी का साक्षात्कार

(साक्षात्कारकर्ता – भुवन पाठक)

भुवन – डोभाल जी आप अपना पूरा नाम और क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ?

डोभाल – मैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और हमारा एक संगठन भी है जिसका अध्यक्ष मैं ही हूं। हम लोग सामाजि कार्यों के तहत लोगों को कम्प्यूटर शिक्षा भी देते हैं।

भुवन – आप का नाम ?

डोभाल – ओम प्रकाश डोभाल और मैं, यहीं तपोवन में रहता हूं।

भुवन – क्या करना चाहते हैं ?

मै, एक अच्छी संघर्ष समिति बनाना चाहता हूं क्योंकि आज राजनीति की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज किसी को चुनाव भी लड़ना होता है तो वह दस महिलाओं को साथ लेकर तपोवन बंद कराने की बात करता है क्योंकि उसे तो खुद प्रकाश में आना होता है इसलिए चाहे वो परियोजना के बारे में कुछ भी न जानता हो फिर भी उसे बंद कराने की बात करता है। वो चाहता है कि मेरा जो भी राजनीतिक रूप बने उसमें लोग यही जानें कि हां! भई इसने तो संघर्ष समिति बनाई थी और काम किया था। इसी तरह जे.पी. के लिए भी एक संघर्ष समिति बनी थी लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। जिन लोगों की गाड़ियां वहां लगी हैं वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों को वहां मकान दिए गए हैं वो लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप खुला विरोध करिए, अपना मकान हटा दीजिए, मकान से उन लोगों को हटा दीजिए, अपनी गाड़ियां हटा दीजिएगा, उनका सामान बंद कर दीजिए, आप खुद उनको करोड़ो का सामान उधार में दिए जा रहे हैं और पीछे से राजनीती करते हैं कि उनको बचाइए, जोशीमठ को बचाइए तो आप ही बताइए कि वो लोग कहा स्टैंड करते हैं। उनके पास न तो जमीन है और न ही जायदाद और वे

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की बात करते हैं। क्या कभी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति तपोवन में भी आई भी है ? लेकिन वो उसका विरोध करते हैं और अगर उनसे इस विरोध के संबध में ही पूछा जाए कि यहां से 7–8 किलोमीटर स्थित छतरकुंड का क्या होगा, डारी सिरा स्थान पर स्थित बोर्डताल का क्या होगा ? तो उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है जबकि उनके असली मुद्दे तो बोर्डताल तथा छतरकुंड के ही हैं और जोशीमठ वाला मुद्दा तो नाममात्र का ही है। कोई उनसे पूछे कि अगर वो जोशीमठ बचाना चाहते हैं तो बोर्डताल और छतरकुंड के मुद्दे कहां रह गए हैं। लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है।

भुवन – मैं अभी देहरादून से आया हूं। यहां पर जो एन.टी.पी.सी. की परियोजनाएं बन रही है, उसके बारे में लोगों के मन में विवाद दिख रहा है। मैं उसकी जांच–पड़ताल के संबध में ही आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। मैं स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्ट बनाकर कई लोगों, मैगजीनों तथा अखबारों को भेजता हूं और जिस तरह से इस परियोजना को लेकर लोगों के मन में जो झगड़ा होता है मैं, उसके बारे में लोगों से पूछताछ करता हूं। अभी दो दिन से मैं, जोशीमठ में था वहां मैंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की।

डोभाल – जोशीमठ में डेमेजिंग काम हो रहा है वहां प्रवाहिदी का हिस्सा बचा है। जिस दिन यहां के इलाके को नुकसान पहुंचेगा उस दिन ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वो लोग इस दायरे में नहीं आते हैं। इनका टनल साइड या तो बैराज साइड है या पावर हाऊस साइड है उससे तो वो लोग काफी कोसों दूर हैं और उसके बुरे प्रभावों से बचे हुए हैं। वे लोग तो जोशीमठ को प्रभावित हिस्सों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं जो कि एक राजनैतिक विषय है और वो उसे सार्वजनिक विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां के जिन लोगों के पास खेत नहीं हैं और जो लोग खुद किराए के मकानों में रह रहे हैं वो लोग भी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हम इस परियोजना का पक्ष तब लेंगे जब ये हमारे लिए हितकारी होगी। उनके हितों के भी दो पहलू हैं, पहले वो चाहते हैं कि हमें भूमि के बदले भूमि दी जाए अर्थात हमारी जमीन के बदले हमें किसी और स्थान पर जमीन दी जाए या फिर हमें इतना पैसा दें कि हम आसानी से बाहर कहीं जाकर जमीन ले सकें। जबकि सरकार कह रही है कि हम जो कह रहे हैं आप उस बात को मान लें अब आप ही बताइए

अगर सरकार देहरादून में सरकारी रेट 50 हजार रुपये नाली देती है तो क्या कोई व्यक्तिगत आदमी अपनी 50 हजार नाली बेच भी पाएगा? वो रॉयलटी या कर देने के लिए वो दिखाता ही नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी कुल जमीन के बदले में या तो हमें जमीन दे दो या फिर उतना पैसा दे दो कि हम किसी दूसरे सुविधाओं वाले शहर में आराम से रह और अगर ऐसा हो जाता है तो हम इन सब परियोजनाओं का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो यह परियोजनाएं जनहित में हो जाएंगी और हम जन हित या राष्ट्रहित का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कहीं और अपनी जमीनें मिल जाएंगी तो हम अपने स्वतंत्र ढंग से रह पाएंगे अपने हिसाब से खाएंगे और रहेंगे। इस हिसाब से हमें हमारी संस्कृति अर्थात खेती मिल जाएगी और हम आराम से जी पाएंगे। हम अपनी जमीन के बदले में जमीन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं अगर मान लो हम देहरादून में जाते हैं, तो क्या वहां पर हम लोग इस तरह साथ बैठकर बातें नहीं कर सकते, जिस तरह से हम यहां स्वतंत्र रूप से खाना–पीना या अपनी जेब में पैसा रखकर घूम रहे हैं वहां ऐसे नहीं घूम सकते हैं इसीलिए हम इन मुद्दों को लेकर एन.टी.पी.सी. से संघर्ष कर रहें हैं कि वो ठेकेदारी प्रथा न रखे और बीच में किसी को मध्यस्थ न बनाए। अब जैसे उन्होंने सोल्जरों या सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति की है तो उन्होंने इन गार्डों को रखने के लिए एक मध्यस्थ को रखा है जिसके द्वारा गार्डों को वेतन मिलता है। लेकिन उन्हें उनकी पूरे महीने का वेतन नहीं मिलता है। उन्हें एक एजेंड के द्वारा वेतन दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक पारदर्शिता का तो पालन कीजिए आप बीच में मध्यस्थ क्यों बने रहते हैं ? इस माध्यम से एजेंड भी कमीशन खा लेता है और एन.टी.पी.सी. को भी लाभ मिल जाता है इस प्रकार मजदूरों का तो शोषण हो रहा है। एक आदमी 12–13 घंटा ड्यूटी करता है और फिर जाकर उसे तीन हजार रुपए मिलते हैं और ऊपर से एक आदमी नौकरी कराने के बाद महीने के डेढ़ हजार रुपए ले लेता है।

भुवन – मित्रो में आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं ताकि में एन.टी.पी.सी. की परियोजना के बारे में आपसे बात कर सकूं। आप सब लोग यहां के रहने वाले हैं, यह आपका इलाका है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ?

डोभाल – यहां के सभी लोग चाहते थे कि एन.टी.पी.सी. यहां आए और हमारी जमीनों पर अनेक परियोजनाओं का काम शुरू करे लेकिन वो हमें हमारी जमीन के बदले उचित मुआवजा दे तथा परियोजनाओं की समाप्ति के बाद हमारे लोगों को रोजगार भी दे। पहले तो लोगों ने इनका स्वागत किया लेकिन बाद में एन.टी.पी.सी. वालों ने लोगों की मांगें न मानते हुए अलग तरह की कागजी कार्यवाही शुरू कर दी जिससे यहां की जनता भड़क उठी। उन्होंने इनपर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन का उचित मूल्य नहीं दिया और न ही यहां के लड़कों को रोजगार देने के लिए लिखित रूप से गारंटी ही दे रहे हैं। उन लोगों ने मौखिक रूप में कहा कि हम आपको रोजगार देंगे और भूमि का मुआवजा भी देंगे लेकिन कुछ लिखित कार्यवाही न दे सकने के कारण वे लोग आना–कानी कर रहे हैं। जिससे यहां के लोग भी आक्रोशित हैं, जोशीमठ के लोग भी आक्रोशित हैं। इसलिए एन.टी.पी.सी. के मामले में कुछ संकट पैदा हो रहे हैं।

भुवन – ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं ?

डोभाल – जोशीमठ में रहने वाले लोगों ने ही जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई है, उसमें इन लोगों ने कुछ लोगों को चुनकर सदस्य बनाया है। इस समिति का निमार्ण इसलिए किया गया ताकि जोशीमठ में आने वाली टनलों में कुछ समस्याएं न हों। इसके लिए लम्बी–चौड़ी लाइनें बनेंगी जिससे काफी खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। इन लोगों ने सोचा कि हम पहले ही सक्रिय हो जाएं, और आगे चलकर इन्होंने तपोवन में एक समिति बनाई।

भुवन – उसका क्या नाम है ?

डोभाल – मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, पर शायद उसका नाम ग्रामीण स्वरोजगार है। यहां के लोगों का ये मानना है कि यहां पर जो भी काम आएंगे वो समिति के नाम पर ही आएंगे और समिति हीं अपने काम का बंटवारा करेगी। इनके जितने भी निमार्ण होंगे वो समिति के माध्यम से ही वितरित होंगें कि किस ठेकेदार को देना है और क्या काम करना है आदि।

भुवन – यहां आपकी कितनी जमीन डूब रही है ?

डोभाल – काफी जमीनें हैं, यहां के लोग तो सारे इसी पर निर्भर है क्योंकि यहां सारी नकदी फसलें होती है। रोड के नीचे की जितनी भी जमीन है वह उपयोगी जमीन है और वह सारी जमीन जा रही है।

भुवन – तो जमीन चले जाने के बाद आप कैसे और क्या काम करेंगे ?

डोभाल – इसी समस्या के कारण तो हम रोजगार की मांग कर रहे हैं।

भुवन – क्या आप एन.टी.पी.सी. में रोजगार मांग रहे हैं ?

डोभाल – हम एन.टी.पी.सी. में स्थायी रूप से रोजगार की मांग कर रहे हैं। हमारी पूर्व की सभी पीढ़ियां तथा हम लोग भी खेती पर ही निर्भर रहते थे। इसलिए हमलोग कह रहे हैं कि हमें हमारी जमीनों का उचित मूल्य दें ताकि आगामी पीढ़ियों को कोई समस्या न हो। वे हमें जमीन का उचित मूल्य दें ताकि हमें स्थायी रूप से रोजगार मिले और हमारी रोजी–रोटी चलती रहे।

भुवन – एन.टी.पी.सी. के साथ बातचीत हुई है ?

डोभाल – हम लोगों की एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों से बातचीत हुई है लेकिन वे लोग आनाकानी कर रहे हैं और कुछ भी स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं हैं।

भुवन – क्या आपको लगता है कि रोजगार मिलेगा ?

डोभाल – वे लोग काफी समय से कह रहे हैं कि वे हमें रोजगार देंगे लेकिन कब देंगे इसका पता नहीं है। वे लोग यहां पर स्थापित होने से पहले कह रहें हैं कि वो हमें रोजगार देंगे लेकिन अगर उन्होंने यहां निमार्ण कार्य शुरू करने के बाद हमें रोजगार न दिया तो हम कुछ भी नही कर सकते हैं। आज हमने जो पूर्ण रूप से कदम उठा दिए वो उठा दिए, कल कुछ नहीं हो सकता।

भुवन – इससे पहले भी यहां इस तरह की योजनाएं बनी है, अब जैसे टिहरी बांध को ही ले लीजिए, वहां टी.एच.डी.सी. ने बांध बनाया और उन्होंने भी कहा था कि वे लोगों को रोजगार

देंगे, लेकिन आज तक भी वहां के विस्थापितों के किसी भी परिवार को रोजगार नहीं मिला है तो इस बारें में आपका क्या कहना है ?

डोभाल – टी.एच.डी.सी. एक लिमिटेड कंपनी है अन्डरटेकिंग गवर्नमेंट है, टी.एच.डी.सी. ने पहले ये कहा था कि आपको रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक भी वहां से माइग्रेट हुए केवल कुछ लोगों को ही पैसे मिले हैं बाकी लोग दर–दर भटक रहे हैं। जिन लोगों को माइग्रेट होने पर कुछ पैसे मिले भी थे उन लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों को टी.एच.डी.सी. ने जल की व्यवस्था करके दी है लेकिन उनपर कंपनी ने सिवर टैक्स लगा दिया है। इन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग कोई लिखित कार्यवाही करने की बजाय गांव की भोली–भाली जनता को केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं।

भुवन – क्या यहाँ आंदोलन की कुछ प्रक्रिया हो रही है ?

डोभाल – यहां की जनता काफी जागरूक है जिससे यहां लगातार आंदोलन होते रहे हैं, अभी जोशीमठ में भी आंदोलन चल रहा है लेकिन जिस स्थान से इस आंदोलन की शुरूआत होनी थी वहां अभी निमार्ण कार्य शुरू नहीं हुआ है इसलिए वहां की जनता आंदोलन के पक्ष में नहीं है।

भुवन – यहां के लोग सोच रहे हैं कि अगर एक बार यहां एन.टी.पी.सी. आ जाएगी तो उन्हें ठेकेदारी तथा निमार्ण कार्य में काम मिलने के साथ–साथ किराया मिलेगा, दुकानें खड़ी की जा सकती हैं जहां रोज 50–100 चाय बिक जाया करेंगी।

डोभाल – हां, ये ठीक है कि यहां की जनता यही चाह रही है लेकिन वे इसके साथ–साथ ये भी चाह रहे हैं कि उन्हें जमीन का भी अच्छा मूल्य मिले। कुछ लोग चाहते हैं कि इससे बेरोजगारी कम होगी तथा इस क्षेत्र का विकास होगा।

भुवन – मैं तो आपसे पूछने आया हूं कि आप एन.टी.पी.सी. के खिलाफ हैं या एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हैं ?

डोभाल – तपोवन वाले लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। वे चाहते हैं कि पहले तो सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए नहीं तो कम से कम कम पढ़े–लिखे बेरोजगारों को गार्ड, स्टोरकीपर जैसे छोटे–मोटे रोजगार तो मिलने ही चाहिए। वहीं अधिक पढ़े–लिखे और बड़े लोगों ने समिति बनाई है क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे काम समिति में ही जाएंगे और वो लोग खुद का काम कर लेंगे।

भुवन – जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, वो बड़े–बड़े लोग कौन हैं ?

डोभाल – कहीं जोशीमठ में हैं तो कहीं तपोवन में है।

भुवन – यहां की महिलाओं का क्या मानना है ?

डोभाल – महिलाएं भी यही चाहती हैं कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। वहां की सभी महिलाएं अनपढ़ नहीं हैं लेकिन जो बाकी परिवार वाले कहेंगे वो भी वही करेंगी।

भुवन – लेकिन जमीनों पर तो महिलाएं ही काम करती हैं न, अगर जमीन चली जाएगी तो फिर उनके लिए क्या काम रहेगा ?

डोभाल – काम तो सीमित है, पर इस बारे में जो भी काम करना है वो तो उनके पतियों को ही करना है।

भुवन – ये टनल कहां से जा रही है आपको उसकी जानकारी है ?

डोभाल – यहां पर नीचे ब्रिज बनेंगे, वहां से टनल, गांव के नीचे से होते हुए ऊपर ओली साइड में जाती है, ओली साइड से सीधा जोशीमठ, जोशीमठ से बीचों–बीच कटता हुआ क्षरण होते हुए आगे निकल जाएगा। इस रास्ते के बीच में बहुत से गांव एवं लोग आते हैं, उन लोगों ने भी एन.टी.पी.सी. का विरोध किया और उसकी नेम प्लेट आदि पर तोड़फोड़ की जबकि कुछ अन्य लोग चाहते हैं कि ये परियोजना यहां जरूर बने।

भुवन – इस परियोजना के कारण आपके गांव के नीचे से भी एक टनल जाएगी जिसके लिए ब्लास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी जिससे आपके गांव को भी खतरा हो सकता है, क्या आपने इस बारे में एन.टी.पी.सी. से बात की है ?

डोभाल – हमने उनसे इस बावत बात की है कि हमारे गांवों से एक किलोमीटर की दूरी पर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं जिससे हमारे गांवों को नुकसान होगा लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक नई तकनीक से ब्लास्टिंग करेंगे जिससे आपके गांवों को कंपन जैसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

भुवन – क्या वो गांव को विस्थापित करने की बात भी कर रहें हैं ?

डोभाल – उन लोगों का ये कहना है कि अगर गांव में किसी तरह की समस्या आती है तो फिर आप लोगों को विस्थापित करेंगे और अगर यहां पर कोई समस्या नहीं आती है तो आप लोगों को विस्थापित नहीं करेंगे।

भुवन – अच्छा तो वो कह रहें हैं कि बाद में विस्थापित करेंगे लेकिन जो बड़ागांव, ढाक आदि अन्य प्रभावित गांव हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है ?

डोभाल – वे सब जगह यही कह रहे हैं कि यदि समस्या होगी तो वो विस्थापित करेंगे और समस्या नहीं हुई तो नहीं करेंगे।

भुवन – वहां के लोगों का क्या कहना है बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?

डोभाल – वे उसके विरोधी नहीं हैं, वे इसको बनाने के पक्ष में हैं।

भुवन – और यहां जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं ग्राम प्रधान क्षेत्रीय पंचायत सदस्य उनका क्या कहना है ?

डोभाल – वे चाहते हैं कि उन्हें जमीन का उचित मूल्य दें, यहां के पढ़े–लिखे बेरोजगारों को स्थायी नौकरी दें, तीसरा इस निमार्ण के कारण हमारे जिन भी मठों, मंदिरों आदि पौराणिक

स्थानों को नुकसान हो रहा है उनका पुनःनिमार्ण करके दें इसके अलावा हम लड़कों की मांग थी कि अगर आप विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तो आप इस क्षेत्र को मुफ्त बिजली बांटे।

भुवन – एन.टी.पी.सी. ने क्या कहा ?

डोभाल – वे लोग कागजी कार्यवाही के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं।

भुवन – आपने कभी उनकी कागजी कार्यवाही पढ़ी है ?

डोभाल – पढ़ा है हमने, और हमें लगता है कि वे लोग यही लिखते रहते होंगे कि सब हो जाएगा।

भुवन –क्या कभी आपने एन.टी.पी.सी. के दफ्तर में जाकर उनकी रिपोर्टों को पढ़ने की कोशिश की है ?

डोभाल – अभी उन लोगों ने गेज रिलीफ के लिए कुछ लड़कों की नियुक्ति की है जो यलो लकड़ी के विक्रय को प्रवाहित करेंगे और उनकी गति का निरीक्षण करेंगे। हमें उन दस लड़कों से पूछकर पता चला कि अभी तक उन्हें वेतन ही नहीं मिला है।

भुवन – उसमें, आप लोगों में से कौन–कौन शामिल हैं ?

डोभाल – आप भी हैं, आप भी है, ये भी है।

भुवन – उसके लिए एन.टी.पी.सी. कितना पैसा देती है ?

डोभाल – तीन–चार हजार महीना दे रही है। वे दिन के हिसाब से वेतन देते हैं, अर्थात यदि महीने में 28 दिन हुए तो 2800 रुपए देंगे और उसमें से अपने गांव वालों के नाम से 100 रुपए संस्था काट लेती है।

भुवन – गेज ने कहा है कि वो आपको काम देंगे, तो वो काम कब तक देंगे?

डोभाल – वह छः महीने के लिए काम देंगे जो डेढ़ साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।

भुवन – क्या वो बाद में बाकी लोगों को भी काम देने के बारे में बात कर रहे हैं ?

डोभाल – जी, कह तो रहे हैं।

भुवन – परियोजना बनने से पहले तो आप नदी के धारे से, नदी से तथा नाले से कहीं से भी पानी प्रयोग कर लेते हैं लेकिन, इस परियोजना के बनने के बाद आप पानी का प्रयोग कहां से करेंगे, क्या इस बारे में एन.टी.पी.सी. ने कुछ कहा है ?

डोभाल – उनका कहना है कि आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो एक प्राकृतिक संस्था है।

भुवन – देश में बनी बाकी परियोजनाओं से क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसके बारे में यहां के लोगों ने क्या किया है ?

डोभाल – हां यहां पर एन.टी.पी.सी. ने भी लाहौरी प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, (भुवन– वो अभी बना नहीं है) उसपर काम चल रहा है। उसके बारे में भी हमारे लोगों ने अध्ययन किया है, वहां के लोगों ने अपनी जमीन की मुँहमांगी कीमत मांगी लेकिन सरकार ने उसे देने से मना कर दिया जिससे वहां की जनता आक्रोशित हो गई।

भुवन – उन्होंने यहां की जमीन की कितनी कीमत लगाई है ?

डोभाल – डेढ़ लाख। (भुवन–एन.टी.पी.सी.ने बोला है?) नहीं–नहीं हम लोगों का मानना है कि डेढ़ लाख रुपए राशि मिलनी चाहिए।

भुवन – इस पर एन.टी.पी.सी. का क्या कहना है ?

डोभाल – उनका ये कहना है कि हमने सरकार को बेमतलब में फंसाया है। गवर्नमेंट अगर 2 लाख रुपए नाली देती है तो हम आपको दो लाख रुपए देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट दस–बीस–तीस–चालीस जितना भी निर्धारित करती है उतना हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बाकी जानकारी हमारे डोभाल जी से ले सकते हैं।

भुवन – डोभाल जी भी यहीं रहते हैं ?

डोभाल – जी।

भुवन – डोभाल जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एन.टी. पी.सी. आपकी तमाम मांगे मान ले तो आप परियोजना को बनने देंगे ?

डोभाल – जी हां, निश्चित रूप से बनने देंगे।

भुवन – एक इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है वो इसकी सुरक्षा के लिहाज से कि ये जो भूगर्भीय अध्ययन है इस पूरी परियोजना का इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या ?

डोभाल – मेरी जानकारी के अनुसार 1972 में एक भूगर्भीय अध्ययन हुआ था जिसके अनुसार चमोली डिस्ट्रिक के ऊपरी ब्लाक में स्थित जोशीमठ और तपोवन के इलाके सिंकिग क्षेत्र होने के साथ–साथ संवेदनशील क्षेत्र भी हैं। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब भारत सरकार के सर्वेक्षणों मे यह बात साबित हो चुकी थी कि ये खतरे वाले इलाके हैं तो फिर आज वही प्रशासन अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ यह कह रहा है कि वह क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। (भुवन–क्या जी.एस.आई. ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है?) जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जी.एस.आई. को दे दी है। (भुवन–आपने रिपोर्ट देखी है) जी हाँ देखी ली है। उनके पास तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। (भुवन–वो रिपोर्ट आपने भी देखी है) हाँ रिपोर्ट हमने देखी है, हमने वो रिपोर्ट जी. एस.आई.से मांगी, उसे देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि इस जमीन में कोई समस्या नहीं है। उनकी यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमने उनसे पूछा कि जब ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने 1972 में वो रिपोर्ट क्यों दी थी जिसमें जोशीमठ को संवेदनशील इलाका बताया गया था। इसके जवाब में जी.एस.आई. के गर्ग नामक अधिकारी ने बताया कि जिस दायरे में इस परियोजना को बनाया जाना है उस इलाके में जिस प्रक्रिया से निमार्ण कार्य किया जाएगा उससे इस इलाके में कोई भी समस्या नहीं आएगी तो हमने इस इलाके में आने वाले भूकंप की स्थिति को देखते हुए अपनी रिपोर्ट दे दी कि इन कामों से इस इलाके में कोई भूकंप नहीं आए।

तो इस तरह कभी वो कहते हैं कि इस इलाके में खतरा है और कभी कहते हैं कि इस इलाके को निमार्ण कार्यों से कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे में उनकी पारदर्शिता में कमी साफ झलकती है।

भुवन – दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ये लोग पूरी नदी को टनल में डाल देंगे तो नीचे नदी सूख जाएगी। एक तरफ वहां से अलकनंदा सूखेगी और दूसरी और बिष्णुगंगा और धौली गंगा सूख जाएगी। विष्णु प्रयाग आपके नजदीक है, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

डोभाल – इनके द्वारा हुई वार्ता के अनुसार हमारा अनिट्रिगर्ड 520 मेगावाट है और हम इनको 520 मेगावाट की विद्युत देंगे। इसके हिसाब से हमें पानी का स्टोर करना है तथा उसे छोड़ना है।

भुवन – पानी कहां स्टोर करेंगे ?

डोभल – बैराज साइड पर पानी को स्टोर करेंगे। वो 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के आधार पर ही पानी को स्टोर करेंगे। हम 100 मेगावाट विद्युत को बैकअप में रखेंगे और 420 मेगावाट को निरन्तर देते रहेंगे। लेकिन बीच में हम इन्हीं के पानी को लगातार रनिंग में नहीं रखेंगे, पानी को भी छोड़ेंगे और पूरा पानी ऐसा नहीं कि पूरा बैराज साइड जाएगा कुछ पानी हम छोड़ेंगे। उसकी मात्रा कम हो जाएगी।

भुवन – एक और सवाल जैसे जामक गांव में मनेरी भाली पेज–1 की परियोजना बनी थी उसी तरह ये नई परियोजना भी बनी है जिसमें भी गांव के नीचे से टनल जा रहे हैं। जब 1991 में बड़ा भूकंप आया तो उससे जामक गांव को भी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी तरह देश भर में और डोभालांचल में भी कई परियोजनाएं बन रही हैं क्या उनके बारे में क्षेत्रीय लोागें ने कुछ काम किया है ?

डोभाल – क्षेत्रीय अध्ययन करने के बाद अलग–अलग लोगों के अलग–अलग विचार होते हैं और ये तो सामाजिक विषय है तो इसमें अलग–अलग लोगों के विचार आए, कई लोगों का कहना था कि इस परियोजना को बनाने के लिए पहाड़ में तो छेद करना ही पड़ेगा और वो

सुरंग भूकंप आने की स्थिति में नुकसान तो करेगी ही। लेकिन इस बात के बचाव में परियोजना वालों को कहना है हम जे.पी.के 12 टनलों की तरह 12 होल नहीं बनाएंगे बल्कि केवल एक ही होल बनाएंगे। जे.पी. के टनलों से तो पूरा गांव छिन्न–भिन्न हो गया था पर इससे ऐसा नहीं होगा। इस बारे में सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपने विचार दिए जिनके अनुसार भी यहां कुछ नुकसान नहीं होगा। एन.टी.पी.सी. ने भी अपना अध्ययन किया उनके अध्ययनों के अनुसार भी यहां एक ही टनल बनेगा और उससे गांव को कुछ नुकसान नहीं होगा। हमने उनसे पूछा कि इस सिंगल टनल में आप स्मटिंग कहां डालेंगे, उसके अंदर भी तो कुछ है, इसके लिए आपने क्या प्रबंध किया है? उन्होंने दो मटिंग साइड बताईं एक तो चोरमी के नजदीक चोरमी गांव और थोड़ा उससे आगे का होगा। जबकि हमें नहीं लगता कि इतनी लंबी सुरंग बनाने के लिए वो केवल 2 किलोमीटर ही मटिंग निकालने से ही काम चल जाएगा। उन्होंने इसे बनाने के लिए जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ के विपरीत उन्होंने कहा कि हमारी दो या तीन साइट हों।

भुवन – इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि नदी तथा जमीन आपकी है। आपकी जमीन तथा आपकी नदी पर एक परियोजना बन रही है उसका स्वामित्व किसके पास होगा ?

डोभाल – इस परियोजना के बनने के बाद सरकार, इसे 15–20 साल तक के लिए एन.टी.पी. सी. को देगी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होगा बल्कि सरकार का निणर्य होगा। और 15 साल बाद के स्वामित्व पर तो पहले ही सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए हमने उनसे पूछा कि क्या आप हमें मुआवजा दे रहे हैं या हमारी जमीन को पूरी तरह से ले रहे हैं। मुआवजा उस स्थिति में होता है जब आप हमारी जमीन को किराए पर लें और काम खत्म होने के बाद वापस कर दें। और दूसरा जो होता है उसके अनुसार आपने हमारी जमीन को पूरी तरह से खरीद लिया है और अब आप उस जमीन को वापस नहीं करेंगे। इस बारे में अभी कुछ दिन पहले हमारे डी.एम. साहब और डी.आई.जी. की बैठक हुई थी और माइकुरी जी और डी.एम. साहब अभी जोशीमठ में एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में कुछ ठोस मुद्दे निकलकर आए हैं उन्होंने कहा कि हम इस जमीन पर तीन तरीके से बातचीत कर सकते हैं। एक तो हम टेबल टाक कर सकते हैं, दूसरा, सरकार के पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें

वह तपोवन को किसी भी हालत में खाली करवा सकती है और तीसरा है और तीसरा हम 1 से लेकर 17 तक अपनी इस कोशिश को चलाते रहते हैं लेकिन अभी तक इन प्रक्रियाओं से हमारे एक से लेकर के सेवेनटीन तक हमारी कोशिश चलती है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी इस जमीन के बारे में कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है कि इस जमीन का होगा, कितने हजार रुपए नाली दी जाएगी, इसका भुगतान कौन करेगा तथा इन सबका अतिरिक्त भुगतान होगा या नहीं आदि इस प्रकार कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सारी सूचनाएं आना अभी बाकी है।

ये तो निश्चित है कि टिहरी में इन परियोजनाओं का बहुत विरोध हुआ है। वे इन परियोजनाओं का विरोध तभी से कर रहे हैं जब, इन परियोजनाओं की नीवं पड़ी थी और तब से लेकर ये आज तक विरोध ही करते आ रहे हैं। इस संबध में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये सही है कि सरकार जनहित को देखती है और उसे देखना भी चाहिए क्योंकि इससे हमारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे उन्हें कहीं न कहीं लाभ हो और उनके भविष्य का निर्धारण हो।

भुवन – क्या बैराज बनने के बाद तपोवन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

डोभाल – इसमें दो चीजों का प्रभाव होता है, एक तो बैराज बन जाता है और दूसरा हरिद्वार क्षेत्र में बैराज न होने के कारण लोग पौंडा साइड का बैराज देखने जाते हैं। यहां बैराज बनने से लोग इन बैराजों को देखने आएंगे जिससे आय मिलने के साथ–साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन इस लाभ के साथ–साथ एक हानि भी होती है क्योंकि उस समय तो लोग खाली बैराज को देखने जाते थे लेकिन आज, वो बैराज खाली नहीं है जिससे दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है।

भुवन – क्या यह सामने वाला मंदिर भी डूबने वाला है ?

डोभाल – ये अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल नहीं हुआ है उन्होंने कुछ रेंज बनाई हुई हैं और वो हर साल कुछ रेंज देकर जाएंगे जैसे आज की तारीख में उन्हें 25 प्रतिशत जमीनें लेनी होंगी जो, कि अभी तक नहीं ली गई हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि कुछ प्रभाव पड़ा है

या नहीं यदि ऐसा कुछ हुआ तो वह थोड़ी और जमीन ले सकते हैं और लेते भी रहेंगे। उन्होंने पहले टिहरी में भी तो बहुत छोटी जगह ली थी और आज पूरा गांव को ही पुर्नवासित कर रहे हैं। इस प्रकार परिस्थितियां तो लगभग एकसामन ही हैं लेकिन उनका कहना है कि हमारे काम करने का तरीका अलग है, हमारा सरकार के साथ अलग ही तरह का अनुबंध है।

हमें फिर भी हमें लगता है कि कई चीजें स्पष्ट नहीं हैं और पारदर्शिता की कमी है।

भुवन – क्या आपलोगों ने उनके आंदोलन की भागीदारी यहां से की है ?

डोभाल – हम लोगों ने कई बार लोगों को यहां से बाहर भेजा है और उनको वहां नौकरी भी मिली है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं उसी तरह हमें भी कई लोगों से संबध बनाने पड़ते हैं और हम उन युवा लड़कों को कहते हैं कि आप अपने तथा औरों के अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि वो मानव ही क्या जो अपने अधिकारों के लिए न लड़ सके। जो लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करते हैं, वो तो उचित नहीं है। अगर हमें लड़ाई करनी आती है तो हमें लड़ना चाहिए। हमें लड़ाई करना आता है, लड़ सकते हैं। इस प्रकार हम उनके अंदर ऐसी भावनाएं भरकर उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।

भुवन : – क्या आपने ऐसा कोई केन्द्र बनाया है जहां से इस परियोजना के बारे में जानकारी चाहने वालों को सभी तरह की जानकारियां प्राप्त हो सकें ?

डोभाल : – अभी हमारी घरआंगन तथा एक बूंद यूथ नाम से दो सोसाइटी बनी चुकी हैं बस अब, उनकी औपचारिकतांए पूरी हो रही हैं और उनका पंजीकरण नंबर लेना है। और अगर इनका पंजीकरण नहीं भी होता है तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये केवल नाम कमाने के लिए नहीं अपितु काम करने के लिए बनाई जा रही हैं तो इसमें इस तरह की औपचारिकताएं कोई जरूरी भी नहीं हैं।

भुवन – इस बारे में यू.के.डी. और बाकी सब की क्या सोच है ?

डोभाल : –वो कहते हैं बी.जे.पी. हो, कांग्रेस हो यू.के.डी. हो या चाहे कोई भी एस.एफ.आई. हो, बस सभी लोगों को मिलकर विकास के कार्य करते रहना चाहिए। आपको हर बात को

राजनैतिक पार्टियों के आधार पर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे जनता के हितों की बात तो हो ही नहीं पाती है। जैसे कि अभी जोशीमठ में ही देखने को मिला वहां कांग्रेस और बी. जे.पी. की बैठक हुई, वहां अगर बी.जे.पी. के आदमी ने कोई सवाल किया तो कांग्रेस का आदमी उसे काट देता है और कांग्रेस के आदमी ने किया तो बी.जे.पी. वाला तैयार रहता है। आखिर ऐसा क्यों हेाता है ? विकास के कामों के दौरान सभी व्यक्तियों को अपने भेदभावों को भूलकर विकास कार्यों में बढ़चढ़कर भाग लेना चाहिए।

भुवन : – इस परियोजना के संबध में तो–तीन राजनैतिक पार्टियां काम कर रही हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

डोभाल : –अगर मैं, आम जनता के लिए इनकी राय बताऊं, तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने गाड़ी लगवाने के लिए राजनीति की और आम आदमी तो गाड़ी लगाएगा नहीं, गाड़ी तो वही लगाएगा जो धनी होगा। इसलिए स्पष्ट है कि इससे गरीबों को नहीं बल्कि खुद इन राजनैतिक पार्टियों को ही लाभ होगा।

साक्षात्कार

लक्ष्मीलाल शाह, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत जोशीमठ

(साक्षात्कारकर्ता – भुवन पाठक)

भुवन – आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए।

लक्ष्मीलाल – मैं लक्ष्मीलाल शाह, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत जोशीमठ। इस परियोजनाओं के संबंध में मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जोशीमठ में इसका कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। दो–चार लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनावश्यक विरोध कर रहे हैं। उनका उस परियोजना से कुछ लेना–देना नहीं है, न वो कहीं पर प्रभावित हो रहें हैं, न उनकी कहीं जमीन जा रही है और न ही उनसे कहीं छेड़–छाड़ की जा रही है। जो मेन टनल है वो इस समय हम जहां पर बैठे हुए हैं उस स्थान से डेढ़ किलोमीटर नीचे खुदेगी, तो इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि इससे ये ध्वस्त हो जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा वो केवल मनगढ़त बातें ही कह रहे हैं। इस विषय में भूगोलशास्त्रीयों, वैज्ञानिकों ने जांच की है और जांच के बाद ही इस परियोजना को स्वीकृति दी है। जिस तरह आपको भी मालूम है कि आज बिजली की कितनी अधिक आवश्यकता है आज बिजली के आभाव में हमारे सभी काम अधूरे ही रह जाते हैं इसलिए हमारे पास विद्युत परियोजनाओं का होना बहुत जरूरी है। वैसे भी उत्तरांचल में आय के स्रोतों का आभाव है तो इस परियोजना से वहां आय के स्रोत भी पैदा किए जा सकते हैं।

भुवन – विश्व काल नाम से बनी परियोजना पर संघर्ष तथा आंदोलन कब से चल रहा है ?

लक्ष्मीलाल – ये सब गलत बाते हैं, आप ही बताइए कहां चल रहा है आंदोलन ? आप जिस जोशीमठ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस जोशीमठ में ही देख लीजिए वहां इनके साथ वहां का कोई भी मूल निवासी नहीं है।

भुवन – इस बारे में यहां 13 तारीख को धरना भी तो हुआ था।

लक्ष्मीलाल – हां, हुआ तो था लेकिन उसमें केवल चार–पांच लोग आए थे वो भी न जाने कहां से श्रीनगर या शायद पौड़ी से आए थे।

भुवन – ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनी है उसके बारे में आपकी क्या राय है?

लक्ष्मीलाल – अनावश्यक, और जो उस संघर्ष समिति में शामिल हुए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। परसों तो उनमें से कोई नहीं था। ऐसा है ये जो परियोजना बनी है ये यहां के लिए बहुत आवश्यक भी है। हम कहते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका अर्थ है कि उनको बिजली की आवश्यकता नहीं है तो उन लोगों को अपने बिजली के कनैक्शन काट देने चाहिए। देश हित तथा राष्ट्र हित में बिजली बनना आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार का विरोध करना उचित नहीं है।

भुवन – जोशीमठ संघर्ष समिति ने जोशीमठ की सुरक्षा की दृष्टि से कई मुद्दे उठाए हैं कि इससे पूरे जोशीमठ का धसाव हो जाएगा आदि इसके बारे में आपकी क्या राय है?

लक्ष्मीलाल – जोशीमठ का कोई भी हिस्सा ध्वस्त नहीं हो रहा है।

भुवन – अभी तो टनल का काम शुरू नहीं हुआ है ?

लक्ष्मीलाल – होगा, अभी लाम्बमठ और जोशीमठ में टनल बन चुकी हैं लेकिन उससे तो कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है। यहां भी उसी प्रकार की टनल बननी है तो यहां भी कोई प्रभावित नहीं होगा। इस विषय में भू–वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं रॉक टेस्टिंग हो रही है, मृदा परीक्षण हो रहा है और इन सबकी रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि यहां की जमीन ध्वस्त हो रही है।

भुवन : कुछ लोगों का कहना है कि परियोजना बनने से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है।

लक्ष्मीलाल – किस मामले में लिया जाए विश्वास में, विश्वास में उनको लिया जाएगा जिनकी भूमि जा रही है। जो भूमिहीन होने जा रहे हैं। उनकी अपनी शर्त है। वो लोग भी कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इन्हें अपनी भूमि सहर्ष देने के लिए तैयार हैं बस हमारी एक शर्त है कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए और इस बात की गारंटी एन.टी.पी.सी. दे। इसके अलावा उनको भूमि का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा और अगर वो चाहें तो उन्हें भूमि के बदले भूमि भी दी जा सकती है। तो जब भूमिहीन होने वाले लोगों को ही कोई परेशानी नहीं है तो अन्य लोगों को तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए।

भुवन – संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन दिया है जिसके अनुसार इस परियोजना की पूरी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है।

लक्ष्मीलाल – किसी भी परियोजना के बारे में प्रत्येक नागरिक को तो नहीं बताया जाता न। आज तक किस–किस परियोजना के बारे में प्रत्येक हिन्दुस्तान के नागरिक को बताया गया है ?

भुवन – अगर आपने किसी परियोजना की जानकारी मांगी तो वह मिल पायी है क्या?

लक्ष्मीलाल – हाँ मिली है, बिल्कुल मिली है। हम कैसे कह दे कि नहीं मिली है। हमने उनकी बातों को समझने के बाद ही विरोध नहीं किया है। अब इन लोगों का कहना है कि पानी की कमी होगी तो, वे यह विकल्प दे रहे हैं कि पहले तो पानी की कमी नहीं होगी और अगर हो भी जाती है तो वे पहले पानी की व्यवस्था करवा देंगे।

भुवन – कौन सा पानी, वही जो शहर में आ रहा है ?

लक्ष्मीलाल – यहां स्रोत से पानी आएगा और और स्रोत के पानी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आ रही है।

भुवन – ये विरोध काफी लंबे समय से किए जा रहे हैं तो बताइए कि इन संघर्षों के क्या मुद्दे हैं।

लक्ष्मीलाल –जी नहीं, विरोध तो हाल ही के दिनों से होना शुरू हुआ है। जब से उन्होंने बैठक बुलाई थी और उसमें उन लोगों को नहीं बुलाया था जिसके कारण उनके अहम में टकराव हो रहे हैं। बाकी विरोध का तो कोई औचित्य ही नहीं है।

भुवन – इनका कहना है कि इस पूरी परियोजना का उद्घाटन देहरादून में किया गया था ताकि इसका विरोध न हो पाए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अनुसार इसमें एक और मुद्दा भी है कि इस परियोजना के लाभ स्थानीय स्तर के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है।

लक्ष्मीलाल – आपको यह बात कहने से पहले ही सोचनी चाहिए , हो सकता है कि सरकार का एग्रीमेंट हुआ हो और उसमें कुछ शर्तें भी रही होंगी क्योंकि बिना शर्तों के तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है।

भुवन – हाँ, जी.पी.आर. और एन.टी.पी.सी. ने अपना पूरा दस्तावेज दिया है उसके अनुसार केवल राज्य सरकार को ही 12 प्रतिशत की मुफ्त बिजली मिलेगी बाकी 88 प्रतिशत की बिजली एन.टी.पी.सी. की होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस स्थान पर ये परियोजना बन रही हो चाहे वो जोशीमठ के डेढ़ किलोमीटर नीचे बने या ऊपर उससे जो स्थानीय लोगों को जैसे जो जोशीमठ के लोग हैं या जमतोली से लेकर बड़ागांव तक जो छः गांव के लोग हैं उनको इस परियोजना से क्या फायदा होगा ये स्पष्ट नहीं है।

लक्ष्मीलाल – उसी के लिए तो मीटिंग बुलाई थी डी.एम. ने।

भुवन – आप गए थे उस मीटिंग में?

लक्ष्मीलाल – हां मैं गया था।

भुवन – क्या बात हुई थी उसमें ?

लक्ष्मीलाल – उसमें कई दो शर्तें रखी गई थी कि जिन भी परिवारों की भूमि जा रही है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और भूमिहीन हो रहे लोगों को दूसरे स्थानों पर भूमि आबंटित की जाएगी।

भुवन – वो भूमि कहां आबंटित करेंगे तराई में या कहीं और ?

लक्ष्मीलाल – इसके बारे में लोग आपस में ही तय करेंगे। हर प्रभावित गांव में एक समिति बनाई जा रही है, वो समिति गांव वालों से विचार–विमर्श करके विस्थापित लोगों को किसी और स्थान पर ले जाने के बारे में बात करेगी। वो लोगों से बात करके यह तय करेगी कि कौन–कौन से लोग विस्थापित होना चाहते हैं और कौन नहीं होना चाहते, और अगर होना चाहते हैं तो कहां होना चाहते हैं फिर वो उसी के आधार पर इस मामले का निपटाया जाएगा।

भुवन – अच्छा आप चूंकि एक राजनैतिक पार्टी (कांग्रेस) के साथ सम्बद्ध हैं और आप एक सार्वजनिक पद पर भी रहे हैं और आपकी सरकार भी है, इस समय उत्तरांचल भर में कितनी ही पावर परियोजनाएं बन रही हो, चाहे मनीरीभाली में हो, चाहे हॉलेंडा में हो या पंचेश्वर में, या यहां बन रही हो इन सभी के खिलाफ एक तरह का आंदोलन तो हो ही रहा है, चाहे उसे दो ही लोग क्यों न कर रहे हों लेकिन आंदोलन तो हो ही रहा है, इसके बारे में तथा प्रदेश की ऊर्जा नीति के बारे में आपकी क्या राय है? **लक्ष्मीलाल** – ऊर्जा नीति बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इस सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं है चाहे कोई भी सरकार आए। जबतक ये पानी का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक इस सरकार का फायदा नहीं होगा।

भुवन – जब टिहरी में बड़ा बांध बना तो सरकार ने साफ कहा था कि बांध पूरा बन जाने के बाद गंगाजी और तिलगंगा के ऊपर वाले लोग टिहरी के पानी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और लोगों को भी ऐसी ही आशंका थी कि वो पानी उन्हें पानी का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। अगर उसी तरह इस परियोजना के बनने के बाद भी ऐसा ही किया गया तो आप क्या करेंगे?

लक्ष्मीलाल – हम उसके बाद फाइब्रेशन करेंगे। समितियों के गठन के बाद आपसी विचार–विमर्श किया जाएगा उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसी के आधार पर आगे की बात होगी।

भुवन – अभी तो निर्माण शुरू नहीं हुआ ?

लक्ष्मीलाल – नहीं, अभी तक निमार्ण कार्य शुरू नहीं हुआ है अभी, भूमिरतन की कार्यवाही चल रही है।

भुवन – अगर ये परियोजना बाद में ठीक न निकली तो क्या होगा ?

लक्ष्मीलाल – अगर उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान न किया और प्रभावित परिवारों और प्रभावित गांवों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगें। लेकिन अगर सरकार इन लोगों का सम्मान करते हुए उनकी मांग के अनुसार उचित मुआवजा देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

भुवन – क्या आप यह मानते हैं कि भू–वैज्ञानिक दृष्टि से जोशीमठ को कोई खतरा नहीं है ?

लक्ष्मीलाल – जी, कोई खतरा नहीं है।

भुवन – क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट आयी है या ऐसा कोई अनुसंधान हुआ है ?

लक्ष्मीलाल – नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन जब सन् 70 में बाढ़ आई थी तब, वहां के कमिश्नर ए.सी. मिश्रा ने इसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ही भूमि सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा वहां अन्य कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ।

भुवन – क्या अब, भूमि विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी है ?

लक्ष्मीलाल – हां दे दी है।

भुवन – क्या रिपोर्ट आपके पास है ?

लक्ष्मीलाल – हाँ है।

भुवन – क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है ?

लक्ष्मीलाल – हाँ बिल्कुल पढ़ी है।

भुवन –इस परियोजना के बारे में उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

लक्ष्मीलाल – उसके अनुसार इस परियोजना से वहां किसी भी तरह का खतरा नहीं हो सकता है।

भुवन – और ये जो पर्यावरण संबंधी नुकसान की रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

लक्ष्मीलाल – जी हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार भी इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा।

भुवन – क्या यहां पर स्थित एन.टी.पी.सी. कार्यालय से सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं ?

लक्ष्मीलाल – जी हाँ, हम जो भी सूचना मांगेंगे वो हमें मिल जाएगी।

भुवन – अगर कोई भी आदमी सूचना मांगे तो उसे मिल सकती है क्या ?

लक्ष्मीलाल – जी हाँ, किसी को भी सूचना दी जा सकती है और वो तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी बात करना चाहते हैं तेा यूनियन की बैठक में जाकर बात कर सकते हैं।

भुवन – बांध के बारे में ऊपर के गांव, की समर्थन सूचना आई है क्या ?

लक्ष्मीलाल – जी हाँ, उन्होंने अपना समर्थन लिखकर दिया है और उसे मुख्यमंत्री तथा डी.एम. को फैक्स भी कर दिया गया है।

भुवन – बीच में टी.पी.एस. रावत जी तथा अयोध्या जी का घेराव हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

लक्ष्मीलाल – किसने किया घेराव ?

भुवन – जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने किया था।

लक्ष्मीलाल – कितने लोग थे ?

भुवन – उसके बारे में तो आप ही बताएंगे, मैं खुद आपसे जानना चाहता हूं।

लक्ष्मीलाल – ऐसा कोई भी घेराव नहीं हुआ और न ही ऐसा कुछ हुआ था।

भुवन – क्या अयोध्या प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है ?

लक्ष्मीलाल – हाँ, वो अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। उनकी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जब तक गांव के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तब तक ये परियोजना शुरू नहीं की जाएगी और आपकी सभी मांगों पर विचार करने के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा।

भुवन – मुझे जानकारी मिली है कि बांध के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू हो गई है क्या यह बात सही है ?

लक्ष्मीलाल – मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

भुवन – जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने दिल्ली में कोई मुकदमा दायर किया हुआ है, क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है ?

लक्ष्मीलाल – मुझे कोई जानकारी नहीं है।

भुवन – आपको क्या लगता है कि, उन्हें उनके जल, जंगल तथा जमीन के अधिकारों से बेदखल करना ठीक है ?

लक्ष्मीलाल – वो बेदखल नहीं हो रहे हैं। और हमने पहले ही कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है और कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है तो हम, उसके लिए संघर्ष करेंगे और उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे तो इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं आएगी और शेर के आने से पहले ही शेर आया, शेर आया चिल्लाना तो ठीक नहीं है।

भुवन – आपको लगता है कि जनता के अधिकार सुरक्षित हैं ?

लक्ष्मीलाल – अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है , सड़क नहीं है और जब इन चीजों को बनाने के लिए जमीन की मांग की जाती है तो वो लोग जमीन भी देने को तैयार नहीं होते हैं और अगर इस काम के लिए किसी की जमीन ले ली जाती है तो लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं तो ये भी इसी तरह का ही विरोध है। और मैंने देखा कि जो लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं वो तो यहां के निवासी भी नहीं हैं वो या तो शहर के वासी हैं या किसी के द्वारा बाहर से बलाए गए लोग हैं।

भुवन – व्यापार संघ की क्या भूमिका है ?

लक्ष्मीलाल – व्यापार संघ की कोई भूमिका नहीं है। अगर इस विरोध में व्यापार संघ का कोई एक पदाधिकारी ही शामिल हो तो उसे पूरा व्यापार संघ नहीं कहा जाता है।

भुवन – क्या इस विरोध में नगर पालिका भी शामिल है ?

लक्ष्मीलाल – नहीं, उनकी ओर से कोई विरोध नहीं है।

भुवन – इस विरोध में वहां के स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है ?

लक्ष्मीलाल – कोई भूमिका नहीं है।

भुवन – वहां के प्रभावी क्षेत्र की जनता तथा वहां के जन प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है ?

लक्ष्मीलाल – जी इनमें से कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जांच करके देख दीजिए कि शेलगांव ने कहां विरोध किया है, आपको साफ हो जाएगा कि वे कहीं पर भी विरोध नहीं कर रहे हैं।

भुवन – कौन सा गांव है ?

लक्ष्मीलाल – शेलंग, यही पर पास में ही है, वहां कोई विरोध नहीं है। इसके अलावा पैनी,ढाका, बड़गांव तथा तपोवन में भी कोई विरोधी नहीं है।

भुवन – आप कहना चाहते हैं कि विरोध के दौरान होने वाले घेराव में बाहर के लोग आए थे।

लक्ष्मीलाल – ये सब नाटकबाजी और ड्रामा। उस दिन यहां मेला लगा था और मेले में आए लोगों को ही घेराव में शामिल बता दिया गया था।

भुवन – कौन सी 13 तारीख को?

लक्ष्मीलाल – नहीं वो होली फेस्टिवल के दिन हुआ जिस दिन टी.पी.एस. रावत जी भी वहां मौजूद थे। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आजकल सब अखबार वाले बात को बढ़ा–चढ़ाकर लिखते हैं कि हजारों तथा सैकड़ों लोग उपस्थित थे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था।

भुवन – क्या इसमें मीडिया की भूमिका है ?

लक्ष्मीलाल – हाँ। इसमें मीडिया की ही भूमिका है। आप ही बताइए कि आपने कितने जलूस देखे हैं, कितने आदमी देखे। मुझे विश्वास है कि गांव में होने वाले इन जलूसों में 0.1 प्रतिशत जनसंख्या भी शामिल नहीं होती है।

साक्षात्कार

रमेश डिमरी, अध्यक्ष जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति

(साक्षात्कारकर्ता – भुवन पाठक)

भुवन – रमेश जी आप अपने राजनैतिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बतायें।

रमेश डिमरी – एम.ई.एस. में ठेकेदारी करने के बाद मुझे ठेकेदारी ही पसंद नहीं आई क्योंकि वहां लगभग सभी लोग लूट–खसोट करने पर ही लगे रहते हैं फिर चाहे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट इस सब को देखते हुए मैंने ठेकेदारी ही छोड़ दी और 1991 से दुकान चला रहा हूं। यहाँ आने के बाद मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। उस समय मैं, शशिभूषण जी से जुड़ा था वो कांग्रेस पार्टी में थे तथा एम.एल.ए. के चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनके चुनाव प्रचार के दौरान ही मुझे पता चल गया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने कांग्रेस छोड़ दी और बी.जे.पी. में आ गया, वहां मैं, मुन्ना सिंह चौहान के साथ जुड़ गया। वे उत्तराखंड न्यासी पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन बाद में उनका बी.जे.पी. के साथ विलय हुआ और हम भी उनके साथ ही बी.जे.पी. में आ गए और तबसे हम बी.जे.पी. के ही साथ हैं। उसके बाद मैं पहली बार व्यापार संघ से चुनाव लड़ा और अपने यार–दोस्तों की मदद से जीत गया। बस मेरी राजनीति की इतनी ही पृष्ठभूमि है।

भुवन – जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाते समय आपके मन में क्या आया जो आपने इसका गठन किया।

रमेश – हमने देखा कि सरकार इतनी बड़ी परियोजना बना रहा है जिसमें तपोवन, चमतो, पनघट, गोचर, पनसारी, हौली तथा शैलंग जैसे कई गावों अर्थात लगभग पूरे जोशीमठ को छूते हुए शैलंग तक की लगभग सभी भूमि जा रही थी लेकिन फिर भी लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां सरकार ने मीडिया के द्वारा ये बातें फैला दी कि वहां के लोगों

को डेढ़ लाख रुपये नाली से लेकर दो लाख रुपये नाली तक दिया जाएगा। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति करीब 35 लाख रुपये तक का मालिक बन रहा था, तो कोई 25 का तो कोई 50 लाख का बन रहा था इसीलिए लोग विरोध नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जब सरकार उनको उनकी जमीन के बदले इतने सारे पैसे दे रही है तो उन्हें खेती–बाड़ी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमें मालूम था कि उन्हें शासन स्तर पर इतना पैसा मिलने वाला नहीं है। फिर हमने अतुल सती जी, शशिभूषण सती तथा भगवती प्रसाद लंबूरी के साथ मिलकर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया। शैलंग गांव की स्थिति को ही देख लीजिए वहां की भूमि का मूल्य छः हजार रुपये नाली है अगर, सरकार चाहेगी भी तो हद से हद वो छः हजार से बढ़ाकर बारह हजार कर सकती है लेकिन इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं देगी और उस बारह हजार नाली में उनका कुछ भी होने वाला नहीं है और उनकी सारी की सारी भूमि भी चली जाएगी। और अगर शैलंग वाले लोग जोशीमठ में भूमि खरीदने आएंगे भी तो उस मूल्य पर उन्हें वहां कोई भी जमीन नहीं मिलेगी। क्योंकि वहां की भूमि की कीमत तो पहले ही बढ़कर 35 से 55 हजार हो गई है आगे बढ़कर एक से डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है। इसके अलावा वहां इतनी अधिक भूमि नहीं है कि सभी लोग वहां बस सकें। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जमीन की कीमत वाले मुद्दे को लोगों के बीच लेकर गए। यहां कई जलस्रोत हैं, कई फल–पट्टी, खुमानी, सेब, आड़ू, राजमा, अखरोट आदि सभी फसलें पैदा की जाती हैं लेकिन पानी की कमी के कारण वो सभी फसलें बेकार हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद हम केवल वर्षा पर ही निर्भर रहेंगे, अगर बारिश आएगी तो फसल होगी, नहीं आएगी तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए हमलोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया। गठन बनाने के बाद हम गांव–गांव घूमे। हमारी बातें सभी लोगों को पसंद आई और सभी लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ हैं। सब लोगों ने हमें अपने साथ होने का आश्वासन तो दिया लेकिन वो हमारे साथ नहीं आते थे क्योंकि उनके सामने तो डेढ़–दो लाख रुपये नाली का ही लालच आ जाता था। इसके अलाव कास्तकार लोग भी अपनी जमीन से ऊब चुके थे क्योंकि उनके द्वारा उगाए हुए आलुओं को कभी सरकार 80 रुपए प्रति क्विंटल देती थी तो कभी 100 रुपए देती थी जिसमें उनको कुछ भी लाभ नहीं मिलता था केवल मात्र उनकी लागत ही निकल पाती थी क्योंकि 150 रुपए तो हल लगाने

वाला ले जाता था उसके बाद बीज और खाद भी खरीदनी है और कमरतोड़ मेहनत तो है ही। ऐसे में उन्हें लगने लगा कि जब सरकार उनकी जमीन के इतने अच्छे पैसे दे रही है तो अपनी जमीन को भी क्यों न बेचें तो इसी लालच में लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए।

उसके बावजूद भी हमने प्रयास जारी रखा, और जोशीमठ क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया हमने उन्हें बताया कि इससे जो नुकसान सबको होगा वो तो होगा ही लेकिन इसके साथ ही साथ हमें और भी नुकसान होंगे क्योंकि एन.टी.पी.सी. ने हमें 'जोशीमठ' को प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं रखा है। इसी प्रकार मान लो कि जिस तरह टिहरी का टनल टूटने से हादसा हुआ उसी तरह का हादसा यहां भी हो गया तो पूरा का पूरा जोशीमठ ही नष्ट हो जाएगा और वैसे भी ये रेत और पत्थरों के टीलों पर बसा हुआ शहर है जिसमें बाद में पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके लिए 12 किलोमीटर लम्बी टनल बनेगी जो कि 20 फुट होगी, अगर यहां पर विस्फोट हुए तो सब मकानों पर क्रेक आ जाएंगे और अगर नीचे विस्फोट हुआ तो हम तो पूरी ही तरह बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि धार्मिक तीर्थाटन नगरी होने के नाते यहां पर नीचे बिष्णु प्रयाग है जो कि, हिंदुस्तान का प्रथम प्रयाग कहलाता है और इस सबसे उसका अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा यहां तक कि इससे प्रयाग को ही खतरा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में प्रयागराज इलाहाबाद कैसे कहलाएगा, जो कि सीधे–सीधे हमारी धार्मिक भावनाओं पर चोट कर रहा है। इस प्रकार हम तो चारों और से ही नष्ट हो रहे हैं।

दूसरी बात इसमें ये है कि, इस क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. का रवैया भी बहुत ही तानाशाहपूर्ण रहा है। इन्होंने अपना आफिस नगर पालिका, ब्लाक प्रमुख और होटल इत्यादि को किराए में लेकर खोला जहां पूंजीपति रहते थे ताकि लोग हो–हल्ला न कर सकें और इस तरह इन्होंने लोगों को खामोश किया। पहले उन्होंने गारीबों को रोजगार देने की बात भी की थी लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर हम सफाई कर्मचारी की भी भर्ती करेंगे तो उसकी नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर होगी जिसमे पूरे भारत के नागरिक शामिल हो सकेंगे तो ऐसे में वहां के बेरोजगारों को तो रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। इन्होंने आज तक भी बाहर के

लोगों को नौकरी दी और आगे भी ये उन्हीं को नौकरी देंगे। तो, इस प्रकार हमारे सामने ये सारे मुद्दे मौजूद थे। जिसके लिए हम संघर्ष करने के लिए एकजुट हो गए।

भुवन – मुझे लगता है कि यहां दो बातें साफ निकल कर आ रही है, एक तो ये कि आप इस परियोजना को नहीं बनने देना चाहते हैं।

रमेश – जी, आपने ठीक कहा हम इस परियोजना को नहीं बनने देना चाहते।

भुवन – और दूसरी तरफ ये जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मसला है, जोशीमठ को प्रभावित क्षेत्र में शामिल करने का मसला है, भूमि के रेटों का मसला और पनघट बौचर को बचाए रखना का मामला है। इन दोनों में से जोशीमठ संघर्ष समिति किस और जाना चाहती है, स्पष्ट रूप से बताइए।

रमेश – हम इस परियोजना को बनाने के पक्ष में नहीं हैं।

भुवन – क्या ये आपको संभव दिखता है?

रमेश – बिल्कुल, हम इसके लिए लड़ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है।

भुवन – बाकी जो तमाम यहां के प्रभावी राजनैतिक दल हैं वो चाहे कांग्रेस के ही क्यों न हों ?

रमेश – हाँ , चाहे कोई भी हो, वो सब लिप्त हैं इस शहर को उजाड़ने में पूर्णतः लिप्त हैं। वो सब चाहते हैं एन.टी.पी.सी. आए यहां पर काम करे। वो तो हमलोगों को यह तक कह रहे हैं कि तुम विरोध करके गलत कर रहे हो। वो केवल अपना मतलब साधने का प्रयास कर रहे हैं अपना आने वाला कल नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जमीन हमारे पास आई है वो हमारे पिताजी तथा दादाजी की मेहनत से आई हैं उन्होंने इस जमीन में जी तोड़ मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया है, अगर आज हम वही जमीन इनको दे देंगे तो कल हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे और बिना जमीन के हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय होगा ही।

भुवन – अभी, आपको क्या लगता है यह आंदोलन कितना सफल रहा है, और इसके साथ कितने आदमी जुड़े हैं ?

रमेश – देखिए शुरू में हम पाँच लोग थे, उसके बाद हम 20–30 हुए फिर 40–50 हुए 70–80 हुए, आज की तारीख में हमारे साथ 400–500 से ज्यादा आदमी जुड़ चुके हैं। शुरू में लोग मानते थे कि ये सब बेकार हैं ये सब इनका ढकोसला है लेकिन अब लोग यह मान चुके हैं कि यह एक सही लड़ाई है। प्रभावित लोग भी मान रहे हैं कि ये एक सही लड़ाई है लेकिन वो अपने लालच के कारण आगे नहीं आ रहे हैं लेकिन वो अल्पकालिक फायदा ही है क्योंकि मान भी लो कि कल उन्हें 25 लाख रुपए मिल भी जाते हैं तो वे कितने दिनों तक चलेंगे, उसमें कुछ जमीन भी खरीदनी होगी, मकान भी बनाना होगा उसके बाद हम क्या खाएंगे ? आय के स्रोत तो कुछ भी नहीं रहेंगे।

भुवन – जब सुंदरलाल जी के नेतृत्व में टिहरी बांध की लड़ाई चल रही तो उस समय तमाम आंदोलनकारी साथी कह रहे थे कि हमें बांध नहीं चाहिए, आप बड़े बांध नहीं बनाइए और आज पंचेश्वर में भी वही स्थिति हो गई है आज सरकार ने विष्णु गांव परियोजना को रन ऑफ दि रीवर के रूप में शुरू किया है तो फिर आज हम रन ऑफ द रीवर स्कीम का भी विरोध करने लगे हैं। ऊर्जा उत्पादन के बारे में प्रदेश की क्या नीति होनी चाहिए ?

डिमरी – हमारे पास नाले और गदेरे के रूप में पानी के छोटे–छोटे बहुत से स्रोत हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम 2500 या 4000 मेगावाट की परियोजना ही बनाएं हम 20–50 या 100 मेगावाट की परियोजना भी तो बना सकते हैं। हमें हेलन के पार की तरह गांव की जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं बनानी चाहिए। वहां एक गदेरे पर ही विद्युत परियोजना बनी हुई है जिससे पिथौरागढ़ तक को बिजली की सप्लाई होती है। इसमें ज्यादा लागत नहीं लगी, सबसे सुंदर और टिकाऊ काम हुआ तथा तथा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह आज हमारे जोशीमठ में आठ–दस गदेरे हैं इन गदेरों से बिजली बनाई जाए तो यहां के लोगों को बिजली भी मिल जाएगी, सरकार को कम खर्चा करना पड़ेगा, सरकार का लाभ भी हो जाएगा

और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। बड़ी परियोजनाओं में लागत भी अधिक लगती है और उससे बनने वाली बिजली हमें भी नहीं मिल पाएगी।

भुवन – एन.टी.पी.सी. के दस्तावेजों के अनुसार वह, उत्तराखण्ड सरकार को 12 प्रतिशत ही बिजली देगी बाकी तो सब नार्थ ग्रेड में चला जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

डिमरी – ये बात पूरी तरह से सही है। आपके सामने बिष्णु प्रयाग परियोजना का उदाहरण मौजूद ही है वो भी उत्तराखण्ड सरकार को केवल 12 प्रतिशत बिजली ही देगा और बाकी बिजली को बेचेगा। यहां की जमीन के प्रयोग से यहां बांध बना है लेकिन यहां के लोगों के लिए ही मुफ्त बिजली की सुविधा नहीं है।

भुवन – क्या अभी तक आपकी एन.टी.पी.सी. के साथ कुछ बातचीत हुई है ? **डिमरी** – हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है।

भुवन – संघर्ष समिति की एन.टी.पी.सी. के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और उत्तरांचल सरकार के साथ ?

डिमरी – उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं हुई। एक बार हम पर 17/4 धारा लगाई गई थी, हमने इस बारे में पर्यटन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक तथा थैलिसैंण विधायक गणेश गोदियाल का घेराव किया। हमने करीब साढ़े तीन घंटे तक उनका घेराव किया। हमने कहा कि जब तक आप 17/4 धारा को हटा नहीं देते, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे, उन्होंने हमें , कई तरीकों से समझाया और कहा कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, हम इसको नहीं कर सकते लेकिन हम इतना वायदा कर सकते हैं कि हम इस बावत मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि आप में से चार–पांच लोग हमारे साथ देहरादून चलिए, वहां हम, आपकी बातचीत मुख्यमंत्री से करा देंगे हमने कहा कि हम चार–पांच लोग नहीं जा सकते हैं हम सभी प्रभावित लोग एक साथ ही जाएंगे ताकि मुख्यमंत्री जी को हम सभी की समस्याओं के बारे में पता चल जाए। सेलन गांव वालों ने भी ऐसा ही घेराव किया, उन लोगों ने भी वहां पर वही बात कही। तो वहां से पांच लोग जैसे तपोवन के प्रधान, घाघ के प्रधान, बाड़ागांव के प्रधान, पैनी के प्रधान और सेलंग के प्रधान और एक अन्य व्यक्ति तैयार हो गए। ये लोग

देहरादून गए और तीन दिन तक वहीं रहे लेकिन इन तीन दिनों में मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर उन्हें, उनके कार्यालय के बाहर तक खड़ा नहीं होने दिया गया। इस प्रकार हमारी, सरकार के साथ किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई।

भुवन – आंदोलन के बारे में आपकी आगे की क्या रणनीति है ?

डिमरी – हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन तो करेंगे ही इसके साथ ही साथ हम कोर्ट की शरण भी लेंगे।

भुवन – क्या आप लोगों ने बांध के तकनीकी पक्ष का अध्ययन किया है कि इससे कितना नुकसान होगा, भूवैज्ञानिक या पर्यावरणीय प्रमाणपत्र मिला है या नहीं आदि।

डिमरी – अभी जो बात सामने आयी है उसके अनुसार भू–वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जिस स्थान पर बैराज बनना है वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, उस स्थान की जमीन पर लगातार घिसाव हो रहा है, यह बात उन्होंने एन.टी.पी.सी. को भी लिखकर दी हुई है। इस आधार पर इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उन्होंने कहा कि ये खतरे वाली जगह है और उससे पूरे क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आप अगर बनाना भी चाहते हैं तो उससे हटकर बनाइए। लेकिन एन.टी.पी.सी. वालों का कहना है कि अगर हम इस स्थान से हटकर बनाते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा और इसका सबूत देने के लिए उन्होंने अपने नुकसान की ऐसी रिपोर्ट पेश की है कि जैसी रिपोर्ट गैर कानूनी काम करने वाले भी पेश नहीं कर सकते हैं। और वे कोर्ट के स्टे को भी नकार रहे हैं।

भुवन – इस पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन का क्या रूख है ?

डिमरी – स्थानीय प्रशासन तो उन्हीं के साथ है। क्योंकि अगर कोई एस.डी.एम. ट्रांसफर होकर यहां आता है या यहां से जाता है तो उसे एन.टी.पी.सी. की गाड़ी छोड़ने और लेने जाती है। इसके अलावा एन.टी.पी.सी. उन्हें सभी सेवाएं दे रही है, ऐसे में तो वे उन्हीं की तरफदारी करेंगे।

भुवन – साफ–साफ शब्दों में कहें तो यह टनल पूरे जोशीमठ के नीचे से जा रही है। इसके लेकर जोशीमठ के आम आदमी, वहां के दुकानदार तथा अम शहरी की क्या सोच है ?

डिमरी –अभी यहां के प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान के बारे में अंदाजा नहीं है। सबका कहना है कि, वहां से जा रही है तो इसका हमपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमने इस संघर्ष समिति का गठन किया उसके बाद हमने लोगों को समझाया, तो धीरे–धीरे लोगों की समझ में आ रही है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज हम 5 से बढ़कर 400–500 हो गए हैं और आने वाले समय में लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हमारे साथ तपोबन तथा ढाऊ के लोग भी शामिल हो जाएंगे। आज कुछ लोग डेढ़ लाख रुपए नाली पाने का इंतजार कर रहे हैं और जिस दिन सरकार डी.एम. को भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दे देगी, उस दिन वे सरकारी मूल्य देना शुरू कर देंगे, तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन वो सब लोग भी हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे और सड़कों पर उतर आएंगे। जब हम तपोबन, बड़ागांव, ढाक, रविग्राम, सेलंग आदि की महिलाओं से मिले, तो हमें पता चला कि उनमें से कोई भी महिला अपनी एक एंच भूमि भी बेचना नहीं चाहती है। ये केवल पुरूष वर्ग का ही ख्वाब है कि उनकी जमीन के अच्छे से अच्छे दाम मिले। लेकिन अब धीरे–धीरे 10–15 दिन में भी उनकी समझ में सबकुछ आने लगेगा और वो लोग भी हमारे बैनर तले सड़कों पर नजर आएंगे।

भुवन – अदालत में जाने की कार्यवाही शुरू हुई ?

डिमरी – अदालत में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है अभी, उसकी दो तारीख निकल गई है और अभी 17 तारीख को उसकी तीसरी तारीख है। उसमें हमने अतुल सती जी को भेजा है, ताकि वे आगे की प्रगति को अच्छी तरह देख और समझ सकें।

धन्यवाद।

थपलियाल जी का साक्षात्कार

(साक्षात्कारकर्ता – भुवन पाठक)

भुवन – भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए ?

थपलियाल – मैं तपोवन का पूर्व ग्राम प्रधान था उसके बाद में जिला पंचायत का सदस्य रहा।

भुवन – आपका शुभ नाम ?

थपलियाल – मोहन थपलियाल।

भुवन – मैं आपको ही ढूंड रहा था, आपसे इस परियोजना के संबध में कुछ प्रश्न करने हैं। इस परियोजना के बारे में लोगों तथा आपकी क्या सोच है ?

थपलियाल – अभी, इस परियोजना के संबध में लोगों को केवल लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी और जमीन का डेढ़ लाख रुपया नाली मिलेगा आदि। अगर वास्तव में लोगों को यह सब मिल जाए तो जनता बहुत अधिक खुश होगी लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये केवल एक अफवाह मात्र है।

जब बाद में जाकर उन्हें इसकी वास्तविकता का पता चलेगा तब वो आंदोलन पर उतरेंगे।

भुवनः– सरकार कह रही है कि वो परियोजनाओं के द्वारा विकास कर रही है, लेकिन

आप उनकी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, क्या आप विकास पसंद नहीं हैं ?

थपलियाल – हम भी देश का विकास ही चाहते हैं लेकिन हम ऐसा विकास नहीं चाहते जो लोगों की लाश पर हो या उन्हें बेघर करके हो। हमने मांग की थी कि अगर वो हमारे तय की

गई कीमत के अनुसार मूल्य नहीं दे सकते तो हमारी जमीनों के बदले जमीनें दे दें। और मकान बनाने के लिए पैसा दे दें। इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनका कहना था कि हम सोचेंगे और जमीन की ठीक कीमत देंगे। एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों ने भी यही कहा कि हम कास्तकारों तथा अन्य लोगों से बात करके कीमत देंगे लेकिन अब वो बातचीत से हटकर सीधे ही अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहे हैं।

भुवन – क्या इस परियोजना से पर्यावरण या सुरक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में एन.टी. पी.सी. ने आम आदमी को जानकारी दी है ?

थपलियाल – आम आमदी को तो इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 4 तारीख को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सारधाम विकास के उपाध्यक्ष तथा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त क्षेत्र के विधायक तथा डी.एम. की बैठक थी उसमें हम लोग भी मौजूद थे। मैंने डी.एम. साहब से पूछा कि जब यहां भूकंप आया था तो भू–वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को जोन–5 में रखते हुए इसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में गिना था, उनके अनुसार इस क्षेत्र के नीचे वो प्लेटें स्थित हैं जो तिब्बत जोन से आती हैं तो निश्चित है कि इससे भूगर्भीय हलचल तो होगी ही लेकिन उस सब के बावजूद भी यहां परियोजना के काम को कैसे मंजूरी मिल गई है क्योंकि इस परियोजना के कारण तो लाता से पीपलकोटी तक एक नहीं कई सुरंगे बनेंगी, सफाई टनल बनेंगे, डिसिल्टींग टैंक बनेंगे तथा पावर हॉउस भी अन्डर ग्राउन्ड ही बनेगा तो ऐसे में भूवैज्ञानिकों ने इसे कैसे पास कर दिया, क्या अब यह इलाका भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त हो गया है? उन्होंने मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि ये तो वो लोग ही जानें हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हमें तो इतना पता है कि इस जमीन को सभी भू–वैज्ञानिकों को दिखा दिया गया था और उन्होंने इसे ठीक ही बताया है। मैंने फिर सवाल किया कि आज यहां सरकार और शासन दोनों के ही आदमी, माननीय विधायक तथा जिलाधिकारी जी बैठे ह्वैं तो क्या आप यह बता सकते हैं कि हमें जमीन के कितनी कीमत मिलेगी ? लेकिन वो इसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए

भुवन – क्या आपने जी.एस.आई. द्वारा दी गई भूगर्भीय रिपोर्ट देखी है ?

थपलियाल – नहीं देखी है।

भुवन – इन्होंने इसे देने के बारे में क्या कहा है?

थपलियाल – नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने जोशीमठ, सेलंग तथा तपोवन में सूचना केन्द्र खोल तो रखे हैं लेकिन ये चाहते हैं कि इनमें कोई न आए। मैंने, जब उनसे पूछा कि जब तुमने सूचना केन्द्र खोले हुए हैं तो लोग अपनी भूमि के बारे में जानने तो आएंगे ही, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहां कोई न आए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार वो रिपोर्ट दिखाने को तो तैयार हैं ही नहीं इसके साथ ही उनकी जमीन की कीमत बताने को भी तैयार नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने लोगों को बर्गलाने के लिए ही सूचना केन्द्र खोले हुए हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं।

इन्हें पर्यावरण मंत्रालय से एन.ओ.सी. मिली हुई है, जो कि उन्होंने डी.एम. साहब के दबाव में आकर हमें भी पढ़कर सुनाई उसमें पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि आप नदी किनारे स्थित धार्मिक स्थलों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुरातत्व महत्व की चीजों का संरक्षण किया जाएगा, उनकी तोड़फोड़ नहीं होगी आदि। ये बातें सुनकर मैंने, डी.एम. साहब से कहा कि लाता से पीपलबुटी तक हमलोगों के धार्मिक शमशान घाट है, जब ये पानी पूरा सुरंग के अंदर चला जाएगा, तो इन शमशान घाटों का क्या होगा? हम लोग मुर्दा कहां जलाएंगे ? वो भी तो एक धार्मिक स्थल ही है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस दौरान मंदिरों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। लेकिन इन्होंने जो अधिग्रहण की कार्यवाही की है उसमें एक से अधिक मंदिरों को नुकसान होगा, एक और तो पर्यावरण मंत्रालय कह रहा है उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, उनका संरक्षण करना पड़ेगा और दूसरी ओर यह सब हो रहा है तो ये सब बातें तो हमारी समझ में नहीं आई और एन.टी.पी.सी. भी हमारी किसी भी बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

उनके मानव संसाधन विभाग है, उससे कोई महाश्य आए थे और उन्होंने कहा कि अगर आपको जमीन की कम कीमत मिलेगी तो हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है जिससे हम उस पैसे से भी उन लोगों को कुछ देंगें। मुझे लगता है कि इन लोगों को केवल झूठे आश्वासन

दिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वह प्रशासन, एन.टी.पी.सी के अधिकारी तथा जनता के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बातचीत करके समझौता करते लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि जो लोग बेघर हो रहे हैं उन्हें आप क्या देंगे तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था।

भुवन – इस परियोजना के बारे में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

थपलियाल – यहां के लोग तो भोले–भाले हैं। उन्हें इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इस परियोजना से उन्हें क्या लाभ तथा क्या हानि हो रही है। लोगों के दिमाग में केवल यही बात है कि एन.टी.पी.सी. के आने से हमें नौकरी मिलेगी और यहां पर मार्केट चलेगा आदि। एन.डी.पी.सी. उन्हें केवल फायदे ही दिखा रहा है उन्हें होने वाले नुकसान की बात तो कर ही नहीं रहा है। उन्हें इसकी समझ ही नहीं है कि कल जब सुरंग में पानी भर जाएगा तो उनका कितना नुकसान होगा, और अगर यहां लोग मर जाएंगे तो उनका अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी और हमारे कई धार्मिक स्थल नष्ट हो जाएंगे, इसके बारे में तो वह कुछ जानते ही नहीं हैं।

भुवन – इससे पहले भी उत्तरांचल के हिमालय में कई परियोजनाएं बनी थी, उनका अध्ययन करने के लिए कमेटी बनी थी, क्या इस परियोजना के लिए भी ऐसी ही प्रयास किया गया है ?

थपलियाल – इस तरह की कोई कमेटी यहां नहीं बनी है। एक बार यहां पर्यावरण मंत्रालय के लोग आए थे, उस दिन लोक सुनवाई भी हुई थी, लेकिन लोगों को डी.पी.आर.आदि कुछ भी नहीं दिखाया गया बस, दो तीन लोगों ने उनकी रिपोर्ट पढ़ी उसके अनुसार यहां पुरातत्व महत्व की कोई भी चीज नहीं है। और यह क्षेत्र जड़ी–बूटी शून्य क्षेत्र में गिना जाता है आदि।

भुवन – वो रिपोर्ट किस भाषा में लिखी गई है ?

थपलियाल – स्वंय हमने रिपोर्ट नहीं देखी, हमारे पूर्व विधायक माननीय कुंवर सिंह नेगी ने वो रिपोर्ट देखी थी और उन्होंने ही कहा कि यहां इतनी अधिक जड़ी–बूटियां मिलती हैं लेकिन

उन्होंने इसे जड़ी–बूटी शून्य क्षेत्र दिखाया है। इसको पुरातत्व की दृष्टि से महत्वहीन क्षेत्र बताया है जबकि तपोवन में गर्म पानी के स्रोत हैं, वहां पर पार्वती जी की तपस्थली है, पुरातत्व महत्व के मंदिर हैं, यहां बड़गांव में सुन्दारी राजा का महल है, जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है, आदि गुरू शंकराचार्य की तपस्थली है, अनुमठ में बृद्ध बर्दीनाथ है। इस प्रकार यहां पुरातत्व महत्व की इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इस क्षेत्र को पुरातत्व शून्य बताया गया है। जब हमने इस बारे में उनसे जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया।

अभी जोशीमठ संघर्ष समिति की बात भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। उसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी माले वाले, जादव कह रहे हैं कि यहां परियोजना नहीं बननी चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि गोवा में एक चलता हुआ प्रोजेक्ट बंद हो गया और लोग उसे पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं और हमारे यहां के लोग उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर वह भू–गर्भीय दृष्टि से ठीक हैं और इसमें कोई खतरा नहीं है तो जनता की भलाई के लिए ऐसी परियोजना बननी चाहिए और अगर उसमें खतरा है तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

भुवन – इसमें सुरक्षा, एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। क्या इसके लिए ऐसी किसी एक स्वतंत्र कमेटी को बनाने पर विचार हुआ है जिसमें एन.टी.पी.सी. या प्रशासन का कोई दख़ल न हो ?

थपलियाल – अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डी.एम. साहब ने कहा है कि हम तपोवन, ढ़ाका, रविग्राम, पैनी, सेलंग तथा एक अन्य गांव में कमेटी बनाएंगें इसमें छः लोग गांवों के होंगे, दो आदमी एन.टी.पी.सी. के होंगे तथा प्रशासन का एक आदमी होगा। मुझे लगता है कि अगर यह बन जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि जब पूरे उत्तरांचल में अधिग्रहण का एक ही कानून है और कानून बदलने के सभी अधिकार विधान सभा के पास हैं। विधान सभा में इस बारे में विधेयक आने पर ही इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो एक साधारण आदमी के पास ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी कि वो इस जमीन की

कीमत को बदल सकेंगे। और न ही लोगों की भलाई करने की सरकार की मंशा ही है, अगर ऐसा कुछ होता तो वह विधान सभा में विधेयक लाती, कानून बनाती ताकि लोगों को उनकी जमीन की सही कीमत मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके, वो बेघर न हों और उन्हें पलायन न करना पड़े। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि यह परियोजना एक लाभ का सौदा है और वो अपने लाभ के आगे जनता को होने वाले नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं।

भुवन – तपोवन में इसका सूचना केन्द्र बना है, क्या वो ठीक काम कर रहा है ?

थपलियाल – मैंने पहले भी कहा है कि इनके पास कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। चाहे आप तपोवन में जाएं या फिर जोशीमठ में सभी जगह जाने पर आपके हाथ निराशा ही लगेगी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वहां जाकर इनसे पूछ सकते हैं।

धन्यवाद !

समाप्त

एस.पी.सत्ती का साक्षात्कार

साक्षात्कारकर्ताः– भुवन पाठक

भुवन पाठकः आप अपना परिचय दीजिए।

एस.पी.सत्तीः मेरा नाम एस.पी. सती है। मैं, वर्तमान में गढ़वाल विश्वविद्यालय में भू–विज्ञान पढ़ाता हूं और जब, 1994 से राज्य आंदोलन की शुरूआत, तभी से मैं, उसमें संयुक्त छात्र संघर्ष समिति में केन्द्रीय संयोजक राज्य स्तर के तौर पर रहा और तमाम बड़े–बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया।

भुवन पाठक : सर, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन कई अपेक्षाओं को लेकर लड़ा गया था। राज्य बने हुए तीन–चार साल हो चुके हैं, क्या इसकी अपेक्षाएं पूरी हो पायी हैं ? आप लोगों के मन में उत्तराखण्ड के विषय में क्या अपेक्षाएं थी ?

एस.पी. सती : उत्तराखण्ड राज्य नेताओं के लिए माना गया था, और पृथक राज्य बनने के बाद पिछले तीन–चार सालों में उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई भी हैं। लेकिन बाकी क्षेत्रों में यह पृथक राज्य स्थानीय जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। यह कुछ मामलों में सफल हुआ भी हो लेकिन अधिकतर मामलों में इस पृथक उत्तराखण्ड राज्य ने जनता को ठगा ही है।

अगर हम इस आंदोलन के असफलता के विषय में बात करें तो इसके लिए दो–तीन कारण महत्वपूर्ण हैं, पहला, किसी भी आंदोलन को चलाने से पहले ही एक मजबूत संगठन हो तो वह धीरे–धीरे विकसित होता है लेकिन यदि कोई संगठन किसी आंदोलन के होने के बाद बने तो न तो उसका कोई रास्ता रहता है और न ही कोई दर्शन रहता है वो तो केवल आंदोलन को थामने की एक कोशिश भर रहती है और बिना संगठन के चलने वाले आंदोलन में तो ऐसा ही होता है जैसे कि हमेशा भयंकर बारिश में अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसी

स्थिति में नदी के तटबंध उस बाढ़ को संभालने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार जहां इतनी तबाही होती है वहां सकारात्मक चीज नहीं हो सकती है।

इस पूरे आंदोलन के दौरान सारी जनता एक बदलाव को चाहती थी। वे आंदोलन को बीच में रोकने का प्रयत्न कर रही थी। इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो वास्तव में इस आंदोलन के लक्ष्यों को जानते थे और उन लक्ष्यों में पृथक प्रशासनिक ढ़ांचे और उन्मुक्त प्रशासनिक ढ़ांचे की बात तो बिल्कुल नहीं थी। उसके पीछे वो तमाम चीजें थी जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए गलत तरीके से चल रही थी। उन चीजों को ठीक करने की संभावनाएं तो थीं लेकिन उसके लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी जो कि नहीं हो पाया।

दूसरी बात, इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य आंदोलन के रूप में सामने आयी। सभी राजनैतिक दल अपना पैंतरा बदलकर राज्य के हिमायती बने। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस आंदोलन में युवाओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। क्योंकि इस आंदोलन का दुर्भाग्य था कि इसके शुरू होने से पहले संगठन नहीं बनाया गया था जिससे आंदोलन के बीच में सबसे बड़ी राजनैतिक शक्ति का प्रसार नहीं हो पाया और एक नई राजनैतिक शक्ति उभरकर सामने नहीं आ पायी। हम लोगों ने पहले से मंजे हुए राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काफी प्रयास किया लेकिन पहले से मंजे हुए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी असफलता की पुरानी कुंठाओं से बाहर नहीं निकल पाए। वे गलत समय पर गलत फैसला लेते थे और बाद में समय निकल जाने के बाद अपनी, गलती को स्वीकारते थे। जैसे कि क्षेत्रीय राजनीति से परहेज करना। उस समय एक अन्य ट्रेन्ड चला गैर राजनीति में शामिल होना। जब राज्य की मांग एक राजनीतिक विषय है तो उस आंदोलन में गैर राजनीति क्या होती है? ये तो केवल वोट की राजनीति थी, लेकिन राजनीति केवल वोट के लिए ही नहीं होती है। उस समय हर राजनीतिक, एक राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा और इस बात को कई लोग समझ नहीं पाए, खासकर हमारे पुराने मित्र लोग।

मुझे याद है, हम लोगों ने भी बहुत बड़ी–बड़ी गलतियां की हैं लेकिन इतनी बड़ी गलतियां कभी नहीं की। हम जरूरत पड़ने पर ही बोलते थे। हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के साथ रहते थे ताकि उनसे प्रेरणा ले सकें, हम उनकी हर बात सुनने के लिए जाते थे। वो हमें खड़ा करके प्रतिज्ञा करवाते थे कि हम, राजनीति नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे, अर्थात हम राजनीतिक दलों से परहेज करते हैं और फिर बाद में तमाम तरह के दूसरे संगठन बना कर टिकट ले लेते थे। उसके बाद बारह–बारह सौ रुपए में छः सौ वोट, पांच सौ वोट मिलती थी, जमानत जप्त करवाते थे क्योंकि आंदोलन के दौरान लोग राजनीतिक हस्तक्षेप के तरफ झुके और ऐसे में अगर आप लोगों के सामने विकल्प नहीं दे सके तो बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को जो भी मिला वे उसके साथ ही चल दिए। वोटर–जनता उस आवेशित इलैक्ट्रोन की तरह होता है कि अगर उसको समुचित पोल नहीं मिल सका, दण्डात्मक पोल नहीं मिल सका, उसे जो सूक्ष्म गति मिली वह उसी में चिपक जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही हुआ। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम जिस विकल्प की तलाश में थे, वो उचित समय पर नहीं मिला। हम लोगों ने एक नये विकल्प को तलाशने की ईमानदारी से कोशिश की लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। आगे चलकर हम लोग भी इधर–उधर चले गए लेकिन हम कभी भी दोगले नहीं रहे। हम साफ तौर पर कहते थे कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। ये संभावना जताई जा रही थी कि इससे प्रदेश में एक अच्छी राजनीति की शुरूआत हो जाती लेकिन वो हो नहीं पायी। हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चाहते थे कि एक अच्छा संगठन चुनाव के हस्तक्षेप की तरफ बढ़ता और लोगों के पास विकल्प रहता।

भुवन पाठक : दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि आपको लगा था कि नया और छोटा राज्य 'उत्तराखण्ड' बनने के बाद लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। लोकतंत्र का ढ़ांचा बदलने एवं छोटा राज्य बनने के बाद लोकतंत्र की कितनी बहाली हुई है ? पृथक राज्य के आंदोलन से पहले यह सोचा जाता था कि अपने नजदीक के उम्मीदवार आयेंगे तो इस राज्य की स्थिति सुधरेगी, क्या वो हो पाया है ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके क्या कारण हैं?

एस.पी. सती : उत्तराखण्ड की प्रजातांत्रिक प्रणाली, देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली से अलग नहीं हो सकती है। वहां भी वही मापदंड काम करते हैं जो देश के अन्य हिस्सों में काम करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उत्तराखण्ड की राजनैतिक इकाई अन्य देश से भिन्न होगी। ये बात, सच है कि जन प्रतिनिधि विकास की पहली शर्त होती है और छोटी प्रशासनिक इकाई से कई क्षेत्रों में विकास संभव होता है। प्रशासनिक मामलों में हमने कई क्षेत्रों में विकास किया है लेकिन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाया है। हमारी खुद की पार्टी होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि पृथक राज्य बनने के बाद बहुत दुष्प्रभाव भी आए हैं लेकिन अगर उनकी तुलना सकारात्मक प्रभावों से की जाए तो उनकी अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हैं। वो एलोपैथिक दवाइयों की तरह है जिससे बीमारी तो कुछ देर के लिए रुक जाती है लेकिन उस दवाई के साइड इफैक्ट नही होते हैं साइड इफैक्ट का अर्थ लाल बतियों से है।

आज 'राज्य' आंदोलनवाद से ग्रसित हो गए हैं। अर्थात जिस उद्देश्य से यह आंदोलन लड़ा गया था वो सभी लक्ष्य आज बौनेपन के शिकार हो गये। आज कई लोग और संगठन अपने उद्देश्य न पूरे होने के कारण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथक राज्य बनने के बाद कुछ काम न हुआ हो लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी अपेक्षाओं के कारण नहीं अपितु अपने निजी स्वार्थों के कारण भी आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं जैसे जलवाद और संघर्षवाद पर आंदोलन हो रहे हैं। कुछ लोग तो कुंठावश ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग अपने छोटे स्वार्थों की आड़ में ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि राज्य आंदोलन का नारा घर–घर तक पहुंचाने में उत्तराखंड क्रांतिदल के अलावा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उत्तराखण्ड क्रांति दल ने राज्य का नारा घर–घर तक पहुंचाने में जितना योगदान दिया उससे ज्यादा उसने राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत को, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की भूमि को बंजर करने में दिया। उसका कारण स्पष्ट है कि कई बार अच्छे कैडर की पार्टी भी बेकार नेतृत्व के कारण न केवल खुद धूल चाट रही है। जिससे पूरे देश की जनता की अपेक्षाएं फलीभूत हो सकती थी, लेकिन खराब नेतृत्व के कारण उन सपनों एवं अपेक्षाओं की भी अकाल मृत्यु हो गई।

भुवन पाठक : आपको उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन की क्या स्थिति दिखती है ?

एस.पी सती : जहां तक स्थित प्राकृतिक संसाधनों की बात है, वन भूमि का होना वन होना नहीं होता है। कई लोग 62–65 प्रतिशत को वन भूमि कहते हैं जबकि वास्तव में वन अच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत से भी कम हैं और इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर हमारे पास केवल जल है और जल संसाधन को भी पूर्ण प्रबंधन के आभाव में उसके पूर्णतः उपयोग और पर्यावरण मित्र तकनीक के द्वारा इन संसाधनों को जनता के हित और क्षेत्र की बेहतरी के लिए उपयोग में लाने के बात अभी तक सतही ही है। इस विषय पर अभी तक गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। मैं, वापस वन संसाधनों की बात पर लौट रहा हूं। अभी तक जो सेमिनार हुआ था उसमें कई लोग कह रहे थे कि हमारे हिमालय में कई तरह की जड़ी–बूटियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चाहे हमदर्द हो, वैद्यनाथ हो, ओझा हो, डाबर हो या आर्युवैदिक दवाइयां बनाने वाली जितनी भी बड़ी–बड़ी फर्में हैं वे सभी फर्में हिमालय अथवा हरिद्वार से लाई गई जड़ी–बूटियों से बनाई जाती रही हैं लेकिन किसी के पास इस बात का स्पष्ट परिसीमन नहीं है कि इनमें से कितनी जड़ी–बूटियां हमारे यहां प्रतिवर्ष पैदा होती हैं और कितनी का प्रतिवर्ष दोहन हो रहा है। इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कि इस औषधीय उद्योगों में कितना हिस्सा व्हाइट मार्केट से जा रहा है और कितना हिस्सा ग्रीन मार्केट से जा रहा है। संसाधनों के विषय में अभी तक किसी विशेष डाटा के आधार पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इस विषय में वन अनुसंधान संसथान की ओर से भी किसी तरह का अध्ययन नहीं हुआ है। इस प्रकार इससे यह समझ पाना कठिन है कि हमारे पास कुल कितने संसाधन हैं और उनका नियोजन किस आधार पर करना है। आंकड़ों के आभाव में संसाधनों का न तो उचित बंटवारा हो पाता है और न ही उनका ठीक ढ़ंग से प्रयोग ही हो पाता है।

मुझे लगता है कि अभी भी हमारे उत्तराखण्ड में 'जल' एक प्रचुर संसाधन के रूप में उपलब्ध है लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार के गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं।

खनिज अर्थात मैग्नाइट तथा शीशे की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखण्ड अधिक समृद्ध नहीं है। वहां के अल्मोड़ा तथा पलवन जैसे कुछ–एक क्षेत्रों में ही थोड़ी सी मात्रा में खनिज उपलब्ध है लेकिन इन क्षेत्रों से खनिज निकालने में लाभ से अधिक पर्यावरणीय नुकसान होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए वहां पहाड़ों में खुदाई करनी पड़ती है जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वहां 'जल' ही एक उपयुक्त संसाधन के रूप में देखा जा सकता है।

भुवन पाठक : आपने कहा कि जल, जंगल और जमीन की हालत बहुत ही खराब है, क्या यह बात सही है ?

एस.पी. सती : हां! ये बात ठीक है। हमारे पास 62 से 65 प्रतिशत ऐसी जमीन है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जंगल हैं, लेकिन वो भारत सरकार के हैं। बाकी बची 35 प्रतिशत जमीन जिसमें आपको रहना भी है, घर भी बनाना है और खेती भी करनी है और आप कह रहे हैं कि उस 35 प्रतिशत में ही जूट की खेती से पैसा भी कमाओ। इसके अलावा उस 35 प्रतिशत में से कुछ क्षेत्र भूस्खलन और पानी की कमी से पीड़ित है। इस प्रकार हमारे पास भूमि की उपलब्धता बहुत अर्थात 20 प्रतिशत से भी कम है।

भुवन पाठकः– मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है, हमारे यहां के स्कूल–कॉलेजों से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में युवा लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन रोजगार के नाम पर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। उत्तराखण्ड के इन सारे संसाधनों को देखते हुए वहां रोजगार के संबध में आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं ?

एस.पी.सतीः– जहां तक युवा रोजगार की बात है, उसमें लोग छोटे तरीके से अर्थात जल्दी से जल्दी कमाने की बात सोचते हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि हमारे पास 62 से 65 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल हैं, अब जैसा 'रियो' के सम्मेलन में कहा गया, कि अगर गरीब देश पर्यावरण को बचा रहे हैं तो अन्य देशों को उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, उसके लिए उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए। जब हिमालय क्षेत्र के पास अपने अलावा उत्तर भारत की 40 प्रतिशत जनता को पर्यावरण संरक्षण देने की बड़ी जिम्मेदारी मौजूद है उसके बावजूद भी क्या आप सोचते हैं कि

आप 65 प्रतिशत भाग में कुछ नहीं कर सकते ? क्या आप इस क्षेत्र में जंगल आंदोलन जैसा कुछ नहीं चला सकते ?

हम यह कह रहे हैं, कि आप इस काम में युवाओं को शामिल कीजिए। आप युवाओं को कुछ न्यूनतम वेतन पर कुछ गांवों को स्थापित करने तथा उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी दीजिए। प्रारंभ में हम उन गांवों में पेड़–पौधों को स्थापित करने के लिए कुछ पैसे देंगे और आप उन्हें स्थापित कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए और उससे पैसा कमाने के साथ–साथ देश को मुफ्त में पर्यावरण का उपहार दीजिए। इससे इतना शीघ्र रोजगार मिलने की संभावना है जितना कि देश में चलने वाली और परियोजनाओं से नहीं हो सकता है।

हमारे जंगलों में कई दुलर्भ जड़ी–बूटियां मौजूद हैं जिनसे कई रोजगार स्थापित किए जा सकते हैं। ये जड़ी–बूटियां किन्हीं विशेष पेड़–पौधों के साथ ही पनपती हैं तो यदि आप वनों को स्थापित करते जाएं और वहां देवदार, गोदास, बांझ और अलवर आदि पेड़ों को लगा देंगे तो कई जड़ी–बूटियां और वनस्पतियां तो अपने–आप ही उग जाएंगी जिससे रोजगार के साथ–साथ विकास में भी सहायता मिलेगी। इस प्रयास से न केवल युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा बल्कि देश की आमदनी बढ़ेगी और देश के विकास में भी मदद मिलेगी।

भुवन पाठकः– आप संयुक्त मोर्चा और छात्र मोर्चे के नेतृत्वकारी थे और आपने कहा कि आप लोग वोट की राजनीति में नहीं जाएंगे लेकिन आज के युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? युवाओं को अपने छात्र जीवन के दौरान राजनीति में किस तरह की पहल करनी चाहिए ? क्योंकि आगे चलकर वही छात्र देश की राजनीति में भाग लेते हैं।

एस.पी.सतीः– आप मेरी बातों को सुनकर मुझे, निराशावादी मत कहिए बल्कि इसे एक यर्थात कहिए कि राज आंदोलन के दौरान युवाओं के बीच बड़ी संभावनाएं दिखती थी, वे बड़े जुझारू, तथा पवित्र ह्रदय के मालिक होते थे लेकिन आज के युवाओं में दूर–दूर तक भी वो बातें नहीं दिखाई देती लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि युवाओं में सार्म्थय की कमी है। उनकी पास सार्म्थय की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस सही मार्गदर्शन की। यदि युवाओं को उचित मार्गदर्शन न मिले तो वे लम्पट हो जाते हैं और हल्के–फुल्के, उल्टे–सीधे काम करते रहते हैं

यहां तक कि वे अराजक तक हो सकते हैं। लेकिन यदि आज के युवाओं में विश्वास जगाया जाए और उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले तो वे परिवर्तन ला सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से युवा नेतृत्व की संभावनाएं बढ़ी हैं जो कि राज्य आंदोलन के दौरान युवाओं की भागेदारी से स्पष्ट होती है। यह आंदोलन 94–95 में शुरू हुआ था, आज इसे 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज वो पीढ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आज नई पीढ़ी भी जवान हो गई है और उनमें भी वही संभावनाएं देखी जा सकती हैं अगर कोई व्यक्ति या कोई घटना उनको झकझोड़ दे तो वे भी उसी सार्म्थय के साथ संघर्ष कर सकते हैं। ये बात सच है कि वही युवा राजनीति में प्रवेश करने के बाद आपको 5 रुपये का लाभ भी तभी दिलाएंगे जब उससे स्वंय उन्हें 95 रुपये का लाभ हो रहा हो अन्यथा वह कुछ करने की इच्छा नहीं जताते।

धन्यवाद !